खण्ड-372, अंक-2
बुधवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1907
(14 अगस्त, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

1985–86 के आय-व्यय क में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान, अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खान और खनिज) अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27– निर्यात प्रोत्साहन विभाग (स्वोक्त) 56–121

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 (पारित) 122–130

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 132

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में सचिव पद के लिए आयोजित परीक्षाफल में अनियमितता के सम्बन्ध में सूचना 132

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 133

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेयजल की अशुद्धता से घेंघा तथा फीलपांव की बीमारियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 136

नत्थियां 140–144

विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अकबर हुसैन बावर, श्री (फैजाबाद)
अजीजर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत सिंह सेठो, श्री (मेरठ)
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
ओमवती, श्रीमती
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमाल अहमद रिजवी, श्री (खीरी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 (आगरा)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गौरी शंकर मइया, श्री (बलिया)
जगदीश नारायन, श्री (हमीरपुर)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
घनराज यादव, श्री (बस्ती)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
प्रेमिला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फूल सिंह सौदाई, श्री (मुजफ्फरनगर)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
भगवती प्रसाद चौधरी, (मिर्जापुर)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मरादाबाद)
मोहम्मद हयात ,हाजी (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रजनी कान्त, श्री (वाराणसी)
रणजीत, श्री (देवरिया)
राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
राम आसरे, श्री (सुल्तानपुर)
राम नरेश, श्री (मैनपुरी)
राम पाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
रीना कुमारी श्रीमती (मुरादाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिरोमणि भाई, श्री (बांदा)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
सन्त बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा निवासों को खाली न किया जाना तथा अवशेष किराया

****1.—श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री अशोक बाजपेयी, श्री श्रीप्रकाश, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने भूतपूर्व मंत्रियों ने मंत्री आवासों को तथा भूतपूर्व विधायकों ने विधायक निवासों को अभी तक खाली नहीं किया है तथा उन पर कितना-कितना किराया बाकी है?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

25 भूतपूर्व मंत्रियों ने मंत्री आवासों को तथा 36 भूतपूर्व विधायकों ने विधायक निवासों के कक्षों को अभी तक रिक्त नहीं किया है। भूतपूर्व मंत्रियों तथा भूतपूर्व विधायकों पर अवशेष किराए की सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 25 भूतपूर्व मंत्री कौन हैं और 36 भूतपूर्व विधायक कौन हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

सूची मेरे पास है। भूतपूर्व मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं:— सर्वश्री शिवराज सिंह, गोपाल राम दास, अमीन अंसारी, छेदा लाल चौधरी, जयराज गौतम, अजीजुर्रहमान, शिवानन्द नौटियाल, लक्ष्मीशंकर यादव, बलराम सिंह यादव, बच्चा पाठक, अब्दुल रहमान खां नश्तर, गुलाब सेहरा, जगदीश प्रसाद, राम सिंह खन्ना, के0 पी0 तिवारी, एल0 आर0 आचार्य, सच्चिदानन्द बाजपेयी, मुजफ्फरहसन, हबीबुर्रहमान नोमानी, धीरेन्द्र सहाय, अम्मार रिजवी, सुखदेव प्रसाद, राम नरेश शुक्ला, सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, काशी नाथ मिश्रा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

विधायकों की सूची पढ़ें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मंत्री ने यह लिस्ट पढ़ी कि यह मंत्री खाली नहीं किये हैं। कितना किराया बाकी है, यह सूचना एकत्रित नहीं कर पाये। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या निकट भविष्य में कितना किराया बाकी है, इसकी सूचना सदन को देंगे और मंत्रियों से कब तक आवास खाली करा लिये जायेंगे? कोई निश्चित तिथि बताने की कृपा करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, किराये के साथ डैमेज चार्ज लगाया जा रहा है। डैमेज चार्ज का आंगणन किया जा रहा है। इसको पूरा करके दे दिया जायेगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है, यह बीमारी शिक्षा विभाग में थी, अब यह बीमारी इनके विभाग में भी आ गई। जो सूचना दी गई वह सत्य नहीं है, कुछ नाम ऐसे हैं जो छोड़ दिये

गये हैं। जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके नाम एलाट है। इस सूची को दुबारा पूरी कराकर सदन के पटल पर रख दें और आज इसको स्थगित कर दें।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जो सुझाव दिया है दिखवा लेंगे।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन भूतपूर्व मंत्रियों के जिम्मे अभी तक, इस समय तक क्या किराया लगाया जा रहा है, प्रति माह? वे जब से मंत्री नहीं रहे हैं और अभी तक कब्जा किये हैं प्रतिदिन या प्रतिमाह उनसे क्या किराया लिया जा रहा है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मार्च, 1985 में विधान सभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद मान्यवर, उनसे आवास रिक्त कराने के लिये कार्यवाही शासन द्वारा बराबर की जा रही है। विधायकों के लिये दिनांक 23-3-85 को एक आवास आवंटन समिति बनी हुई है, मान्यवर, जो विधायक आवास हैं, उनके बारे में पहले ही घोषणा कर दी गयी है कि विधायक निवासों से 23/- रुपया और ओ0 सी0 आर0 में रहने वालों से 75/- रुपया लिया जायगा। अब जहां तक मंत्रियों का प्रश्न रह गया, मान्यवर, उसके लिये शासन की एक नियमावली बनी हुई है। इसके अनुसार 4 माह के बाद तीन गुना किराया का प्राविधान है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमती मोहसिना किदवई, जो केन्द्रीय सरकार में मंत्री हैं, और इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, ने अपना बंगला खाली कर दिया है। उनके ऊपर अब तक कितना रुपया बकाया है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इस समय हमारे पास सूचना नहीं है।

श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार में मुख्य मंत्रियों की अवधि ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष रही है। यही सिलसिला सन् 90 तक चला तो तब तक चार-पांच मुख्य मंत्री बदल जाएंगे। प्रत्येक मुख्य मंत्री के लिये 15-20 लाख रुपया लगाकर जो आवास दिया जाता है उसके बाद वह उनका स्थायी आवास बन जाता है। इस प्रकार तो अगले 10 वर्षों बाद मंत्रियों के लिये आवास ही नहीं रहेगा। क्या इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रियों के बड़े बड़े आवास खाली कराने की व्यवस्था करेंगे? और नियमानुसार और आवश्यकतानुसार उन बड़े बड़े आवासों को मंत्रियों के लिये और जन उपयोग के लिये देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इसका सवाल नहीं उठता। यह अलग प्रश्न है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन भूतपूर्व विधायकों के पास इसी लखनऊ नगर में 2–3 मकान, चाहे रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत हों या राज्य सम्पत्ति विभाग के, वे उनमें कब्जा किये हुए हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। प्रश्न देख लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, इस प्रश्न को अगर आप देखें तो इससे मेरी भावना यह है कि कितना पैसा बकाया है। दूसरी बात जो इसमें निहित है वह यह है कि जिन लोगों के पास अपने बंगले हैं, उदाहरण के लिये भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के पास, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं आया। मान्यवर, आप इसको स्थगित कर दीजिये और अगली बार पूरा जवाब दिलवा दीजिये। रिकार्ड में है, पिछली बार आ चुका है इस आदरणीय सदन में, लोग स्वर्ग की दहलीज पर खड़े हैं, उन सब पर शासन का कुल कितना धन बकाया है और उनके खिलाफ कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष–

आपमें कमी है कि आप लम्बा प्रश्न पूछते हैं। छोटा प्रश्न पूछिये और जवाब लीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, दिल्ली में राजनारायण जी को उनके घर से धक्का मारकर निकाल दिया और यहां पर वर्षों से लोग पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

इस विधान सभा के सत्र के खत्म होने से पूर्व जो पैसा है, बकाये के रूप में, उसकी सूची रखेंगे और मकानों को खाली करायेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जो माननीय ओझा जी की भावना है, उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आगणन करा रहे हैं। जो अधूरी सूचना है, उसे दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

बाद में पूरी सूचना दे दीजियेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

खाली कराने की क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, उनको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रभावी कार्यवाही मान्यवर की जा रही है। आपको मालूम है कि 23-3-85 को एक आवास आवंटन समिति बनी थी, जिसके माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि बढ़ी हुई दरों पर किराया लिया जाय, उसकी बाबत शासनादेश हो गया है। उन कोठियों का अनुरक्षण कार्य बन्द कर दिया गया है। इस्टेट आफिसर और राज्य मंत्री संसदीय कार्य जी ने भी अनुरोध पत्र भेजे हैं, नोटिस भी भेजे गये हैं। इवेक्शन की कार्यवाही के लिये वाद दायर किये जा रहे हैं। प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के सामने पहुंचने वाले हैं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व विधायकों से आवास खाली कराने में क्या कठिनाई है?

श्री अध्यक्ष–

इस पर तमाम बात हो चुकी है।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

25 भूतपूर्व मंत्रियों और 36 भूतपूर्व विधायकों में से कई विधायकों के पास 2–2 मकान एलाट हैं?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

ऐसा कोई नहीं है जिसे दो कमरे अलग-अलग आवंटित हों।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कितने भूतपूर्व मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ी हुई दर पर किराया जमा कर दिया है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ी हुई दर पर किराया जमा नहीं किया है? जिन्होंने जमा नहीं किया है, क्या भूराजस्व की वसूलियों की भांति सम्पत्ति की कुर्की करके या कोई अन्य प्राविधान करके वसूलने की कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जैसा कि मैंने बताया, अपूर्ण सूचना थी, उसको आपने लेने से मना कर दिया। आगणन हो रहा है, कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। एविक्सन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के मुताबिक कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

इस पर 15 मिनट हो गये हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

माननीय नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा।

सहकारी संघ बंथरा, जनपद लखनऊ में फर्जी राशन कार्डों पर चीनी वितरण की जांच

*2–श्री राम पाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे सहकारी संघ बंथरा, जनपद लखनऊ में दिनांक 28 फरवरी, 1985 को पी0 डी0 एस0 की दुकान का ए0 डी0 सी0 ओ0 द्वारा निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो क्या उसमें सैकड़ों फर्जी राशन कार्डों पर चीनी वितरण का मामला प्रकाश में आया? यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री दीपक कुमार)–

जी हां।

13 राशन कार्डों पर दो बार तथा 1 राशन कार्ड पर तीन बार चीनी वितरण बिक्री रजिस्टर पर दर्शाया पाया गया।

जी हां।

प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जांच हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, अभी 5 मिनट बाकी है, इसलिए इस प्रश्न को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर तो जांच हो रही है लेकिन जो दोषी लोग हैं, उनके विरुद्ध 3/7 की कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज करायी गयी है, उसी के आधार

नोट :– अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री राजेन्द्र गुप्त की रुचि पर लिया गया।

पर कार्यवाही की जा रही है। प्रशासक को यह निर्देशित किया गया है कि जो कर्मचारी इस अनियमितता में दोषी हैं, उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायं।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

निजी कोटेदार या कोई निजी दुकानदार यदि एसेनसियल कामोडेटीज एक्ट की धारा के तहत अपने यहां मूल्य सूची भी नहीं लगाता है तो उसके विरुद्ध 3/7 का चालान हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया है कि इन सहकारी संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार है। जो लोग दोषी पाये गये हैं, उनके विरुद्ध निजी कोटेदारों व निजी दुकानदारों की तरह 3/7 की कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि कार्यवाही हो रही है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्या उस रिपोर्ट में प्रशासक को भी अभियुक्त बनाया गया है कि नहीं क्योंकि कोआपरेटिव एक्ट के तहत उसको भी अभियुक्त होना चाहिए।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि प्रशासक को निर्देशित कर दिया है कि जो सेल्स मैन इसमें दोषी पाये गये हैं, उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाय। जो इस संस्था के सचिव थे, जिनकी देख-रेख में काम होता था, उनको भी अभियुक्त बनाया गया है और उनको भी चार्जशीट दी जा रही है। प्रशासक के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो कर्मचारी दोषी पाये गये हैं, उनके खिलाफ जाफ्ता फौजदारी का चालान किया गया कि नहीं? यदि हां, तो किस दफा में किया गया है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मुख्य रूप से प्रथम दृष्टा में जो दोषी पाये गये, उसमें सेल्स मैन थे, जिनकी सेवायें समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। और जो सचिव व एडी0 सी0 ओ0 थे, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही चलाई जा रही है, इनके विरुद्ध भी एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गई है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नेशनल हेराल्ड पत्र समूह के कर्मचारियों द्वारा मांगों के संबंध में दिया गया ज्ञापन

*1–श्री गौरी शंकर भइया (अनुपस्थित) तथा श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हेराल्ड पत्र समूह के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को 14-7-85 को ज्ञापन दिया था जिसमें एक माह के अन्दर मांगें न पूरी होने पर 15 अगस्त को आत्मदाह करने का फैसला लिया है? यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

श्रम मंत्री (श्री सैयद सहैदुल हसन)–

प्रकरणगत ज्ञापन की एक प्रति शासन को प्राप्त हुई है। श्रम विभाग द्वारा उभय पक्षों के बीच वार्ता कराकर समस्या का हल निकालने हेतु कार्यवाही की गयी। शासन

स्तर पर भी वार्ता कराकर समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया गया। कर्मचारियों की मुख्य मांगें समय पर वेतन न मिलना, फरवरी, 83 का वेतन न मिलना, वर्ष 1984-85 में कुछ महीनों से वेतन की कटौती किया जाना, ग्रेच्युटी न दिया जाना, प्राविडेन्ट फण्ड में धनराशि न जमा किया जाना, से संबंधित थी। प्रबंधकर्ता से कहा गया कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अवश्य वेतन भुगतान कर दें। फलतः माह जुलाई, 1985 का वेतन भुगतान 7 अगस्त तक कर दिया गया। प्रबन्धक को प्राथमिकता के आधार पर फरवरी, 1983 के वेतन का बकाया, रिजल्ट के ओवर-टाइम का बकाया तथा 22 मृतक कर्मचारियों के क्लेम्स का भुगतान करने को भी कहा गया। कुछ माहों के वेतन की कटौती के बारे में विवाद होने के कारण यह मामला श्रम न्यायालय को संदर्भित करने पर विचार हो रहा है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0 प्र0 द्वारा "समीक्षक (वस्त्र)" के पदों पर की गयी नियुक्तियों में अनियमितताएं

*2–श्री बेनी प्रसाद वर्मा

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा "समीक्षक (वस्त्र)" के 15 पदों पर फरवरी, 1985 में बिना साक्षात्कार अथवा परीक्षा लिए हुए नियुक्तियां कर दी गयीं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन पदों हेतु विज्ञापन में विज्ञापित आरक्षित वर्ग के एक भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं की गई? यदि हां, तो सरकार तत्काल नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं को समाप्त करने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी)–

माह फरवरी, 1985 में क्षेत्रीय सहायक निदेशक उद्योग (हथकरघा) इटावा समीक्षक (वस्त्र) के 21 पदों में से 5 पदों पर भर्ती की गयी तथा एक पद 89 दिन तक अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत था जो अब समाप्त हो गया है।

जी हां।

भविष्य में नई नियुक्तियों के समय इस ओर ध्यान रखा जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विज्ञापन में यह दिया गया कि आरक्षित वर्ग के लोगों को लिया जायेगा। उसके बाद कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं तो किसी अधिकारी ने 5 लोगों की भर्ती कर ली और हरिजन वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं दी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

यह नियुक्तियां बिना विज्ञापन के की गई थीं और यह नियुक्तियां अवैधानिक थीं इसलिए इन नियुक्तियों को निरस्त करके नई नियुक्तियां नियमानुसार करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने अवैधानिक नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने ऐसा किया, किसी स्वार्थवश ही किया होगा, उस पर तो यहां चर्चा की नहीं जा सकती लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई विभाग में नहर के निर्माण में किये गये स्थायी आदेश तथा जनपद बरेली में गहलुइया माइनर का निर्माण

*1–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग में ऐसे स्थायी आदेश हैं कि किसी भी नहर का निर्माण करते समय उसका निर्माण कार्य उसके हेड की ओर से किया जाय ताकि किसी भी कारण कार्य में रुकावट पड़ने की दशा में बने हुए भाग और उस पर व्यय धनराशि का सदुपयोग हो सके? यदि हां, तो क्या कारण है कि जनपद बरेली में गहलुइया माइनर का निर्माण करते समय इस निर्देश का पालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लगभग पांच किलोमीटर लम्बी और छः वर्ष पूर्व बनी हुई उपरोक्त नहर पर व्यय हुई धनराशि आज तक व्यर्थ जा रही है? क्या मंत्री जी राजकोय धन के इस अपव्यय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और नहर के शेष भाग का निर्माण तुरन्त करा देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता। चूंकि निर्माण कार्य चालू है अतः व्यय हुई धनराशि व्यर्थ नहीं हुई ।

इस नहर पर मिट्टी का कार्य, 290 मीटर की रीच को छोड़कर, शेष पूर्ण हो चुका है। हेड रीच का निर्माण कृषकों द्वारा समरखेन बदले जाने का आरोप लगाये जाने व उसका विरोध किये जाने के कारण रोक देना पड़ा। इसकी जांच की जा रही है। कार्यों को वर्ष 1985-86 में पूर्ण किये जाने की आशा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, नहरों का निर्माण टेल से किया जाता है ताकि निर्मित पोर्शन का लाभ मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नहर का किस वर्ष में निर्माण प्रारम्भ हुआ? किस वर्ष में कितना-कितना पैसा इस पर खर्च किया गया और क्या इससे आज तक कोई सिंचाई हुई है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इस नहर का निर्माण कार्य 1978-79 में शुरू किया गया और अब तक कुल इस पर 39 हजार 650 रु0 व्यय हुए हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि इस नहर का निर्माण कार्य 1978 में प्रारम्भ हुआ परन्तु उससे कोई आय प्राप्त नहीं हुई और न ही शेष भाग का निर्माण जो रह गया है, जिसके लिये भूमि का अध्यासन भी हो चुका है, सरकार भूमि ले चुकी है उसका निर्माण 6 किलोमीटर तक लम्बी पक्की वर्क जैसे झाल और पुलिया का निर्माण बाकी है।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

यह बात सही है कि काफी विलम्ब हुआ लेकिन अब इस तरह के निर्देश दे दिये गये हैं कि इस काम को पूरा किया जाय। काम पूरा हो रहा है। कच्चा काम हो चुका है। पक्का काम भी पूरा कर

दिया जायेगा और इस साल पूरा काम करके सिंचाई की जायेगी।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, हेड एण्ड 290 मीटर रह गया है और उस पर विवाद आ गया है और अगर यह विवाद न सुलझा तो यह कभी नही बन पायेगी। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे निर्देश देने की कृपा करेंगे कि इसे हेड एण्ड से न खोदा जाय?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस तरह की कोई पालिसी पहले नहीं थी। इस वर्ष हमने कहा कि जो भी नहर बनायी जाये पहले हेड से बनायी जाय और जैसे-जैसे काम होता है, ताकि सिंचाई का काम भी शुरू किया जाय। इस तरह से जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, इसके आदेश दे दिये गये हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

इसमें परेशानी यह है कि अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई तो वह बन नहीं पायगी, इसलिए कि इसमें मूल समस्या है लैण्ड इक्वीजीशन की। तो इसको अगर सरल नहीं बनायेंगे तो जनता का काम हो नहीं पायगा, तो इसको सरल बनाने का कोई प्रयास करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रक्रिया वही है लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसमें जल्दी की जाय।

सूत और स्टेपुल के मूल्य में वृद्धि

*2–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूत और स्टेपुल का दाम नवम्बर, दिसम्बर, 1984 में क्या था और 1 जनवरी, 1985 से लेकर 15-5-85 तक कितना बढ़ गया है? क्या सरकार बुनकरों के कपड़े की खरीददारी भी उसी प्रकार बढ़ाकर कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

नवम्बर, 1984 से मई, 1985 तक काटन यार्न, स्टेपुल यार्न एवं वेस्ट यार्न के मूल्यों का विवरण संलग्न है।

बुनकरों से यथासम्भव अधिक से अधिक दरों पर क्रय करने का प्रयास किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 140 पर)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस दिन भी यह प्रश्न लगा हुआ था, पूरा जवाब आज भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

अगला प्रश्न कीजिए।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

पौन नम्बर और सवा नम्बर सूत के दाम एक वर्ष पहले क्या थे और आज क्या हैं? सूत के दाम इतने बढ़ गए हैं, जिनको छिपाने का प्रयास किया है, इसके कारण जो लोन लिया था, अपनी पूंजी थी, बुनकरों की, वह सब खा गए और अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आर0 सी0 इश हुआ है बुनकरों को, उनको वापस लेने की कृपा करेंगे?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

जहां तक प्रश्न है पौन नम्बर, सवा नम्बर, एक नम्बर सूत का तो यह सूत हमारी स्पिनिंग मिल नहीं बनाती है। यह वेस्ट यार्न होता है जो आमतौर पर दरी बनाने के काम आता है। इसलिए इसके जानने या न जानने का सवाल उत्पन्न नहीं होता।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

दिसम्बर, 84 से आज तक 30–40 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हुई है, स्टेपुल की कीमत बढ़ी हुई है तो जो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अधिक दरों पर कपड़ा खरीदने की कोशिश

कर रहे हैं और जो दाम बढ़ गये हैं उनको घटाने का प्रयास कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

शासन का प्रयास रहता है कि जब-जब दाम बढ़ते हैं तो उनके उत्पादित माल के दाम में समय-समय पर वृद्धि करते रहते हैं और जैसा कि आंकड़े मौजूद हैं – बेडशीट गोरखपुर टाइप में दो से 6 रुपये प्रति जोड़ा, सिल्को टपेस्ट्री में 3 रुपये प्रति मीटर, वेल्जियम टपेस्ट्री में 2 रुपये प्रति मीटर, स्टेपुल सिल्क टपेस्ट्री में 3.50 रुपये प्रति मीटर, वेल्जियम बेड कवर 5 रुपये प्रति पीस, टावेल हनीकोम में पचास पैसे प्रति जोड़ा किया है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

जिस क्षेत्र से माननीय प्रश्नकर्ता आते हैं, उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूं। वहां पर दरी का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जैसा कि प्रश्नकर्ता ने जानना चाहा है सूत के दाम बढ़ गये लेकिन क्योंकि उसे कोआपरेटिव या सरकारी फैक्ट्रीज बनाती नहीं हैं इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सूत के दाम तो बढ़े लेकिन दरी के दाम नहीं बढ़े इसलिए दरी के निर्माता बिल्कुल अपने विनाश की ओर आ गया है। मैं जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए दरी बुनकरों को राहत देने की सरकार की ओर से कोई योजना है? रिकवरी रोकने की या और कोई योजना है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

माननीय सदस्य ने दो प्रश्न एक साथ कर दिये। पहला प्रश्न यह है कि अगर सूत के दाम बढ़े हैं तो उनके द्वारा उत्पादित चीजों के दाम बढ़ायेंगे या नहीं? इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि 1984 में 9/- प्रति वर्ग गज के भाव से था, इसको पुनरीक्षित करके 9.50 रु0 प्रति वर्ग गज कर दिया, बाद में इसको पुनः रिवाइज किया और 10.50 रु0 प्रति वर्ग गज कर दिया। जहां तक रिकवरीज का प्रश्न है, मा0 सदस्य जानते हैं और इससे पहले प्रश्नकर्ता सदस्य भी जानते हैं, यू0 पी0 एफ0 सी0 से 500 बुनकरों को लोन दिलाया गया था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुलाम हुसैन साहब से बात करके कि मौके का मुआयना करूं। मैंने देखा कि जिन बुनकरों ने लोन लिया था, उन्होंने लगाया नहीं था, जब यह हुआ तो 18 आदमियों के खिलाफ आर0 सी0 जारी की थी।

जनपद गोंडा के तहसील उतरौला में राप्ती नदी की कटान और बाढ़ से क्षति

*3–श्री फजलुल बारी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोंडा के तह0 उतरौला में राप्ती नदी के कटान और बाढ़ से हर वर्ष लाखों की क्षति होती है और कई तादाद में मनुष्यों की जान जाती है? यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रित व कटान रोकने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं और उन उपायों पर कब से कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां।

जी हां।

1–ग्राम टेढ़वा पर वर्ष 1982-83 में कटान निरोधक कार्य किये गये थे, जो सुरक्षित है।

2—ग्राम मटेरिया कमौं पर कटान वर्ष 1983-84 में हुई थी। कटाव निरोधक निर्माण कार्य प्राक्कलन रु0 14.69 लाख का जिला प्रशासन के विचाराधीन है।

3—ग्राम मुरलिया पर कटान दूर है, की सूचना इस वर्ष प्राप्त हुई है। कटाव निरोधक प्राक्कलन जिला प्रशासन के विचाराधीन है।

प्राक्कलन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व धन आवंटन होने पर कार्य कराना सम्भव होगा।

श्री फजलुलबारी—

मा0 मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि मुरलिया ग्राम में कटान दूर है। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कटान कितनी दूर है? दूसरी इसी से मिली हुई बात यह है कि इसका जो प्राक्कलन जिला प्रशासन के विचाराधीन है, क्या उसकी कोई प्रतिलिपि मा0 मन्त्री जी के पास आयी है? यदि हां, तो प्राक्कलन कितनी रकम का है? काम कब तक कराया जायगा? जब बरसात होती है तब कटान जोरों पर होता है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस समय रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। मटेरिया गांव का तो दिया हुआ है कि 14.69 लाख का प्राक्कलन है, लेकिन यह जो मुरलिया गांव का पूछ रहे हैं, यह कितने का इस्टीमेट है, यह फिगर्स मौजूद नहीं हैं। जहां तक मा0 सदस्य ने पूछा है कि कटान की दूरी कितनी है, इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं, जैसा मैं पहले भी यहां पर बोल चुका हूं, हमारे प्रदेश में इतनी ज्यादा नदियां हैं और हर नदी के किनारे तमाम गांव बसे हुए हैं, गांव में कटान होना स्वाभाविक है। हमारे पास जो बजट है, इतना कम है कि अगर एक गांव पर लगाते हैं, अगर 10 लाख लगाते हैं तो हर साल 10 लाख लगाने की जरूरत पड़ेगी। पता चलेगा कि एक गांव को बचाने में हर साल 10-20 लाख रु0 खर्च कर देंगे। हर गांव को बचाना सम्भव नहीं है, बड़े-बड़े शहरों को बचाते हैं। गांव में यदि कटान हो तो उसका रास्ता यह है कि गांव को अलग बसा दिया जाय ताकि इतना पैसा शासन का खर्च न हो, दूसरे उसमें शिकायतें भी आती हैं। यह भी होता है कि उसकी शिकायतें आती रहती हैं लेकिन इसके हम लोग प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास धन का अभाव है। यदि धन हो तो हम सभी शिकायतों को दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन ऐसा हो गया है क्योंकि अभी तक छोटे-छोटे पुरवा को भी काटाव से बचाने का प्रबन्ध हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसी में सरकार ने कटाव को रोकने के लिये प्रबन्ध किया। जिस गांव का उल्लेख मा0 सदस्य ने किया कि वहां पर कटाव हो रहा है तो क्या आप वहां पर ठोकर या फिर पक्की पिचिंग करवाने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ठोकर बनवाना या फिर पक्की पिचिंग कराना यह बड़ा खर्चीला काम है। इसलिये देखना पड़ेगा कटान बचाने के लिये कि जब पैसा हमारे पास

होता है और स्थानीय दबाव पड़ता है तो हम वहां के कटान को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे तो हजारों गांव पड़े हुए हैं कटान में तो हर गांव के कटान को बचाने के लिये हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

श्री फजलुल बारी–

माननीय मंत्री जी की मजबूरी को मैं समझ रहा हूं लेकिन उनकी मजबूरी को समझते हुए मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह राप्ती नदी के किनारे के गांव हैं। राप्ती नदी की फ्लड लेन में सिल्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मेरा कहना है कि जो मेनडर आप बना रहे हैं फ्लड लेन में तो इसके लिये माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि राप्ती नदी के पानी को रोक कर, डिसिल्टिंग करके, उसके पानी को रोक दिया जाय?

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस गांव का उल्लेख किया गया है वह एल0 आर0 पी0 रोड के निकट है। बहराइच से उतरौला और बस्ती होकर यह रोड जाती है तो क्या आप उसका कटान रोकने की कृपा करेंगे क्योंकि नहीं तो इससे रोड कट जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जितना सम्भव होता है, किया जाता है।

श्री फजलुल बारी–

न तो इनके पास कटान रोकने के लिये पैसा है, न योजना के लिये पैसा है ताकि सारा इलाका बच जाय। तो आखिर ये क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

जब आप सिंचाई मंत्री हो जाइयेगा तो यह योजना बना दीजियेगा।

(हंसी)

[दूसरा, दिनांक 14 अगस्त, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मांट ब्रांच गंगा नहर के कृषकों को आपूर्ति हेतु पर्याप्त पानी की सुविधा की मांग

*1–श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)– तथा श्री कुशलपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद का पानी खारी है और मांट ब्रांच गंगा नहर किसानों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त पानी नहीं दे पा रही है, इस कारण रबी एवं जायद की फसलों को भारी नुकसान होता है? यदि हां, तो शासन इस समस्या के समाधान के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां, मथुरा जनपद का पानी सामान्यतया खारी है। मांट ब्रांच को ऊपरी गंगा नहर में पानी की उपलब्धता के आधार पर उसके प्रतिभाग के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाता है। सघन खेती एवं उन्नतशील फसलों की सिंचाई हेतु कृषकगण अधिक पानी चाहते हैं।

टिहरी बांध परियोजना का निर्माण पूर्ण हो जाने पर इस समस्या का समाधान सम्भव हो सकेगा।

श्री कुशल पाल सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच की नहर बनायी जा रही है उससे रबी के किसानों को पानी मिल जायेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभी जो हमारी पुरानी नहरें हैं उसके बाद रबी में पानी कम होने से हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जो खरीफ की नहरें

बन रही है वह खरीफ के लिए है । लेकिन रबी में जितना पानी है उतना ही हम दे सकते हैं ।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, जब रबी की फसल में हमको पानी नहीं मिलेगा और खरीफ की फसल में मिलेगा। तो जब हमारे क्षेत्र में किसानों की जमीन सूख जायेगी तो इसको लगाने से क्या फायदा है? इसको मान्ट ब्रांच में मिला दिया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, इन सब बातों को देखते हुए कि वहां क्या फायदा होगा, ऐसा किया जा रहा है।

मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग को सीतापुर की कुछ पम्प नहरों को सुचारु रूप से चलाने के संबंध में पत्र

*2–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया कोई इस आशय का पत्र सीतापुर 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति के निर्णय का संदर्भ देते हुए 25-9-84 को अथवा उसके आस-पास मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग को मिला है, जिसमें सीतापुर की कुछ पम्प नहरों का क्षेत्र पुनः शारदा नहर को वापस देने का उल्लेख किया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां।

उक्त पत्र मुख्य अभियंता नलकूप (मध्य) के पत्रांक सी-6579/मु0 अ0 नग दिनांक 11-10 84 द्वारा अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल लखनऊ को रहीमाबाद पम्प नहर को सुचारू रूप से कार्यरत करने हेतु भेजा गया।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीतापुर जनपद में 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति ने और माननीय विधायकों ने ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं शासन के पास, वह प्रस्ताव यह है कि रहीमाबाद पम्प कैनाल के कमान्ड की जो स्थापना काल से ही काम नहीं कर सकी उसको कास करके शारदा को दे दिया जाय। आपने जो बताया कि रहीमाबाद पम्प कैनाल सुचारु रूप से चलाने के लिये दिया गया था जो सिंचन क्षमता काम आ जायेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आपके अभिलेखों से यह बात सिद्ध है और जिनकी रिपोर्ट भी यह कहती है, रहीमाबाद पम्प कैनाल सुचारु रूप से नहीं चल सकी तो इस बात से लालपुर गांव से जहां तक वह पक्की कर दी गयी है उसके आगे जहां सिंचाई उससे नहीं हो सकी है उसको उस कमाण्ड से कास करके शारदा को वापिस करने या राजकीय नलकूप लगवाकर सिंचाई व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां तक शारदा प्रणाली से पानी देने की बात है यह कहा गया कि उसमें पानी नहीं है, यह पम्प कैनाल इसीलिए बनाया गया था कि उस क्षेत्र में टेल की एरिया तक वहां सिंचाई हो सके। वहां कई कारण हैं जैसे ट्रान्सफार्मर का चोरी हो जाना आदि है और बिजली न मिलने से पम्प कैनाल सुचारु रूप से जितनी चलनी चाहिए, नहीं चल पाती है। आपने कहा, मैंने भी यह प्रयास किया है कि कैसे यह पम्प कैनाल चलायी जाय अगर न हो सके तो नलकूप लगाकर जैसे भी हो सके व्यवस्था की जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो आश्वासन दिया है लेकिन एक बात मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाकर यह बताना चाहता हूं कि जब भी हम जिलाधिकारी से मिलते हैं या अधिशासी अभियंता पर दबाव डालते हैं कि फसल नष्ट हो रही है, तो शारदा से पानी मिल जाता है, शारदा के पास शक्ति है पानी देने की। इसलिए क्या पुनर्विचार करेंगे कि जब तक राजकीय नलकूप नहीं लग जाता तब तक शारदा की लाइन बनी हुई है, पानी देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभी तक यह सूचना है कि पानी नहीं है, मैं इसको दिखवा लूंगा।

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद

*3–श्री जगदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 200 से भी अधिक अधिशासी अभियन्ता के पद रिक्त पड़े हैं? क्या यह सही है कि 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा किए हुए बहुत से पात्र सहायक अभियन्ता मौजूद हैं, जिन्हें नियमानुसार 16 वर्ष के बाद सेलेक्शन ग्रेड देकर इन पदों पर प्रोन्नत कर दिया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब इन पदों को भरने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

जी नहीं ।

वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 36 है जिनमें से 35 सिविल संवर्ग तथा 1 यांत्रिक संवर्ग में है ।

16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सहायक अभियन्ता सेलेक्शन ग्रेड के लिए अर्ह होते हैं जिन्हें चयन के पश्चात् सेलेक्शन ग्रेड देय होता है । अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति सहायक अभियन्ताओं में से चयन करने के पश्चात् की जाती है । सहायक अभियन्ता को सेलेक्शन ग्रेड देकर अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्वतः प्रोन्नत करने का प्राविधान नहीं है । सिविल संवर्ग में जिन सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारित हो चुकी है उनमें से उपयुक्त अधिकारियों को चयन के पश्चात् पदोन्नति किया जा चुका है। शेष सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुई है । ज्येष्ठता निर्धारण से संबंधित प्रकरण उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं करना है ।

जनपद बाराबंकी में सेमरी झील से बरसाती पानी के निकास के संबंध में कार्यवाही

*4–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत परगना प्रतापगंज में सेमरी झील के पानी के लिए ड्रेन न होने की वजह से बरसात में हजारों एकड़ जमीन जल भराव से प्रभावित रहती है ? यदि हां, तो सरकार सेमरी झील के पानी की निकासी के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

सेमरी झील से बरसाती पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सेमरी, प्रतापगंज तथा रसोली ग्रामों की लगभग 109 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होती है ।

2.2 कि0मी0 लम्बी सेमरी ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित था जिसमें से 0/0 से 1.5 किमी0 तक मिट्टी का कार्य एवं

1.4 किमी0 पर ग्रामीण पुल का निर्माण किया जा चुका है । काश्तकारों के विरोध एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण शेष कार्य नहीं कराया जा सका । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है । भूमि उपलब्ध होने पर ही कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, इस ड्रेन के न होने से 3 गांवों की जमीन जलमग्न रहती है। 10 वर्ष से हम स्वयं जानते हैं, यह तीनों गांव तबाह रहते हैं और मा0 मंत्री जी ने बताया कि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही कब पूरी हो जायेगी। मान्यवर, 109 हेक्टेयर भूमि जलमग्न रहती है तो वहां के किसानों को आप क्या छूट देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मा0 सदस्य देखेंगे कि यह योजना 2.2 किलोमीटर की है और 1.5 किलोमीटर की ड्रेन बन गयी है। जो बीच की भूमि है लगभग एक किलोमीटर उसे काश्तकारों ने रोक रखा है, तो उस भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी और उसको जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मा0 मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह ड्रेन कब तक पूरी हो जायेगी और जो 109 हेक्टेयर भूमि जल मग्न रहती है, वहां के किसानों का भू-राजस्व माफ करने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह चीज रेवेन्यू विभाग जानता है कि कहां पर राजस्व को माफ किया जाये और कहां पर न किया जाये। झील है और उसके पानी से वहां पर वाटर लागिंग हो जाती है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो नहरें खुदी हैं, उन्हीं के कारण वाटर लागिंग शुरू हुई है। 10 वर्ष से यह समस्या उत्पन्न हुई है और घरों में सीपेज की समस्या है तो क्या मंत्री जी वहां के किसानों को राजस्व से छूट देंगे और आप वहां पर रिक्वीजिशन की कार्यवाही करेंगे जिससे कि ड्रेन जल्दी से बन जाये?

(प्रश्न संख्या 5 पुकारे जाने पर)

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मा0 मंत्री जी ने दिया ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह तो दिया है कि जल्दी से जल्दी करा देंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो रूल्स के अन्तर्गत संभव होगा, वह करा दिया जायेगा।

बाराबंकी में निर्मित रासायनिक काम्प्लेक्स में उद्योग लगाने के लिये वर्किंग कैपिटल प्राप्त करने हेतु बैंकों को दिया गया आवेदन-पत्र

*5–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बाराबंकी में निर्मित रासायनिक काम्प्लेक्स में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित उद्यमियों को स्टेट बैंक द्वारा सेकेण्ड चार्ज पर वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने का आश्वासन यू0पी0एस0आई0 सी0 के अधिकारियों द्वारा 29 जून, 1977 को कानपुर में आयोजित उद्यमियों के साथ वृहद बातचीत के दौरान दिया गया था? यदि हां, तो उक्त आश्वासन कहां तक पूरा किया गया? यदि नहीं, तो उद्योग विभाग इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री मोहम्मद सफी उर्रहमान अंसारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। वर्किंग कैपिटल प्राप्त करने के लिए बैंकों को आवेदन पत्र देने पर बैंकों द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराई जाती है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाराबंकी में रासायनिक काम्प्लेक्स का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा और उसमें कितने शेड हैं, कितनों में उद्योग चल रहे हैं और कितने खाली पड़े हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, बाराबंकी में यह काम्प्लेक्स 1975-76 में शुरू हुआ था इसमें 30 शेड हैं। 10 लोगों ने प्रस्ताव किया था और जिनमें से 7 लोगों को चुन लिया गया है और इन 7 जगहों में से 3 जगहों पर काम प्रारम्भ हो गया है और 6 के लीज पूरे हो गये हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा 30 शेड सन् 75 में बन गये थे और यह सन् 85 चल रहा है। केवल तीन ही चालू हो पाये हैं। इस बात को ध्यान में रखकर क्या आप कोई विशेष सहायता उद्यमियों को उद्योग चलाने के लिये देने की कृपा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, ये शेड खाली नहीं पड़े हैं। इनमें से 14 शेड वेयर हाउसिंग को दिये गये हैं और अपट्रान से बात चल रही है कि वह अपना शेड लगाकर उसमें अपनी योजना चलाये। बाकी उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि एफ0 सी0 आई0 को दिया गया है। तो जो रासायनिक काम्पलेक्स बनाया गया है यह उद्योग चलाने के लिये बनाया गया था या दूसरे विभागों को किराये पर देने के लिए बनाया गया था?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, ये खाली न पड़े रहें और चूंकि उनका भी उद्योग है, इसलिये वेयर हाउसिंग को दिये गये थे।

प्रदेश में पंजीकृत एवं अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या

*6–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत एवं अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है? इन बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार गारन्टी योजना, सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? क्या सरकार बेरोजगार युवकों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में दिनांक 31-12-84 को कुल बेरोजगारों की संख्या 18,77,041 थी, जिसमें अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 7,04,697 है। इसमें हाईस्कूल से नीचे शिक्षा प्राप्त, तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं कुशल/अकुशल वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं।

बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार गारन्टी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। वास्तव में एक योजना "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी

कार्यक्रम'' के नाम से राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है और अब भी है। प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत करा कर उन्हें रोजगार दिलाने की कार्यवाही की जा रही है तथा श्रम विभाग (प्रशिक्षण प्रखण्ड) के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवायोजकता बढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बेरोजगार एवं अर्द्धरोजगार को सीमित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन0आर0ई0 पी0) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर0 एल0 जी0 इ0 पी0) एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (आई0 आर0 डी0 पी0) शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ट्राईसम योजना, उद्योग विभाग द्वारा संचालित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग लगाने हेतु स्वत: रोजगार योजना, शहरी दुर्बल वर्गों के सहायतार्थ योजनाएं एवं हरिजन कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना चलाई जा रही हैं। यह सब योजनाएं रोजगार प्रदत्त योजनाएं हैं और इनका उद्देश्य नये रोजगार के अवसर सृजित करना है।

बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की नई योजना चलाना शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्भव नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि प्रदेश में पौने अट्ठारह लाख बेरोजगार ऐसे हैं जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और सबसे महती समस्या नौजवानों के सम्बन्ध में यह है कि उनके लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है। उत्तर में मंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश के संसाधनों को देखते हुए यह सम्भव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय युवा प्रधान मंत्री पूरे देश में युवा वर्ष मना रहे हैं तो प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिये क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्र के युवा प्रधान मंत्री से इस बात की संस्तुति करेंगे कि वे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिये कोई योजना चलाने की कृपा करेंगे? दूसरी बात यह है कि आज जो नौजवान प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और दो, तीन-चार साल तक उन्हें कोई रोजगार न मिलने के कारण वे ओवर-एज हो जाते हैं तो जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये आप एज का एग्जेम्प्शन देते हैं उसी तरह से इन बेरोजगारों के लिये जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, जितने दिन तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, उतने दिन तक उन्हें भी एज एग्जम्पशन देने की कृपा करेंगे?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का केन्द्र सरकार को लिखने का प्रश्न है माननीय सदस्य के विचार

बुरे नहीं हैं इस पर विचार किया जा सकता है। दूसरी बात जो कही एज लिमिट जो पार कर लेते हैं उनको छूट देने के सम्बन्ध में उसमें वर्तमान नियमों में कोई इस प्रकार का प्राविधान छूट का सम्भव नहीं है। लेकिन इस पर कोई प्रस्ताव हो और सब लोग मिल बैठ कर विचार कर लें तो सब कुछ हो सकता है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सम्भव नहीं है मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक शिष्ट मंडल माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से मार्च और अगस्त के प्रथम सप्ताह में मिला था रोजगार गारन्टी योजना चालू करने के लिये और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

जानकारी की जायेगी मान्यवर।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह महाराष्ट्र सरकार की रोजगार गारन्टी योजना का अध्ययन करवा कर उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी उन्मूलन कराने पर विचार करेंगे?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, उत्तर में मुख्य जो बात कही है कि सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सम्भव नहीं है। अगर हमारे संसाधन बढ़ते हैं तो ऐसी योजनाओं के लिए ही तो शासन है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय द्विवेदी जी ने जो पूछा है ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो लोग रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत हैं उनको संपर्क मार्गों, पुल, पुलियों के निर्माण आदि अन्य जो कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत काम हो रहे हैं उनमें इन लोगों को योग्यतानुसार मेट आदि के रूप में या जो कार्य वह करना चाहते हैं उन्हीं से काम कराया जायेगा?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, एक साफ नियम है जब कभी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में वैकेंसीज होती हैं उनको भरने के लिए हमारे इम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे जाते हैं और उनकी योग्यता और वरिष्ठता देखते हुए नाम भेजे जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1984 में इस प्रकार के 31,632 लोगों को वैतनिक तौर पर रोजगार दिया गया और 6928 लोगों को अन्य रोजगार उपलब्ध कराये गये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहला यह कि भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसपल्स में काम प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है क्या उसको आप पूरा करेंगे? दूसरा जो आपने प्रश्न के उत्तर में बताया है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, स्वतः रोजगार योजना आदि जो हैं उनमें जो रोजगार प्राप्त हो रहा है उसमें कितने लोगों को अस्थाई प्रकृति के और कितने लोगों को स्थायी प्राकृति के रोजगार दिये गये।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न का सम्बन्ध सीधे हमारे उत्तर से संबं-

धित नहीं है लेकिन फिर भी यदि वह जानना चाहेंगे तो जानकारी करके बताया जा सकता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है उसमें मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो आपकी रोजगार योजनायें हैं, उनमें कितने लोगों को अस्थायी प्रकृति के और कितने लोगों को स्थायी प्रकृति के रोजगार दिये गये। आपने जो आंकड़े बताये उसमें सभी लोगों को जोड़ लिया है। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि कितने लोगों को स्थायी और कितने लोगों को अस्थायी प्रकृति के रोजगार इन सभी योजनाओं में दिये गये?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि सूचना प्राप्त करके अवगत कराया जा सकता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

तो इसे स्थगित करा दीजिये।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार की तरह से शिक्षित बेरोजगारों को छोटे-छोटे लघु उद्योग लगाने में प्राथमिकता देंगे और अन्य शिक्षित बेरोजगारों के लिये छोटे-छोटे रूटों पर बसों के परमिट देने की कोई योजना क्या सरकार के विचाराधीन है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

एक तो नहीं, क्योंकि न जाने कितनी योजनायें लघु उद्योग के लिये हैं और बड़े उद्योग के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य चाहते हैं कि जो बेरोजगार हैं, उनको छोटे-छोटे रूटों पर बस परमिट या सहायता देना सम्भव हो सकेगा?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

मान्यवर, यह मामला परिवहन विभाग से संबंधित है, तो मैं क्या इसमें कर सकता हूं?

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, बहुत सी योजनायें बतायी हैं जैसे ट्राइसम योजना, स्वतः रोजगार योजना में ऋण देना और इसके अलावा कई योजनायें हैं। तो क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण कराया है या करायेंगी कि इन योजनाओं के तहत जो सहायता मिल रही है उसके आधार पर लोग अपने उद्योग लगाने में सफल हो रहे हैं या ट्राइसम योजना सफल हो रही है क्योंकि इस योजना के तहत काम मिलना लोगों को सम्भव नहीं हो पा रहा है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

मान्यवर, समय समय पर तो इसकी जांच की जाती है लेकिन जैसी मा0 सदस्य की मंशा है उसमें अवश्य देखा जायेगा कि जिनको सहायता, ऋण दिया गया, उनको वास्तव में लाभ हुआ है कि नहीं।

सीतापुर जिले के लहरपुर क्षेत्र में शारदा नहर के जल रिसाव को समाप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*7–श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के लहरपुर क्षेत्र में शारदा नहर के पानी के रिसाव की समस्या को हल करने के लिए शासन स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? इसमें अब तक कितना लाभ हुआ है और जल रिसाव को समाप्त करने के लिये शासन आगे क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सीतापुर जिले के लहरपुर क्षेत्र में शारदा सहायक पोषक नहर के पानी के रिसाव की समस्या को हल करने के लिए प्रथम चरण में अब तक लगभग 30 कि0 मी0 लम्बी ड्रेनों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है, तथा शेष बचे क्षेत्र को जल रिसाव से मुक्त कराने हेतु 12 कि0मी0 और नई ड्रेनों के कार्य को कराना प्रस्तावित है। शारदा सहायक पोषक नहर की लाइनिंग करना विचाराधीन है।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 12 कि0 मी0 और नई ड्रेनों के कार्य लहरपुर क्षेत्र में बनाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जैसा उत्तर में बताया गया है कि 42 कि0 मी0 बनाना था जिसमें 30 कि0 मी0 तो बन गया है, बाकी में काम हो रहे हैं समय के बारे में अभी नहीं बता सकता हूं। तो 12 कि0 मी0 में काम हो रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, शारदा सहायक पोषक नहर की लाइनिंग करना जो विचाराधीन है वह कब तक बन जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभी तो योजना बनायी है, प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष लाईनिंग का काम शुरू करेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सीवेज. के सम्बन्ध में पिछले सप्ताह यहां कार्य स्थगन में प्रस्ताव दिया गया था तो उसमें कहा गया था कि लाईनिंग का निर्णय हो चुका है और मई जून में सातवीं पंचवर्षीय योजना में काम किया जायेगा किन्तु अभी उत्तर दिया गया कि यह विचाराधीन है। तो क्या सही है ? और शारदा सहायक पोषक नहर की ही लाईनिंग होगी या बाराबंकी में दरियाबाद शाखा है उसकी भी लाईनिंग करायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, पहले तो शारदा सहायक पोषक नहर की लाईनिंग होगी और उसके बाद और कहीं काम होगा।

उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम के अधिकारियों के कथित त्याग-पत्र

*8–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम के 18 अधिकारियों (इंजीनियर, असिसटेन्ट इंजीनियर एवं प्रोजेक्ट मैनेजर) द्वारा अप्रैल, 1985 के अन्त में त्याग-पत्र दिए गए ? यदि हां, तो त्याग-पत्र के क्या कारण दिखाए गए ? क्या मंत्री जी ने कारणों के औचित्य एवं अनौचित्य पर भी विचार किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद की कांच चूड़ी कारोबार करने वाली इकाइयों को कोल बैगन की सप्लाई

*9–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच-चूड़ी कारोबार को आवंटित 2,400 कोल बैगन में से वर्ष 1984 में केवल 1400 बैगन ही प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?क्या यह सही है कि केवल 1400 वैगन कोल

की सप्लाई से फिरोजाबाद का कांच चूड़ी-कारोबार में लगे लाखों लोग बेकार हो गए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या उपाय किए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

वर्ष 1984 में फिरोजाबाद की कांच चूड़ी कारोबार करने वाली समस्त इकाइयों को 7990 वैगन कोयला आवंटित किया गया था जिसमें से इन्हें केवल 3671 वैगन कोयला रेल द्वारा प्राप्त हुआ था । इस कमी का कारण वांछित मात्रा में वैगन उपलब्ध न होना है । यह कहना सही नहीं है कि कोयले की कमी के कारण उक्त उद्योग में लगे लाखों लोग बेकार हैं । कोयले की कमी को दूर करने हेतु कोयला सड़क द्वारा और कोल इण्डिया लि0 के डम्प द्वारा भी आवंटित किया जाता है। अधिक वैगनों के आवंटन हेतु भारत सरकार के रेलवे विभाग से सम्पर्क किया जाता रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जैसा मंत्री जी ने बताया है कि हमने 7990 वैगन कोयला आवंटित किया, किन्तु 3671 वैगन कोयला ही आपने सप्लाई किया, तो लोगों की मांग है 7990 वैगन और आप दे पा रहे हैं 3671 वैगन, इस प्रकार कमी रह गई 4319 वैगन की, तो इस कमी के रहने से जो उद्योग पर कुप्रभाव पड़ा, उसको दूर करने के लिये क्या आप 4319 वैगन कोयला उन्हें तुरन्त सप्लाई कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

हमारे राज्य में 2 लाख 40 हजार वैगन की आवश्यकता है और उसमें से 30 हजार वैगन कोयला ही मिल पाता है, इसलिये कि वैगन की कमी है। निरन्तर प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक वैगन प्राप्त हो जाय और हमें जो एलाट होता है वह 90 हजार वैगन ही एलाट हो पाता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि फिरोजाबाद को आवंटित कोल में से पिछले साल 84 की सप्लाई, 85 के अगस्त में हो पायी है ? इसको ध्यान में रखते हुए क्या अगले साल (85) की सप्लाई, जिसमें 4 महीने ही शेष रह गये हैं, वह शीघ्रातिशीघ्र कब तक पूरी करा देंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जैसे ही पुराने एलाटमेंट का कोयला हमें प्राप्त होगा, उसके अनुसार हम प्रदेश के हर हिस्से में कोयला पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मंत्री जी फिरोजाबाद में कांच उद्योग की उपयोगिता को देखते हुए, वहां के उद्योग के हित में अगले साल की सप्लाई दिसम्बर तक करा देने हेतु, वैगन प्राप्त कराने की संस्तुति करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

भारत सरकार से हम पूरे वैगन जो एलाट हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं। यदि यह एलाटेड वैगन मिल गये तो फिरोजाबाद की आवश्यकता की भी पूर्ति करने का प्रयास हम जरूर करेंगे।

बाढ़खण्ड, देवरिया के चतुर्थ उप खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता का कार्यकाल

*10–श्री हर्ष बर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ खण्ड देवरिया के चतुर्थ उप खण्ड में पिछले 5 वर्षों से सहायक अभि-

यन्ता के पद पर अधिकारी कार्यरत हैं और इस बीच उनका स्थानान्तरण भी हुआ है? यदि हां, तो उन्हें किन परिस्थितियों में रोका गया?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ खण्ड देवरिया के चतुर्थ उप-खण्ड में जो सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं, उनको अभी वहां पर कुल कितना समय हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो अभी कार्यरत हैं, यह 13-7-85 से कार्यरत हैं।

मुरादाबाद जनपद में गजरौला इण्डस्ट्रियल एरिया हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव

*11–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद में गजरौला इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए और अधिक भूमि का अधिग्रहण करने का फैसला कानपुर इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार यह देखते हुए कि अभी तक अधिग्रहीत की गयी भूमि का उपयोग नहीं हो पाया है, उक्त फैसले को स्थगित करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

जी हां, मुरादाबाद जनपद में गजरौला इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए पूर्व में अधिग्रहीत भूमि के अतिरिक्त भी भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर द्वारा अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है। उक्त प्रस्ताव भविष्य में क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु वांछनीय है, और सरकार इसको स्थगित करने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

यह गजरौला इण्डस्ट्रियल एरिया में 78-79 में मिला था, तभी यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने उस जमीन को अधिगृहीत किया था, किन्तु अब तक उस जमीन का उपयोग नहीं हुआ है, तो 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस जमीन का उपयोग नहीं हो पाया है, अब वह कौन सी वांछनीयता है जिसकी वजह से आप इसे कर रहे हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, गजरौला एक विकासशील क्षेत्र है। वहां पर 478 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी थी। उसमें से 166 एकड़ भूमि पर इकाइयां लग गयी हैं। 140 एकड़ भूमि के लिये 8 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो गये हैं। शेष लगभग 72 एकड़ भूमि सड़क, पार्क, स्कूल और अस्पताल के लिये आवश्यक है। 100 एकड़ जमीन जो बची है उसके लिये प्रार्थना-पत्र निरन्तर आ रहे हैं इसलिये भविष्य के विकास के लिये आवश्यक है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो हिसाब बताया उसको मैं सच माने लेता हूं। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कृपा करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है और उन्हीं की जमीन फिर अधिग्रहीत की जाने वाली है लेकिन 8 साल हो गये हैं उनको

अभी मुआवजा नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगा कि क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिन लोगों को बकाया मुआवजा मिला नहीं है तो उनको मुआवजा दिलवाने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के एग्रीमेंट में मुआवजा देने का जो प्राविधान है तो सारा मुआवजा का रुपया पहले जमा हो जाता है। कलेक्टर उसकी जांच पड़ताल करता है और एवार्ड फिक्स करता है। जो एवार्ड तय हो गये हैं उनके पैसे का वितरण कर दिया गया है। अभी 36 लाख रुपया 50 व्यक्तियों को अग्रिम देना बाकी है। इसको शीघ्र दिलवाने का प्रयास करेंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है अभी किसी भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है, लोगों को अग्रिम धन दिया गया है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा 50 लोग ऐसे हैं जिनको एक पैसा भी नहीं मिला है। उन किसानों के पास रोजगार का कोई और साधन नहीं है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनका जो पैसा है उसका सम्पूर्ण भुगतान होने के बाद ही वह शेष भूमि को अधिग्रहीत करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसको जल्दी करा दीजिये।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जो काश्तकार हैं उनको अपनी भूमि का अधिक से अधिक मुआवजा मिले इस वजह से जो उनके लिये मुआवजा फिक्स किया गया है वह लेने से इंकार कर देते हैं और अपील करते हैं। जो न्यायिक मामले हैं उस पर जिलाधिकारी विचार कर रहे हैं। फिर भी शीघ्रता करने के लिये हम विचार करेंगे।

ग्राम मलहा, पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ में अर्द्धनिर्मित नलकूप

*12–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मलहा, पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ में कितने सरकारी ट्यूबवेल अर्द्ध निर्मित स्थिति में लावारिस पड़े हैं तथा उनके इर्द-गिर्द सैकड़ों एकड़ भूमि पर खड़ी फसल सूख जाती है? क्या सरकार सिंचाई की भीषण समस्या को देखते हुए उक्त ट्यूबवेलों को तुरन्त पूर्ण कराकर चालू करने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम मलहा, पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ में सिंचाई विभाग का कोई भी नलकूप अर्द्ध निर्मित स्थिति में लावारिस नहीं पड़ा है। उक्त ग्राम में सिंचाई विभाग का केवल राजकीय नलकूप संख्या-27 मलिहाबाद समूह है, जो कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में हुई अनियमितता की जांच

*13–डा0 बंगाली सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में अवर अभियन्ताओं के वर्ष 1984 के सामान्य स्थानान्तरण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच की गई थी? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है? क्या यह सही है कि अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले क्लर्क ने वर्ष 1984 में खदरा, लखनऊ में लाखों रुपये की लागत से कोई मकान बनवा लिया है और अब भी उसी सीट पर तैनात है? यदि हां, तो क्या सी0 बी0 आई0 या सी0 आई0 डी0 से इसकी जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां। सतर्कता जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही का उल्लेख जनहित में अभी किया जाना उचित नहीं है।

क्लर्क के बयान के अनुसार वर्ष 1984 में उसने खदरा, लखनऊ में कोई मकान नहीं बनवाया है। यह सही है कि क्लर्क उसी सीट पर तैनात है। चूंकि मामले में सतर्कता जांच कराई जा चुकी है, अतः सी0 बी0 आई0 या सी0 आई0 डी0 से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

सुल्तानपुर करहवा ताल से निकलने वाले नाले पर रेलवे पुलिया चौड़ी किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*14–श्री मुईद अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर करहवा ताल से निकलने वाले नाले पर रेलवे लाइन पर स्थित पुलिया पतली होने के कारण पानी नहीं बह पाता है जिससे हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन जलमग्न रहने से प्रत्येक किसान खेती से वंचित रहता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी रेलवे पुलिया को रेलवे विभाग से चौड़ा कराने की संस्तुति करने व नाले की पूरी खुदाई कराकर वहां के किसानों को होने वाले भारी नुकसान से बचायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां। रेलवे पुलिया चौड़ी कराने के लिये रेलवे विभाग से बैठक एवं पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

श्री मुईद अहमद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो रही है और काश्तकारों का नुकसान हो रहा है। तो इसको देखते हुए रेलवे विभाग से कोई बैठक की गयी और पत्राचार किया गया है या अब उसको करेंगे? प्रश्न के जवाब से स्पष्ट नहीं हो रहा है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह रेलवे विभाग से कई बार लिखा-पढ़ी हो चुकी है और बार-बार यह प्रयास किया जा रहा है कि वह इसको कर दें।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, अभी दूसरे प्रश्न में माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि

रेलवे विभाग से लिखा-पढ़ी हो चुकी है। तो वह लिखा-पढ़ी क्या है और उस पर रेलवे विभाग का जवाब क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह कहा गया है कि इसको चौड़ा करना है, अब जवाब तो यहां पर नहीं रखा है कि क्या है, लेकिन लिखा-पढ़ी चल रही है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, रेलवे विभाग की लिखा-पढ़ी मैं जानता हूं। वह रेलवे विभाग का नाला है, उसको सिंचाई विभाग ने बनाया है, इसलिये सिंचाई विभाग पैसा देगा, तो रेलवे विभाग बना देगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, सिंचाई विभाग पैसा देने के लिए तैयार है। सिंचाई विभाग पैसा दे देगा, वह पुलिया बना दें।

चीनी मिल मजदूर यूनियन, घुघली तथा शासकीय आदाता एवं आदर्श चीनी मिल मजदूर संघ के पदाधिकारियों के मध्य लिखित समझौता

*15–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 18 सितम्बर, 84 को तत्कालीन राज्य गन्ना विकास मंत्री तथा घुघली चीनी मिल मजदूर यूनियन घुघली (गोरखपुर) के पदाधिकारियों तथा शासकीय आदाता के बीच कोई लिखित समझौता हुआ था? यदि हां, तो उसका परिपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

दिनांक 18-9-84 को तत्कालीन राज्य मंत्री गन्ना विकास के समक्ष मेसर्स पंजाब शुगर मिल कं0 लि0, घुघली (गोरखपुर) की समस्याओं के सम्बन्ध में मिल के तत्कालीन शासकीय आदाता तथा चीनी मिल मजदूर यूनियन एवं आदर्श चीनी मिल मजदूर संघ के पदाधिकारियों के मध्य विवादित विषयों पर लिखित सहमति हुई थी।

पक्षों में हुई आपसी सहमति के अनुसार 17 सीजनल पल्लेदारों को आफ सीजन में सितम्बर, 1984 से महीने के आधे-आधे कार्यदिवसों में बराबर-बराबर काम दिया जा रहा है।

लिखित सहमति के अनुपालन में अवैध रूप से नियुक्त पांच श्रमिकों को तत्कालीन आदाता ने दिनांक 22-9-84 को अलग-अलग एक माह की नोटिस देते हुए सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया। इनमें से एक श्रमिक श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके दिनांक 11-10-84 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, अतः इस बिन्दु का कार्यान्वयन रुक गया।

चूंकि उक्त सहमति उ0 प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत निर्धारित समझौते के प्रारूप पर नहीं है इसलिये उक्त सहमति को समझौता की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसका आखिरी पैराग्राफ मान्यवर, आप देखें। लिखित सहमति के अनुपालन में अवैध रूप से नियुक्त पांच श्रमिकों को तत्कालीन शासकीय आदाता ने दिनांक 22-9-84 को अलग-अलग एक माह की नोटिस देते हुए सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया । इसमें से एक श्रमिक

श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके दिनांक 11-10-84 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, अतः इस बिन्दु का कार्यान्वयन रुक गया। चूंकि उक्त सहमति उ0 प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत निर्धारित समझौते के प्रारूप पर नहीं है, इसलिये उक्त सहमति को समझौता की संज्ञा नहीं दी जा सकती । मान्यवर, पांच लोगों की नियुक्ति शासन ने अवैध मान लिया और एक जो है, उसके लिए सहमति हुई है। उसके लिए यह है कि एक महीने की नोटिस दे दें या एक महीने की तनख्वाह दे दें। तो मान्यवर, जब नियुक्ति अवैध थी, तो उनको एक महीने की तनख्वाह देकर हटा देना चाहिए था, लेकिन रेसीवर ने जान-बूझकर उसे अदालत में जाने का मौका दिया है और शासकीय आदाता ने जो यह कार्य किया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही का आश्वासन देंगे ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

मान्यवर, 18 सितम्बर, 1984 को जो सहमति हुई थी, उसमें माननीय सदस्य मौजूद थे और उसके बाद फिर 13 जनवरी को दूसरी बैठक होती है...

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, उत्तर नहीं आ रहा है, समय व्यतीत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे? माननीय मंत्री जी सिर्फ इसका उत्तर दे दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, 5 लोगों की नियुक्ति अवैध हुई है, उनको एक महीने का वेतन देकर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं निकाला गया। उन पांचों लोगों में से एक कोर्ट में चला गया, क्योंकि आपने उसे कोर्ट में जाने के लिए मौका दे दिया। शेष चार आदमियों को निकालने के लिए माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

मान्यवर, जब आपसी समझौता से विवाद को खत्म किया जा रहा है और सौभाग्य की बात यह है कि पहली मीटिंग में माननीय सदस्य मौजूद थे..

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, हां, नहीं में उत्तर दिलवा दीजिए, माननीय मंत्री जी समय जाया कर रहे हैं। मान्यवर, जब पांच नियुक्ति अवैध थी, एक आदमी अदालत में गया, चार आदमी नहीं गये, तो उन चार आदमियों को सेवा से पृथक न करने का क्या कारण है?

श्री चेतराम गंगवार–

समय जाया कर रहे हैं, यह संसदीय है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। ओझा जी मंत्री जी कह चुके हैं कि समझौते से जो चीज तय हो सकती है...

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर कह रहे हैं, सर पर मारेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्त रहें। जो बात समझौते से तय हो सकती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह तय हुआ था कि पांच लोगों की नियुक्ति अवैध है, इनको निकाल दिया जाय। एक महीने का वेतन

देकर उनको निकाल देना चाहिये था नहीं निकाला गया। उनको एक महीने का मौका दिया गया और वह कोर्ट में चले गये। एक कोर्ट में गया 4 लोग नहीं गये। यह आश्वासन दिला दें कि 4 को निकाल देंगे।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

मेरी बात माननीय सदस्य नहीं सुन रहे हैं। 13 जनवरी को समझौता हुआ उसके बाद 28-5 को यह हुआ कि डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 से उनके चरित्र की जांच करा ली जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, स्थगित कर दें।

कानपुर जे0 के0 रेयन मिल को चालू किये जाने हेतु किये गये प्रयास

*16–श्री मनोहर लाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर का जे0 के0 रेयन मिल विगत 3 साल से बंद है जिसके 3200 मजदूर भूखों मर रहे हैं? उसे कब तक चालू कर दिया जायेगा और सरकार इसमें क्या प्रयास कर रही है ?

श्री सैयद सईदुल हसन–

मेसर्स जे0 के0 रेयान दिनांक 16-5-1983 से बन्द है तथा बन्दी से लगभग 1871 श्रमिक प्रभावित हैं इस प्रतिष्ठान को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार से अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट सन् 1951 के अन्तर्गत अधिग्रहीत/प्रबन्धित कर चलाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया की जा रही थी परन्तु कतिपय कानूनी अड़चनों के कारण इस सम्बन्ध में अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है।

*17–श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

[25वें मंगलवार में तारां0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड में औद्योगीकरण की गति को तेज किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*18?कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए अब तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की गयी हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस विषय में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

उद्योग निदेशालय

बुन्देलखण्ड में औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिये लघु/लघुत्तर एवं वृहद् उद्योगों को लगाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी । इन केन्द्रों में सामान्य प्रबन्धक, मैनेजर टेक्नोलाजी, मैनेजर मार्केटिंग इत्यादि अधिकारी उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें प्राविधिक जानकारी प्रदान की जाती है, स्कीमें उपलब्ध करायी जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराके उद्योग लगाने को प्रोत्साहित किया जाता है।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का सयय समाप्त हो गया ।

(अनुमन्य सुविधाओं की संक्षिप्त सूची संलग्न है)।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने की नीति चालू रखी जायेगी। वर्ष 1985-86 में 875 लघु स्तरीय उद्योग लगाने तथा 2400 आटोंजन उद्योग लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारी और मध्यम उद्योगों को लगाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।

हथकरघा निदेशालय

बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास हेतु हथकरघा निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षों में रु0 10.98 लाख व्यय किये गये तथा वर्ष 1985-86 हेतु रु0 9.93 लाख परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त हथकरघा निगम द्वारा 3964 करघों का अधिग्रहण करके उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गयी है तथा उनके माध्यम से वर्ष 1984-85 में रु0 58.77 लाख कीमत का कच्चा माल बुनकरों को उपलब्ध कराया गया और रु0 70.24 लाख कीमत के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कराया गया। बुनकरों को तकनीकी जानकारी के लिए निगम द्वारा ललितपुर तथा कालपी में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनके अन्तर्गत अब तक 2740 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना में हथकरघा निगम, जनपद झांसी में एक प्रोसेस हाउस की स्थापना पर विचार कर रहा है। ट्रापिकल टसर रेशम विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु0 50 लाख का परिव्यय सातवीं योजना में प्रस्तावित है।

उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

खादी ग्राम उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 31-3-85 तक 3515 इकाइयां स्थापित हुई जिन पर 148.02 लाख रुपये का विनियोजन हुआ। वर्ष 1985-86 में 1089 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य है जिन पर 72.41 लाख रुपये का विनियोजन होगा। इसके अतिरिक्त एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा भी वर्ष 1985-86 में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 4000 इकाइयां स्थापित की जायेंगी।

खनिज सेक्टर

इसी प्रकार खनिज सेक्टर में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम द्वारा जिला ललितपुर में राकफास्फेट खनिज का खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा इसके भण्डारों पर आधारित उद्योग लगाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। जिला बांदा में बाक्साइट खनिज का खनन किया गया है और मानिकपुर में सिन्थेटिक इमरी का एक छोटा संयंत्र स्थापित किया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

खनिज सेक्टर में सातवीं पंचवर्षीय योजना में उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम द्वारा निम्नलिखित योजनायें बुन्देलखण्ड में प्रस्तावित हैं :—

(1) फ्लोट ग्लास परियोजना, जनपद बांदा।

(2) फ्लोट ग्लास के अनुप्रवाही उद्योग की स्थापना।

(3) पाइरोफिलाइट तथा डायसपोर की प्रोसेसिंग का कार्य जनपद ललितपुर।

(4) एलीमेन्टल फास्फोरस निर्माण इकाई जनपद ललितपुर ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 142 पर)

जनपद फैजाबाद स्थित मड़हा नदी की सफाई हेतु आवंटित धनराशि

*19–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित मड़हा नदी की सफाई के लिए शासन से कितनी धनराशि वर्ष 1983-84 व 84-85 में आवंटित की थी, जिसके बारे में लाखों रुपये के घोटाले का मामला प्रकाश में आया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन से कोई धनराशि वर्ष 1983-84 व 84-85 में मड़हा नदी की सफाई के लिए विशेष रूप से आवंटित नहीं की गई थी। वर्ष 1983-84 में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के निर्देशानुसार स्थान-स्थान पर घने बेहया झाड़ एवं कुछ बन्धों को काटा गया था जिस पर 1,68,605.50 रुपया व्यय हुआ था।

वर्ष 1984-85 में मड़हा नदी की सफाई पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। इसके बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराने पर इसमें कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ।

आगरा जनपद की तहसील बाह में चम्बल लिफ्ट नहर परियोजना की स्वीकृति तथा प्रगति

*20–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की बाह तहसील की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम कब पास हुई थी और आज तक उस पर क्या प्रगति हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद की तहसील बाह में चम्बल लिफ्ट नहर परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति फरवरी, 1979 में रुपये 663 लाख की लागत से दी गई थी। माह जून, 1985 तक इस परियोजना पर रुपये 159.07 लाख व्यय किये जा चुके हैं एवं 1.44 कि0 मी0 लम्बी लिंक नहर, दो साइफन, भण्डार गृह व भवनों का निर्माण किया जा चुका है।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री शारदानन्द अंचल–

[दिनांक 7-8-85 का अता0 प्र0 संख्या 104 द्वारा उत्तरित]

प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा जांच

2–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के खिलाफ मुख्य मंत्री, श्रम मंत्री, निदेशक प्रशिक्षण को मई/जून, 1985 में कर्मचारियों और जनता की ओर से शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन–

प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर्मचारियों तथा जनता की ओर से निदेशक को सम्बोधित 7 शिकायती पत्र माह मई/जून, 1985 में प्राप्त हुए थे जिनमें

से एक पत्र माननीय श्रम राज्य मंत्री को, एक माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार को तथा दो माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित थीं।

एक शिकायती-पत्र जो कर्मचारियों के वेतन की कटौती से संबंधित था, का निस्तारण किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में संबंधित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही के बाद वेतन भुगतान कर दिया गया है। तीन शिकायती पत्रों पर प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई से आख्या मांगी गई है, शेष तीन शिकायती पत्रों पर क्षेत्रीय उप-निदेशक, लखनऊ मण्डल से विस्तृत जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश नारायण यादव आबकारी निरीक्षक (प्रथम श्रेणी) के विरुद्ध कार्यवाही

3–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश नारायण यादव, आबकारी निरीक्षक (प्रथम श्रेणी) के विरुद्ध श्री एस0 बी0 सिंह, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, अवर अपराधिक मैजिस्ट्रेट, बस्ती के आबकारी आयुक्त को लिखे अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19-6-85 के विषय में अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

शासन द्वारा आबकारी आयुक्त को इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप संख्या 126 व 131, सीतापुर के पम्प हाउस तथा नालियों हेतु भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की मांग

4–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 126 सीतापुर के पम्प हाउस तथा नालियां जिस भूमि पर बनी हैं उसका मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया जबकि नलकूप बने 4 वर्ष हो चुके हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय नलकूप संख्या-126 सीतापुर के पम्प हाउस तथा नालियों का भूअर्जन सम्बन्धित प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, सीतापुर द्वारा भेजा जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही मुआवजा का वितरण किया जा सकेगा।

5–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 131 सीतापुर का पम्प हाउस तथा नालियां बने 4 वर्ष हो चुके हैं परन्तु अभी तक मुआवजा न दिए जाने का क्या कारण है? किस-किस जोतदार की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद सीतापुर के ब्लाक खैराबाद में बने राजकीय नलकूप संख्या–131 सीतापुर समूह के पम्प हाउस तथा नालियों का भू-अर्जन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सीतापुर के पत्रांक– 2997, दिनांक– 1-10-82 द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुरखीरी को भेजा जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता से भेजे जाने वाले

भू-अर्जन प्रस्ताव में नियमानुसार केवल प्रत्येक संबंधित खेत की संख्या एवं क्षेत्र-फल ही अंकित किये जाते हैं। प्रति-कर के वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा की जाएगी।

श्री हनुमंत सहाय मिश्र उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स, मजदूर यूनि-यन द्वारा दिये गये पत्र में आरोपों की जांच

6—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हनुमंत सहाय मिश्र उपा-ध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स मजदूर नामक यूनियन ने कोई पत्र दिनांक 21-6-85 को अकबरपुर, जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल के प्रबन्धक को लिखा है? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य आरोप क्या है? क्या उनकी जांच शासन, जिला अधिकारी, फैजाबाद के माध्यम से अथवा सी0 आई0 डी0 से करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। प्रश्नगत पत्र में मुख्यतः अकबरपुर कताई मिल में श्रमिकों को अनियमित रूप से निलंबित एवं सेवा मुक्त करने, श्रमिकों की भर्ती तथा प्रोन्नति में अनियमितताएं किये जाने, पंच निर्णय विवाद सं0 5/81 का अनुपालन न किये जाने, श्रमिकों की वेतन वृद्धि न किये जाने आदि के आरोप हैं।

जी नहीं, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार तथा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्व0 सत्यराम ताड़ी को नौकरी दिये जाने तथा अन्य देयों के भुगतान किये जाने विषयक कार्यवाही

7—श्री विष्णु देव—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करगे कि श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्व0 सत्यराम ताड़ी सुपरवाईजर घोसी बस्ती को नौकरी दिये जाने तथा सत्य-राम के जी0 पी0 फण्ड एवं अन्य देयों का भुगतान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-4-85 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

आबकारी आयुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत निगम, अनुसूचित जाति/जनजाति के अधि-कारियों की नियुक्ति

8—श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग मंत्रालय के अधीन कितने निगम कार्यरत हैं और उनमें अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के कितने अधिकारियों की इस समय अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, महा प्रबन्धक एवं विधि सलाहकारों के पद पर नियु-क्तियां/मनोनयन किया गया है? यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

उद्योग मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित 15 निगम कार्यरत हैं :–

1–उ0 प्र0 हथकरघा निगम लि0, कानपुर।

2–उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0, कानपुर।

3–उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर।

4–उ0 प्र0 औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर।

5–उ0 प्र0 वित्त निगम लि0, कानपुर।

6–उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर।

7–उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक निगम लि0, लखनऊ ।

8–उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0, लखनऊ।

9–दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट निगम लि0, लखनऊ।

10–उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0, आगरा।

11–उ0 प्र0 ब्रासवेयर निगम लि0, मुरादाबाद।

12–यू0 पी0 सीमेन्ट निगम लि0, चुर्क मिर्जापुर।

13–यू0 पी0 आटोट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़।

14–दि इन्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कं0 लि0, बरेली।

15–उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ।

उक्त निगमों में प्रश्न में उल्लिखित पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की नियुक्ति की स्थिति निम्नवत् है :–

अध्यक्ष	–	कोई नहीं
प्रबन्ध निदेशक	–	एक
महाप्रबन्धक	–	तीन
विधि सलाहकार	–	कोई नहीं

उक्त पदों का कोई अलग सेवा संवर्ग नहीं है। इन पदों पर विभिन्न सेवा संवर्गों यथा आई0 ए0 एस0, तकनीकी तथा अन्य संगत सेवाओं से अधिकारी आते हैं इसलिये उक्त पदों के सम्बन्ध में आरक्षण या कोटा पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड अकबरपुर (फैजाबाद) में बेरोजगार युवकों का कथित चयन

9–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1985 में अकबरपुर (फैजाबाद) विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले बेरोजगार युवकों का चयन विभाग द्वारा किया गया था? यदि हां, तो चयनित पात्रों को सूचित पते व उनके पिता के नामों के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्च, 1985 में विकास खण्ड अकबरपुर (फैजाबाद) में टास्क फोर्स द्वारा किसी भी युवक का चयन नहीं किया गया। फरवरी, 85 में कुल मिलाकर 80 "व्यक्तियों" का चयन किया गया था।

चूंकि मार्च, 85 में चयन नहीं किया गया, "सूची" देने का प्रश्न नहीं उठता।

अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के श्रमिकों के मुकदमें

10–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के श्रमिकों के कितने मुकदमें अकबरपुर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां चल रहे हैं और कब से?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के श्रमिकों के दो मुकदमें अकबरपुर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां क्रमशः दिनांक 14-9-83 तथा 8-8-84 से चल रहे हैं।

देहरादून जिले की चकाराता तहसील में खनन कार्य हेतु दिये गये पट्टे के सम्बन्ध में स्थानीय जनता द्वारा आपत्ति

11–श्री किशोरी लाल सकलानी–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जिले की चकराता तहसील में खनन कार्य करने के लिये कुछ लोगों को पट्टे दिये गये हैं? यदि हां, तो किन लोगों को और किस स्थान का? क्या इनके सम्बन्ध में स्थानीय जनता द्वारा कोई आपत्ति की गयी है? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी नहीं। जनपद देहरादून के चकराता ट्यूनी मोटर मार्ग के 133 किलोमीटर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे सड़क विस्तार एवं निर्माण में पहाड़ कटान से निकले उप खनिज चूना–पत्थर की निकासी हेतु केवल अस्थायी अनुज्ञा पत्र दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम खरोड़ा व पुनैन के निवासियों की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद देहरादून में भारत सरकार द्वारा उद्योगों हेतु जारी किये गये आशय पत्र

12–श्री किशोरी लाल सकलानी–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जिले में कितने उद्योगों के लिये 1980 व 1985 के बीच भारत सरकार द्वारा आशय पत्र दिये गये? इनमें से कितनी योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है और कितनी व कौन-कौन सी योजनाओं पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ? यदि हां, तो कार्य आरम्भ न होने के क्या कारण हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जनपद देहरादून में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 से 1985 के बीच उद्योगों हेतु 28 आशय पत्र जारी किये गये। इन 28 आशय पत्रों में से 9 आशय पत्र वर्ष 1985 में ही स्वीकृत किये गये हैं तथा 5 आशय पत्र निरस्त हो चुके हैं एवं 3 आशय पत्रों को निरस्त किये जाने हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गयी है। 3 योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है। अवशेष 8 आशय पत्रों से संबंधित योजनाओं की सूची संलग्न है, जिन पर इस कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है क्योंकि दून घाटी के पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा था जिसे अब पूर्ण किया जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अध्यापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 144 पर)।

देहरादून व सहारनपुर जिलों हेतु प्रस्तावित ट्यूबवेल

13–श्री किशोरी लाल सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक द्वारा नलकूप द्वितीय योजना के अन्तर्गत देहरादून व सहारनपुर जिलों के लिये कितने ट्यूबवेल लगाने प्रस्तावित हैं और ट्यूबवेल्स में से किन-किन विकास खण्डों में कितने ट्यूबवेल लगाये जाने हैं तथा इस कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी के गजट का प्रकाशन

14–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रम अनुभाग-3 का सं0 808/36-3-2 (एम0 डब्लू)- 84, दिनांक 28 अगस्त, 1984, को अधिसूचना के संदर्भ में लगभग 10 माह बीत जाने के बावजूद भी प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी का सरकारी गजट उत्तर प्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? उपरोक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी का गजट श्रम विभाग द्वारा कब तक प्रकाशित किया जायेगा?

श्री सैयद सईदुल हसन–

अंतिम अधिसूचना 29 जून, 1985 को जारी की जा चुकी है।

सिंचाई एवं वार्ड परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद् तथा सिंचाई विभाग के अन्य संगठनों की मांगों पर कृत कार्यवाही

15–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई एवं वार्ड परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा सिंचाई विभाग के अन्य संगठनों द्वारा प्रेषित पत्रांक–1 दिनांक 18-3-85 सचिव, सिंचाई विभाग एवं विशेष सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस पत्र के सन्दर्भ में विचाराधीन मांगों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

कर्मचारी संगठनों की न्यायोचित मांगों पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाती है।

16–श्री राजेन्द्र गुप्त–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

17–श्री राजेन्द्र गुप्त–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

काशी रसूलपुर ड्रेन में जल भराव की समस्या विषयक शिकायती पत्र पर जांच

18–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक 49 तथा सहायक अभियन्ता द्वितीय को सम्बोधित राम किशन प्रधान तेजगढ़ तथा अन्य नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 24-1-84 व 11-3-85 का प्रार्थना पत्र जिसमें काशी रसूलपुर ड्रेन की आधी खुदाई तथा सफाई न होने तथा नदियों व माईनर को भी इसी में डाल देने जिसमें भारी जल भराव की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच क्या किसी अधिकारी ने जल भराव के समय जब वह गांव एकदम जलमग्न रहता है, की है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस

नाले पर अब तक की खर्च की गयी धन-राशि का लेखा जोखा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

शारदा सहायक खण्ड 49 के सहायक अभियन्ता चतुर्थ द्वारा दिनांक 29-1-85 एवं 6-8-85 को जांच कराई गई। इस ड्रेन की लम्बाई 7.6 कि0 मी0 है तथा सन् 1981-82 में इसका निर्माण कार्य करने में रु0 41608/- व्यय हुआ।

वर्ष 1985-86 में पानी की निकासी हेतु 1 मीटर का क्यूनेट पूरी लम्बाई में कटवाया गया तथा कंकड़ की ठेकों की कटाई तथा सफाई कार्य करवाया गया जिस पर रुपया 16000/- व्यय हुआ।

अब जल भराव की कोई समस्या नहीं है जैसा कि शिकायतकर्ता प्रधान श्री राम किशन ने भी अपने बयान में कहा है। नदियों व माइनर के टेल स्केप का निर्माण पूर्ण करवा दिया जायेगा।

अहुरी ताल ड्रेन की सफाई में अवर अभियन्ता द्वारा फर्जी पेमेन्ट करा देने के आरोपों की जांच

19–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मंत्री जी को सम्बोधित अधिशासी अभियन्ता सिंचन खण्ड सुल्तानपुर के द्वारा तथा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित धारमपुर, बाबूपुर, कल्यानपुर, सूरतगढ़, बलभद्रपुर आदि प्रधानों के हस्ताक्षरित तथा मोहरित दिनांक 7-6-85 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र जिसमें अहुरी ताल ड्रेन की सफाई में वगैर किसी कार्य के अवर अभियन्ता द्वारा पैसा व फरजी पेमेन्ट करा देने का आरोप है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी ने कब की? क्या मंत्री जी इसकी जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा करा-कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। आरोपों की जांच सहायक अभियन्ता ने जून, 1985 में की तथा आरोप निराधार पाये गये अतः टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

श्री तेजभान सिंह भूतपूर्व विधायक द्वारा रायबरेली में कादू नाला के कच्चे तट बन्धों को पक्का कराने विषयक दिया गया पत्र

20–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बी0 बी0 सिंह अधीक्षण अभियन्ता, सोलहवां मंडल प्रतापगढ़ को सम्बोधित श्री तेजभान सिंह, भू0 पू0 विधायक का पत्र जिसमें शारदा सहायक खण्ड–41 रायबरेली के तहत कादूनाला के 44 कि0 मी0 पर बने प्रत्येक कच्चे तट-बन्धों को पक्का करने व आस पास नाला को सीधा करने की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। श्री तेजभान सिंह, भूतपूर्व विधायक का उक्त पत्र प्राप्त हुआ है।

कादू नाले के कि0मी0 44 के आस-पास 4 लूप है, जिसमें से दो लूप कटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक लूप कटिंग का कार्य प्रगति में

है। शेष एक लूप कटिंग का कार्य एवं कि0 मी0 44 पर बने पुल के तटबन्धों पर पिचिंग आदि का कार्य आवंटित धनराशि की सीमा तक यथासम्भव कराया जायेगा।

श्रीमती रूपदेवी, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

21—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रूपदेवी ग्राम रशीदाबाद तिवारियान तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना पत्र वृद्धावस्था पेंशन फरवरी मार्च, 1985 में स्वीकृत हुआ? यदि हां, तो क्या मा0 राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रूपदेवी ने अपना प्रार्थना पत्र वास्ते वृद्धावस्था पेंशन कब प्रस्तुत किया और भुगतान कब से प्रारम्भ हुआ तथा लम्बे विलम्ब का क्या कारण है?

श्री सैयद सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

22—23—श्री यदुनाथ सिंह—

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 80-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शारदा कैनाल हरदोई द्वारा भूमि की सिंचाई

24—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कैनाल हरदोई द्वारा वर्ष 84-85 में कितने हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की गयी? क्या यह सत्य है कि गत वर्षों की तुलना में सिंचन क्षमता में कमी आयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में 98,076 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जनपद में शारदा कैनाल एवं संबंधित माइनरों की सफाई में व्यय

25—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में शारदा कैनाल एवं संबंधित माइनरों की सफाई में वित्तीय वर्ष 84-85 में कितना धन खर्च हुआ एवं गत वर्षों की अपेक्षा यह धन अधिक है? यदि हां, तो क्या सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हरदोई जनपद में शारदा कैनाल संबंधित माइनरों की सफाई एवं में वित्तीय वर्ष 1985—85 में रु0 10,95,645.50 पैसे व्यय हुआ जो गत वर्षों की अपेक्षा में कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ में स्थित अपट्रान फैक्ट्री में स्थानीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को वरीयता

26—श्री शारदा प्रताप—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन की यह नीति है कि स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाय? यदि हां, तो दिनांक 1-6-1985 तक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ में स्थित अपट्रान फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोगों

को सेवा में रखा गया? यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ स्थित अपट्रान फैक्ट्री 2 तथा 3 में नियुक्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अवसर की समानता के आधार पर वरीयता शासनादेश संख्या 23/25/1973 । कार्मिक 2, दिनांक 15 जून, 1985 के अनुसार दी जाती है। दिनांक 1-6-1985 तक उक्त दोनों फैक्ट्रियों में क्रमश: 43 तथा 93 कार्यरत कुल अकुशल कर्मचारियों के विपरीत क्रमश: 26 तथा 51 अकुशल स्थानीय कर्मचारियों को सेवा में रखा गया है ।

27–श्री विजय सिंह–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

28–श्री विजय सिंह–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

29–श्री राम सजीवन–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

परियोजना अधिशासी कताई मिल, बाराबंकी के विरुद्ध आरोपों के संबंध में कथित पत्र

30–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12-6-85 को परियोजना अधिशासी कताई मिल बाराबंकी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों का एक पत्र दिया था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर मंत्री जी द्वारा किए गए आदेशों का पालन हुआ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र मथुरा साइट 'ए' में भूमि अतिक्रमण संबंधी लम्बित वाद

31–श्री प्रदीप माथुर–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र मथुरा साइट 'ए' में भूमि संबंधी कितने विवाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं? इस क्षेत्र की कितनी भूमि तथा इकाइयों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं? क्या इन भूमि विवादों के कारण इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में प्रतिकूल असर पड़ा है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मथुरा औद्योगिक क्षेत्र साइट 'ए' में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अर्जित भूमि पर अतिक्रमण संबंधी 14 वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। इस क्षेत्र की लगभग 65.28 एकड़ भूमि तथा 12 इकाइयों की भूमि पर अवैध कब्जे हैं। भूमि विवादों के कारण इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर यह प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ा है कि यदि यह भूमि उपलब्ध रहती तो यह उद्यमकर्ताओं को आवंटित की जा सकती थी ।

गोरखपुर क्षेत्र चीनी मिल मजदूर यूनियन सरदार नगर का चुनाव तथा पदाधिकारियों का पंजीकरण

32–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर क्षेत्र चीनी मिल मजदूर यूनियन सरदार नगर, गोरखपुर रजि0 नं0 4822 का चुनाव 29 जून, 1984 को सम्पन्न हुआ? यदि हां, तो उसके पदाधिकारियों का पंजीकरण अब तक न होने का कारण क्या है?

श्री सैयद सईदुल हसन–

प्रश्नगत यूनियन के दिनांक 29-6-84 को चुनाव सम्पन्न होने की कोई सूचना रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन कानपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। रजिस्ट्रार कार्यालय में उक्त यूनियन के दिनांक 21-6-84 का चुनाव का फार्म 'जे' क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसको नियमानुकूल तथा विधान के अनुसार न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती को आवंटित धनराशि तथा ठेकेदारों के भुगतान पर व्यय

33–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में ड्रेनेज खण्ड प्रथम में एक करोड़ बारह लाख रुपया 26 मार्च, 1985 को आया था और 31 मार्च, 1985 के अन्दर खर्च कर दिया गया? उक्त धन को किन-किन अवर अभियन्ताओं को किन-किन कार्यों में आवंटित किया गया और किन-किन ठेकेदारों को कितना-कितना धन किन-किन तारीखों में भुगतान किया गया, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती में 26 मार्च, 1985 को एक करोड़ बारह लाख रुपये नहीं, बल्कि प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, के द्वारा कुल 100·61 लाख रुपये की साख सीमा प्राप्त हुई थी, जो 31 मार्च, 1985 तक ठेकेदारों आदि के भुगतान पर व्यय किया गया, जिसमें 30 लाख रुपये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती को स्थायी भूमि अधिग्रहण हेतु प्रतिकर वितरण करने हेतु दिया गया है, जो कि उपरोक्त व्यय में सम्मिलित है।

सिंचाई विभाग द्वारा अवर अभियन्ताओं को कोई धन आवंटित नहीं होता है। उपरोक्त धन का भुगतान जिन ठेकेदारों आदि को किया गया, उसकी सूची बहुत ही विस्तृत है जिसे माननीय सदस्य सिंचाई मंत्री के कक्ष में देख सकते हैं।

जनपद हरदोई के यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र मल्लावां द्वारा सूत की खरीद

34–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र मल्लावां द्वारा सूत की खरीद सहकारी कताई मिल संडीला से न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त उत्पादन केन्द्र में कितनी धनराशि की चोरियां हुई हैं और यह चोरियां छुट्टी के दिनों में हुयीं या काम के दिनों में?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूत की खरीददारी केन्द्र द्वारा सीधे नहीं की जाती, वरन् हथकरघा निगम द्वारा संडीला की मिल से सूत क्रय करके यूनिसेफ केन्द्र को उनकी मांग के अनुसार भेजा जाता है।

उक्त केन्द्र में कोई चोरी नहीं हुई। यूनिसेफ उत्पादन केन्द्र मल्लावां के उत्पादन लिपिक द्वारा गबन करने का मामला प्रकाश में आया था।
प्रश्न नहीं उठता।

परसोय ताल से निकलने वाली ड्रेन का सर्वेक्षण कराये जाने की मांग

35–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 85 में आजमगढ़ जिले की फूलपुर की तहसील के लोगों ने कोई दरख्वास्त दी है जिसमें उन लोगों ने मांग की है कि परसोयताल से निकाली गयी ड्रेन जो टोंस नदी में गिरती है, को नाले के मानचित्र के अनुसार बनाया जाय तथा उसको और गहरा कराया जाय? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

परसोयताल से निकलने वाली ड्रेन का सर्वेक्षण वर्षा काल के बाद कराया जाना सम्भव होगा उसके बाद अग्रिम आवश्यक कार्यवाही पर निर्णय लिया जायेगा।

चुनार तथा अमेठी विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये राजकीय नलकूप

36–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 80 से मार्च, 85 तक चुनार विधान सभा क्षेत्र में कितने राजकीय नलकूप लगाये गये तथा उक्त समय के दौरान अमेठी विधान सभा क्षेत्र में कितने राजकीय नलकूप लगाये गये?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जून, 80 से मार्च, 85 तक चुनार विधान सभा क्षेत्र में 9 राजकीय नलकूप लगाये गये तथा उक्त समय के दौरान अमेठी विधान सभा क्षेत्र में 115 राजकीय नलकूप लगाये गये।

विकास क्षेत्र हरिंगटनगंज, जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में चालित नलकूप

37–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र हरिंगटन गंज के अन्तर्गत स्थित ग्राम हरदोइया व पिलाई में लगे नलकूप तथा वि0 क्षेत्र मिल्कीपुर में लगे नलकूप ग्राम सलौनी मजरे किनौली और वि0 क्षेत्र अमानीगंज के अन्तर्गत लगे रा0 नलकूप ग्राम बबां व कर्जा अभी तक नहीं चालू किये गये है? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों से लगे इन राजकीय नलकूपों को न चालित होने का क्या कारण है इसके कौन लोग दोषी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम हरदोइया, पिलाई, सलौनी मजरे किनौली ववां (ववां नहीं) तथा कंजी (कर्जा नहीं) के नलकूप चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

38–39–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 75-76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री नुरुल हसनैन खां, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर द्वारा स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत दिया गया ऋण प्रार्थना पत्र

40–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री नुरुल हसनैन खां पुत्र श्री नुरुल हसन खां, निवासी ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर ने स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 25,000 रुपया हेतु प्रार्थना-पत्र वित्त मंत्री के पत्र संख्या 4/104/84 दिनांक

14-8-84 के माध्यम से जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को रजिस्ट्री डाक से भेजा था और 16,000 रुपये स्वीकृत होकर बैंक आफ बड़ौदा जगदीशपुर में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है? क्या यह सत्य है कि कमीशन न देने पर आख्या दर्शाकर अस्वीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो इस मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने एवं आवेदक को कर्ज दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां।

जी नहीं। बैंक द्वारा जांच में, अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर उसके न रहने के कारण ऋण प्रार्थना-पत्र निरस्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

41–श्री काशी सिंह ऐरी–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के विभिन्न अधिष्ठान अनुभागों में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिये गये निर्देश

42–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं0 वि0 के विभिन्न अधिष्ठान अनुभागों द्वारा 1-1-85 से 1-4-85 के मध्य जो स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये उन स्थानान्तरण आदेशों के कारण शासनादेश संख्या 14/1/1984 कार्मिक-2 दिनांक 7-4-84 के पैरा-12 का उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग का शासनादेश दिनांक 17-4-84 है न कि 7-4-84।

प्रश्नगत अवधि में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के विभिन्न अधिष्ठान अनुभागों द्वारा बिना शासन की पूर्व अनुमति के जो स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये थे वे अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों तथा सद्भाव में जारी किये गये थे। अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्वयं की प्रार्थना पर भी भविष्य में बिना शासन की अनुमति के कोई स्थानान्तरण आदेश पारित न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

राज्य विद्युत परिषद् में कान्ट्रेक्ट लेबर को अनुमन्य सुविधायें

43–श्री मित्रसेन–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्ट्रैक्ट लेबर जो राज्य विद्युत परिषद् में काम कर रहे हैं उनको कन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबालीशन 1976 के अनुसार वह सारी सुविधाएं और अनुमन्य वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सैयद सईदुल हसन–

प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य विद्युत परिषद् में काम करने वाले कान्ट्रैक्ट लेबर को कान्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबालिशन एक्ट, 1970 के अनुसार अनुमन्य सुविधाएं व वेतन मिल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी पीठ से निर्देश हुए हैं कि जिस तरह से तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये जायं उसी प्रकार से अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये जायें और उसी तरह से जांच की जाय। मान्यवर, आप प्रश्न संख्या 30 देख लें।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे कार्यालय में आकर बता दें, मैं देख लूंगा।

(समय 12 बजकर 23 मिनट)

आजमगढ़ जनपद में हैजे की महामारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से 8 स्वीकार की हैं। वह यह हैं–श्री काजी कलीमुर्रहमान, श्री फागू चौहान, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री नंगा राम, डा0 दिनेश जौहरी, श्री किशोरी लाल, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा।

*श्री काजी कलीमुर्रहमान–

महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

आजमगढ़ जनपद इस समय गम्भीर रूप से हैजे की महामारी से ग्रसित है। एक सप्ताह में ही लगभग 16 मौतें हो चुकी हैं। तथा 800 व्यक्ति विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती हैं, परन्तु उनकी देखभाल करने वाला न तो कोई डाक्टर है और न ही अन्य कर्मचारी ही है। हैजे के टीके व दवाओं का नितान्त अभाव है। सी0 एम0 ओ0 अपने कार्यालय में कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं।

हजारों व्यक्ति मौत से संघर्ष कर रहे हैं जिससे वहां का जनजीवन त्रस्त एवं अस्त-व्यस्त हो गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आजमगढ़ जनपद में शीघ्रातिशीघ्र दवा व डाक्टरों की व्यवस्था की जाय और सफाई की व्यवस्था भी की जाय जिसमें लोगों के मन में भय व असुरक्षा तथा मौत का डर दूर हो सके।

सर्वोदय महाविद्यालय घोसी, आजमगढ़ में परीक्षार्थियों पर गोली चलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फागू चौहान–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 2-5-85 को सर्वोदय महाविद्यालय, घोसी, आजमगढ़ में भूगोल विषय की परीक्षा देने हेतु परीक्षार्थी साइकिलों से आये हुए थे। प्राचार्य ने मेन गेट बन्द करा दिया। और छोटा गेट खोल दिया गया जिसमें साइकिलें नहीं जा सकती थीं। छात्रों ने विरोध किया कि बाहर साइकिल कौन छोड़ेगे, कौन जिम्मेदार होगा। ये विवाद 7.00 बजे से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

10.00 बजे तक चलता रहा। प्राचार्य द्वारा 5 छात्रों को वार्ता के लिये बुलाया गया। प्राचार्य द्वारा पहले से ही कुछ अपराधी तत्व बुला रखे थे। उन अराजक तत्वों ने एक छात्र को चाकू मार दिया, जिसके कारण छात्र बुरी तरह घायल हो गया। खून से लथपथ बाहर आते छात्रों को देख कर परीक्षार्थियों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। जिसके फलस्वरूप पुलिस ने गोली चार्ज किया। फलतः अर्जुन राम छात्र को गोली लगी और घटना-स्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी तथा बहुत से छात्र घायल हो गये यही नहीं उल्टे 28 छात्र जिसमें बाहरी छात्र भी शामिल हैं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया। छात्रों की परीक्षा भी नहीं हुई जिसके कारण परीक्षार्थियों में घोर रोष, क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त हो गया है। अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि समस्त घटना की जांच कराते हुए प्राचार्य के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय तथा सभी छात्रों की परीक्षा करायी जाय ।

प्रदेश में गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस के रोग के प्रकोप से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस समय पूरे प्रदेश में गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस का रोग बड़े पैमाने पर प्रदेश में फैला हुआ है और इससे सैकड़ों की तादाद में मौतें भी हुई हैं और लगातार हो रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक 9 मौतें सिरसा टाउन एरिया में और ग्राम चौकी में हो चुकी हैं। इससे पूरे इलाके में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। अतः आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल कार्यवाही करके इस इस पर रोकथाम करें और इस बात की भी जांच करा लें कि कहीं यह हैजा तो नहीं है। इसके रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, अगर नहीं उठाये गये तो क्यों? यह स्थिति रोकथाम के बावजूद क्यों उत्पन्न हो गयी ?

मैलानी थाना, लखीमपुर खीरी के ग्राम पसियापुर के राम औतार की फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नंगा राम–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद लखीमपुरखीरी के थाना मैलानी के अंतर्गत ग्राम पसियापुर के निवासी राम औतार पुत्र बनवारी लाल हरिजन को फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया है। राम औतार एक सभ्य एवं सीधा साधा युवक था, वह मजदूरी तथा खेती करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। दिनांक 14-6-85 को अपनी बहिन श्रीमती मैना पत्नी श्री गुरु दयाल ग्राम सिकन्दरपुर थाना उपरोक्त में गया था। दिनांक 15-6-85 को उक्त थाना के दो दरोगा तथा चार पुलिस कांस्टेबिल ग्राम सिकन्दरपुर जाकर राम औतार को छवि नाथ दलाल के साथ पकड़ लाये तथा श्रीमती मैना के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा खौफनाक तरीके से धमकाया कि यदि किसी प्रकार

की कार्यवाही की तो इसके बुरे परिणाम होंगे। राम औतार को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले से जनपद के हरिजनों में रोष, क्षोभ, असन्तोष एवं भय व्याप्त हो गया है। अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त थाने की पुलिस को हटा कर इस पूरे मामले की जांच सी0आई0डी0 द्वारा करायी जाय।

पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा एवं टिहरी में संक्रामक रोगों का प्रकोप तथा दवाओं के अभाव होने के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं। जनपद अल्मोड़ा के दयाड़ी क्षेत्र में वमौली सन्यों तथा मैसाड़ी ग्राम में एक संक्रामक बीमारी फैल गयी है जिससे पहले जाड़ा बुखार सिरदर्द जोड़ों एवं पेट में दर्द की शिकायत होती है और फिर मरीज की हालत गम्भीर हो जाती है। अब तक सोलह लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। पूरे परिवार इस बीमारी से चारपाई पर पड़े हुए हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल के हिडौला खास विकास क्षेत्र के अनेक गांव में भी हैजा फैलने के कारण दस व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं बहुतों की हालत गम्भीर है। इसी क्षेत्र के मुख्य बाजार बागवान में भी हैजे का प्रकोप बढ़ चुका है और दो मौतें हुई हैं। महामारियों के फैल जाने से गांवों में आतंक व्याप्त हो गया है तथा लोगों ने घरों से निकलना भी बन्द कर दिया है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग आवश्यक दवाइयां एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में पूर्णतया असमर्थ रहा है, जिससे परिस्थितियां और भी गम्भीर हो गई हैं। सब भगवान के भरोसे पर बैठे हुए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को तुरन्त उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

जनपद देहरादून में नदियों के कटाव से हजारों बीघे भूमि की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, देहरादून जनपद में ब्राह्मणवाला, बुल्लावाला, झाबरवाला अनेक गांवों की स्थानीय नदियों और नाले भूमि काट रहे हैं। झाबरवाला में इस वर्ष अभी तक एक हजार बीघा भूमि बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है, जिसमें फसल भी नष्ट हुई है। 60-70 बीघा भूमि पत्थर बजरी से ढककर कृषि योग्य नहीं रही है। ग्रामीण कृषक अति दुखी हैं। मोतीचूर पुल निर्माण में रेलवे में कार्यरत टेक्निकल स्टाफ की अदूरदर्शिता के कारण हरिपुर गांव की सैकड़ों झोपड़ियों तथा उनकी आय के एक मात्र साधन दुधारू पशुओं को भी हानि हुई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ नियंत्रण विभाग देहरादून को जिलाधिकारी के माध्यम से अविलम्ब आदेशित कर तुरन्त भविष्य में और अधिक होने वाली हानि से बचाया जाये और झाबरवाले कृषकों की दयानीय स्थिति पर तुरन्त कार्यवाही की जाय।

नेहरू मेमोरियल शिवनारायन दास डिग्री कालेज, बदायूं के बन्दी छात्र नेता श्री परमवीर सिंह के बिगड़ते स्वास्थ्य के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बदायूं में नेहरू मेमोरियल शिव नारायन दास डिग्री कालेज के छात्र 1 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर शन्ति पूर्ण ढंग से अनशन कर रहे थे। छात्र परमवीर सिंह जो आमरण अनशन पर थे, उन्हें 12 अगस्त, 85 को पुलिस ने जबरदस्ती पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। छात्र नेता को बन्दी बनाने के विरोध में 12 अगस्त, 1985 को बदायूं का पूरा बाजार बन्द रहा। परम-वीर सिंह का स्वास्थ्य बराबर बिगड़ता जा रहा है। फलस्वरूप बदायूं की जनता में भारी अशांति और उत्तेजना व्याप्त है। बदायूं बार एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पारित कर आन्दोलनकारी छात्रों के समर्थन में 14 अगस्त, 85 तक न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अभी तक जिला प्रशा-सन तथा कालेज की प्रबन्ध समिति ने कोई भी ध्यान उस आन्दोलन की ओर नहीं दिया है जिसके कारण बदायूं के छात्रों तथा जनता में क्षोभ एवं निराशा व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि शासन तत्काल हस्तक्षेप करे।

नगरपालिका अतर्रा, बांदा में जल भराव एवं गन्दगी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, बांदा जनपद की नगर पालिका अतर्रा में जल निकास का समुचित प्रबन्ध न होने से भीषण जल-भराव का संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही राईस मिलों की भूसी सड़कर नालियों में बहने से, एवं नालियों की सफाई न होने से एवं नालियां पक्की न होने से नगर पूरी तरह से गन्दगी की चपेट में आ गया है। मच्छरों की भरमार से नागरिकों का सोना दूभर हो गया है। साथ ही बीमारियां फैल रही हैं, जिससे जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है अत: कृपया जल निकास का समुचित प्रबन्ध किया जाय, नालों एवं नालियों की विधिवत् सफाई कराई जाय। सीवर लाईन की व्यवस्था कराई जाय। बड़े नालियों एवं नालों को पक्का करायें। फागिंग मशीन से गैस का छिड़काव किया जाय ताकि गन्दी नालियों में मच्छर मर सकें और फैल रही बीमारियों से जनसमूह बच सके।

विधान भवन के सामने अनशनकारी संस्कृत अध्यापकों द्वारा हवन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब मैं अभी आ रहा था तो विधान मण्डल भवन के सामने कुछ पंडित हवन कर रहे थे। हवन करने की हमारी एक संस्कृति है और साथ ही साथ इसकी एक प्रक्रिया है। ये पण्डे लोग वहां पर जो हवन कर रहे हैं, उसमें उनकी आकांक्षा यह है कि विधान मण्डल के लोग दुखी हो जायं, क्योंकि वे हमारी बात नहीं सुनते हैं। मुख्य मंत्री नम: स्वाहा: और शिक्षा मंत्री नम: स्वाहा: कह करके हवन कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके हवन से हम लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रति-कूल प्रभाव पड़ सकता है। आप पर ही मान्यवर, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप मुख्य मंत्री जी को इसके बारे में कहें कि इसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह रोकें ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। मुख्य मंत्री जी को आप वहां भेजें और वह पंडों से बातें करें। हो सकता है कि कोई माननीय सदस्य मुख्य मंत्री बनने के लिये यह सब करवा रहा हो। खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

यदि वह माता प्रसाद पाण्डेय नमः स्वाहाः कह रहे हैं, तब तो हम उनको रोकेंगे। हमारे बारे में वह चिन्ता न करें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें, सर्वश्री अकबर हुसैन बाबर, राजेन्द्र गुप्त, रेवती रमण सिंह और श्री फजलुल बारी जी की प्राप्त हुई हैं।

श्री अकबर हुसैन बाबर साहब ने जो विषय उठाया है वह इस प्रकार है। जब अध्यक्ष गैर हाजिर हो और उपाध्यक्ष का चुनाव न हुआ हो तो अधिष्ठाता मण्डल का कोई भी सदस्य पीठासीन नहीं हो सकता है। इस पर रूलिंग हो चुकी है। इसलिए, अब मैं इस मसले को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त जी की सूचना का जहां तक प्रश्न है, वे 5 बजे मेरे कमरे में आ जायं और इस पर हम बहस कर लेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो फिर आपको सुन लेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आप थोड़ा मुझे सुन लें। क्योंकि सदन के सामने घटना घटी है। हो सकता है मेरी बात पर कोई और माननीय सदस्य सहमत हों।

श्री अध्यक्ष--

यदि कोई ऐसी बात होगी, तो उस पर आपको फिर मौका दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आपकी जो अवमानना हुई है, उसमें मैं ऐसे बिन्दु रखना चाहता हूं। नियमों के तहत बिलकुल संगत बात रखना चाहता हूं। इसलिए इस पर आप मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको, आज अपने कक्ष में सुनने के बाद, कल मौका दूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो पत्र दिया है, उसे आप पढ़ लें। 16 तारीख को मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग को रोकना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि, मैं आज आपको अपने कमरे में सुन लूंगा, यदि कोई ऐसी आवश्यक बात होगी, तो कल आप इसे उठा लीजियेगा। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें मैं पहले मंत्री जी से पूछ लूं। श्री फजलुल बारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार मैंने सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस आदरणीय सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 जो विधान सभा द्वारा 26 जुलाई, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश

विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 13 अगस्त, 1985 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 जो विधान सभा द्वारा 26 जुलाई, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 13 अगस्त, 1985 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1985 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 7 अगस्त, 1985 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 1985 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 जुलाई, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 जुलाई, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 1985 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के दिनांक 19 अगस्त, 1985 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:–

19 अगस्त, 1985 सोमवार– (1) शिक्षा विभाग एवं मुस्लिम वक्फ विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान।

(2) नियोजन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर मतदान (विवाद नहीं होगा)।

(3) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण। एक घन्टा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वह इस तरह से हैं। पहली श्री राम सरन, श्री महेन्द्र सिंह भाटी की जमुना नदी की धारा में हरियाणा और दिल्ली में लगे ठोकरों से खतरा। दूसरी है श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के छात्रों की गिरफ्तारी, तीसरी है माननीय सूर्य प्रताप शाही की पिपरमिन्ट फैक्ट्री में विस्फोट, चौथी और पांचवीं है श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री देव कुमार यादव की संस्कृत अध्यापकों द्वारा अनशन। 6ठी है फैजाबाद में इण्टर कालेज के अध्यापक तथा उनके खानदान की पिटाई यह है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री राम सागर, श्री मनोहर लाल, श्री मोहम्मद मसूद खां की। सातवीं है हैण्डलूम और पावर लूम में मंदी के कारण बुनकरों को परेशानी, श्री बाबू राम यादव, श्री फागू चौहान, श्री शारदानन्द अंचल की। आठवीं है गन्ने में पायरिला से फसलों को खतरा, सर्वश्री भोपाल सिंह, बंगाली सिंह, महेन्द्र सिंह भाटी, आदि की।

नवीं सूचना गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती मिम्मी सिंह के साथ बुरा बर्ताव करने के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर सिंह की है।

दसवीं सूचना जौनपुर में गोहत्या के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ तथा श्री दीपचन्द्र की है।

ग्यारहवीं सूचना नर्सिंग की ट्रेनिंग वाली छात्राओं को खतरे के सम्बन्ध में श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री सुन्दर लाल व श्री कुशल पाल सिंह की है।

बारहवीं सूचना सिंचाई विभाग में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति से अभियन्ताओं में उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में कुंवर मानवेन्द्र सिंह की है।

तेरहवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डे की हरिजन आवास के मामले में बी0 डी0 ओ0 द्वारा गबन के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह की बुलन्दशहर तथा हरियाणा की सीमा के विवाद के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डे की आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी से संबंधित है।

सोलहवीं सूचना श्री शफीकुर्रहमान वर्क की गुजरात की तरह उ0 प्र0 में भी आरक्षण संबंधी आन्दोलन के संबंध में है।

सत्रहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह की एटा में डकैती तथा सामूहिक हत्याओं के सम्बन्ध में है।

अठारहवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की नजूल की भूमि पर नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में है।

उन्नीसवीं सूचना श्री राकेश धर त्रिपाठी की वर्ष 1986 की बोर्ड की परीक्षा में हाईस्कूल और इण्टर के फार्मों की कमी के सम्बन्ध में है।

बीसवीं सूचना श्री विजय सिंह राणा की खाद्य निगम में बाल्टी दाबा द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

इक्कीसवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में है। इन सूचनाओं में सबसे पहले श्री राम सरन को सुनना चाहूंगा।

श्री राम सरन–

माननीय, मैं मेरठ डिवीजन से हूं और सहारनपुर मेरा जिला है। मेरे डिवीजन और हरियाणा के बीच में यमुना नदी बहती है। हरियाणा सरकार ने यमुना के किनारे बांध और ठोकरें बना दी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बनाई हैं। जब बरसात ऊपर ज्यादा होती है तो यमुना में पानी ज्यादा आ जाता है और उधर के बांधों से टकराकर उत्तर प्रदेश के गांवों की ओर आता है। पिछले हफ्ते जब सिंचाई विभाग का बजट चल रहा था, तब मैंने इसका जिक्र किया था। इतवार को जब मैं सहारनपुर में था तब बाधी गांव के लोग मेरे पास आये कि गांव उजड़ने जा रहा है। यमुना नदी की धारा हरियाणा प्रान्त के गुमथला गांव के पास लगे ठोकरों तथा बन्धे से टकराकर सीधे पूरब की तरफ जनपद सहारनपुर के बाधी गांव की ओर बहने के कारण बाधी गांव की आबादी के समूचा नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बाधी एक बहुत बड़ा गांव है, वहां पर कभी खतरा हो सकता है। खेत और ट्यूबवेल सब नष्ट होते जा रहे हैं। पानी आबादी के करीब पहुंचने वाला है। रात-दिन गांव के लोग जागते रहते हैं कि पता नहीं किस वक्त मुसीबत आ जाए।

इसके अलावा सहारनपुर जनपद की तहसील नकुड़ के अन्य ग्रामों नसरुल्लागढ़, फतेहपुर, जट, रानीपुर, बरसी नाहर मजरा, इन 5 गांवों की जमीन पानी में समाने वाली है। इसके अलावा बाधी गांव की आबादी को खतरा हो गया है। मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं इतवार के दिन। मैं अखबार से नहीं दे रहा हूं। कुछ इसका उपाय कराइये। सिंचाई मंत्री मौजूद हैं, मैं आग्रह करूंगा कि

इन गांवों को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए नहीं तो हजारों आदमी गांव छोड़कर भागने की चेष्टा कर रहे हैं । एक आदमी का तो, जिसका ट्यूबवेल नष्ट हो गया था, वह तो मर गया उसका हार्ट फेल हो गया था ।

मान्यवर, यह हालत माननीय भाटी जी के एरिया में है कि नौएडा भी बरबाद होने जा रहा है, उसके संबंध में तो माननीय भाटी जी ही कहेंगे । पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना बहने लगी है बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर बहने के । इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की कोशिश करें ।

(श्री महेन्द्र सिंह भाटी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम सरन जी, अब आपके बाद भाटी जी कैसे बोलेंगे, मैंने एक को तो सुन लिया है ?

श्री राम सरन–

यह नौएडा के बारे में बतलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यदि ऐसा होगा तो फिर सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे । अच्छा चलिए एक मिनट में बोलिए ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जिला गाजियाबाद में नौएडा है । उसके साथ ही लगी हुई यमुना नदी है, उसके बाद उधर दिल्ली का एरिया पड़ता है । दिल्ली में ठोकर लगी हुई है जिसके कारण से नौएडा के पास से जमीन का कटना शुरू हो गया है । तटबन्ध कट रहे हैं । असगरपुर गांव कट गया है, सब गांव के लोग भाग रहे हैं । सारा नौएडा जिसमें कि हजारों औद्योगिक यूनिट्स हैं वह इस तरह से समाप्त हो जायेंगी, वहां पर कितनी ही आवासीय कालोनीज हैं वह खत्म हो जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप चाहते हैं कि आपकी तरफ ठोकर न लगे?

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

नहीं, मैं ठोकर लगवाना चाहता हूं ताकि पानी बीच में से गुजर जाय और नौएडा बच जाय ।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, इसके पहले भी माननीय राम सरन जी कुछ कह चुके हैं । यह सही है कि हरियाणा की तरफ से काफी पक्के काम हो रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की तरफ कटाव हो रहा है । जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं कोशिश करूंगा। नौएडा के बारे में भी देख लिया जायेगा कि इसमें क्या काम सम्भव हो सकेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध सभी डिग्री कालेजों में कक्षाओं में सीटों की कटौती को लेकर, पुनर्मूल्यांकन की समस्या को लेकर द्वितीय परीक्षाओं की समाप्ति को लेकर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भूतपूर्व मंत्री श्री चन्द्रनारायण त्रिपाठी चन्दू और कुल भास्कर आश्रम डिग्री कालेज के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री रईस अहमद तथा वर्तमान अध्यक्ष, श्री शिव मंगल सिंह और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान मंत्री, श्री एस0 पी0 गोस्वामी के निष्कासन को लेकर 4 छात्र नेता अनशन पर थे । उन्हें 12 तारीख को पुलिस पकड़ कर ले गई और अस्पताल में भर्ती करा दिया लेकिन उनका अनशन अब भी जारी है, उनका स्वास्थ्य निरन्तर खराब

हो रहा है जिसके कारण छात्रों में तनाव है । परिसर के चारों ओर पुलिस और पी0 ए0 सी0 कवायद कर रही है । 10 तारीख को 12 बजे रात में पुलिस व छात्रों में संघर्ष हुआ । अभिभावकों में रोष व्याप्त है क्योंकि उन लोगों के बच्चों को डिग्री कालेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा है । अभिभावक त्रस्त हैं। छात्र तथा नेता पीटे गए हैं, लाठी चार्ज हुआ है उन पर । 24 अगस्त को छात्र संघ का चुनाव होना था जिसको कुलपति द्वारा प्रशासनिक सहयोग न देने के कारण स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण भी जबरदस्त तनाव है उन लोगों में ।

इन तमाम चीजों को लेकर जबरदस्त तनाव है, किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है। पुलिस और छात्र आमने-सामने खड़े होकर कई बार ईंट पत्थर और लाठी वर्षा हो चुकी है इसलिए आपसे निवेदन है कि शिक्षण संस्थाओं की ओर ध्यान दें, नया सत्र प्रारम्भ हो गया है। मान्यवर, इन शिक्षण संस्थाओं की ओर ध्यान दें और सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करावें क्योंकि कुलपति की साजिश है। छात्र और पुलिस में संघर्ष कराने की एक साजिश चल रही है। स्थिति को शान्त बनाया जाय। स्थिति विस्फोट हो उसके पहले हम चाहते हैं कि इसको सम्भालने हेतु सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर कहा कीजिए ज्यादातर ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कुछ छात्रों को, जिनमें माननीय सदस्य ने कहा है, उनके निलम्बन को लेकर छात्रों में कुछ आन्दोलन अवश्य हुआ और खास तौर से उनके छात्र संगठन के चुनाव भी आ रहे हैं और माननीय सदस्य तो खुद अध्यक्ष रह चुके हैं, और मुझे भी छात्र रहने का सौभाग्य मिला है। तो वहां पर छात्र संगठन के चुनाव होने वाले हैं, इस कारण से कुछ लोगों ने यह आन्दोलन शुरू किया और कुछ लोग, कुछ हमारे छात्र साथी भूख हड़ताल पर भी बैठ गये। उनकी किसी प्रकार की मार पिटाई नहीं हुई है, उनका स्वास्थ्य खराब न हो उनको वहां से ले गये। किसी प्रकार की कोई स्थिति नियंत्रण से बाहर वहां नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के भीतर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत फैक्ट्रियों का रखरखाव, ठीक ठाक ढंग से और देखरेख नहीं हो रही है और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की उदासीनता के कारण कारखानों में भीषण दुर्घटनायें हो रही हैं। सीतापुर जनपद के महमूदाबाद में एक पिपरमेन्ट फैक्ट्री है। 10 अगस्त को, जहां तेल स्टाक होने की टंकी है वहां पर गैस स्टाक होने के कारण टैंक फट गया और टैंक फटने के कारण एक भोलानाथ नामक मजदूर गम्भीर अवस्था में घायल हुआ और 6 मजदूर और घायल हुए। लखनऊ मेडिकल कालेज आते-आते भोला नाथ की मृत्यु हो गयी। अभी हमारे कानपुर में घटना हुई, इलाहाबाद में हुई। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत फैक्ट्रियों का उचित रखरखाव नहीं हो रहा है। यह कारण अत्यन्त गम्भीर है। यह घटना 10 तारीख की है, 8 दिन के अन्दर की है। मृतक तथा घायलों को अभी तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शासन की ओर से कोई भी राहत नहीं दी गयी और न मुआवजा दिया गया। इससे श्रमिक असंतोष हो रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने त्वरित लोक महत्व की 200 सूचनाओं की सूचना मैंने दी है, 8 दिन के भीतर की है इसलिए आज की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक निजी क्षेत्र की फैक्ट्री की यह घटना है और इसके बाद में हमने जानकारी की है जिस श्रमिक के मसले का इसमें आपने जिक्र किया है उसकी जानकारी स्वयं भी है। उसके बारे में जो भी कानूनी राहत है, वह की जायेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कारखाना मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, न मुआवजा दिया गया है इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा करवाएं और शासन को निर्देश दें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

सम्पूर्ण प्रदेश के संस्कृत अध्यापकों में इस बात को कारण उत्तेजना है कि एक वर्ष पहले शासन की ओर से आश्वासन दिया गया था परन्तु उसकी पूर्ति नहीं की गयी। सभी अध्यापकों को करीब-करीब शासन की ओर से तनख्वाह मिलती है, लेकिन संस्कृत देव वाणी कही जाती है और उसको विकास की जड़ कही जाती है, लेकिन संस्कृत अध्यापकों की स्थिति निरीह है। जो त्रैमासिक ग्रान्ट दी जाती है, उसके आधार पर उनको वेतन मिलता है, और मान्यवर, 2-2 त्रैमास हो जाते हैं, ग्रान्ट यहां से नहीं जाती है और अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है। इसलिये सम्पूर्ण प्रदेश के संस्कृत अध्यापकों में रोष उत्पन्न है और वे विधान भवन के सामने क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आज स्थिति विस्फोटक हो गयी है और परिस्थिति गंभीर हो गयी है और वह इसलिये कि उन्होंने यह फैसला किया है कि आमरण अनशन पर जा रहे हैं और सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया है और वह लोग आमरण अनशन पर बैठ गये हैं। इससे गंभीर और दूसरा मामला नहीं हो सकता है। संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन कार्य बन्द हो गया है, ठप हो गया है लेकिन आज तक शासन ने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। उनका प्रतिनिधि मंडल मा0 खाद्य मंत्री जी से मिला था और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिला था, लेकिन उन बातों का खुलासा नहीं हुआ है और उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। इसलिये आप इस पर चर्चा करा दें जिससे कि संस्कृत अध्यापकों का भी पक्ष आ जाये और शासन का पक्ष भी आ जाये तथा शासन अपनी नीति को बता दे इसलिये आप सारा काम रोककर इस पर चर्चा करा दें।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, 20 दिन से संस्कृत अध्यापक लगातार क्रमिक अनशन कर रहे हैं और आज वह आमरण अनशन पर उतर आये हैं और आमरण अनशन शुरू कर दी है। मान्यवर, इन लोगों ने इसी प्रकार से 15 फरवरी, 1984 से और फरवरी 1983 से भी क्रमिक अनशन शुरू की थी और उस समय भी मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने, श्री त्रिपाठी जी ने, और 5 विधायकों की उपस्थिति में उनकी मांगों पर विचार

*अनुवाद से मूलपाठ का पुनरीक्षण नहीं किया।

करने का वादा किया था और 15 मार्च, 1981 को चौधरी नौनिहाल सिंह ने भी उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया था, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। आज स्थिति विस्फोटक हो गयी है। मान्यवर, यह 2-4 स्कूलों का सवाल नहीं है, 5 हजार अध्यापकों का सवाल है, उनकी मांगे हैं ग्रेच्युटी, प्राविडेन्ट फण्ड, आवास और प्रति माह वेतन दिया जाये। प्रबन्ध तंत्र द्वारा मनमानी की जा रही है। जैसा कि मा0 सदस्य ने बताया कि उनमें आक्रोश व्याप्त है और शासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है और वे लोग शासन के खिलाफ हवन कर रहे हैं। वह कुपित हैं, उनमें आक्रोश है और वह लोग अनशन पर उतर आये है।

श्री अध्यक्ष–

आप कथा न बतायें। अपनी बात कह दें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

उन्होंने हवन शुरू कर दिया है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इसलिये आप सारे कार्य को रोक कर इस पर चर्चा करा दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अध्यापकों का वेतन, वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध होता है और इस अधिनियम के प्रावि-धान इन अध्यापकों पर लागू नहीं होते हैं और उनकी जो बाकी मांगे हैं उन पर शासन विचार कर रहा है। मा0 सदस्यगण सहमत होंगे कि प्रदेश में 948 संस्कृत विद्यालय हैं। कुछ सरकारी सहायता होती है और कुछ प्रबन्ध तंत्र की सहा-यता से उनको वेतन मिलता है। जितनी तनख्वाह और अध्यापकों को मिल रही है, उतनी उनको नहीं मिल रही है क्योंकि वेतन वितरण अधिनियम उन पर लागू नहीं है। अगर यह लागू होता तो चेक द्वारा उनको भुगतान हो जाता, तो यह परेशानी न होती। जो प्रश्न मान-नीय सदस्य ने उठाया है वह शासन के विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्यों से भी इस सम्बन्ध में सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप भी उनको सम-झायें। एक वित्तीय भार हमारे ऊपर पड़ने जा रहा है। गत वर्ष भी 4 करोड़ 28 लाख रुपया सहायता के रूप में संस्कृत विद्यालयों को दिये गये हैं। मान्यवर, ये सारी बातें विचार करने के बाद ही उन पर निर्णय हो सकता है। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप उनको समझायें। जल्दी ही इस पर निर्णय हो जायेगा। ऐसे मामले पर बजाय इसको सुलझाने के चर्चा के लिये तूल देने की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, शासन ने उनके सम्बन्ध में जो हठधर्मिता का परिचय दिया है, उससे मुझे बड़ा कष्ट है। शासन उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये तैयार नहीं है। हम उनके बारे में सुनना चाहते थे कि आपने क्या निर्णय लिया है लेकिन जो स्थिति उन्होंने बतायी, जानते हुये भी इन संस्कृत अध्यापकों में अन्य अध्यापकों से भेद क्यों किया जा रहा है? इन संस्कृत अध्यापकों ने क्या बिगाड़ा है। यह नीति और सिद्धान्त का सवाल है। इन्होंने उनके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है और अध्यापकों को जो सुविधायें दी जा रही हैं, इन्हें नहीं दी जा रही हैं, ऐसा क्यों?

(श्री सत्यपाल सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जांय। मैंने इस विषय में दोनों तरफ की बातें सुनीं। मैं इसे वक्तव्य के लिये शासन को भेज रहा हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, इतनी कृपा करें कि वक्तव्य जरा जल्दी हो जाय।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, फैजाबाद जिले में स्थिति विस्फोटक होने जा रही है। वहां के एस0 ओ0 का लड़का आर0 डी0 इंटर कालेज में साइन्स में एडमिशन लेना चाहता था किन्तु जब उसका एडमिशन नहीं हुआ तो इस विषय को लेकर एस0 ओ0 अपने पुलिस सिपाहियों को लेकर कालेज के प्राध्यापक श्री दुर्गा प्रसाद पाठक के घर में घुस गये और उनको बाजार में पकड़ कर ले आये। उनको सारे बाजार में घुमाते हुये रस्सी से उनको बांध दिया। उसके बाद उनकी बीबी को भी पकड़ कर ले गये साथ ही बच्चे को भी उनके पकड़ कर ले गये। बाद में उनसे कहा कि 5 हजार रुपया दो तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। जब वे लोग पुलिस कप्तान से मिले तो यह कहा गया कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे अध्यापकों में बड़ा रोष व्याप्त हो गया है। सारा फैजाबाद बन्द होने जा रहा है। वहां का आवागमन ठप हो गया है और वहां की सारी शिक्षण संस्थायें बन्द होने जा रही हैं। इसलिये मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। इस तरह से अध्यापकों की पुलिस द्वारा पिटाई होगी और पुलिस को ऐसा कार्य करने का अधिकार दिया गया तो हम सब लोगों का जनजीवन समाप्त हो जायेगा। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर सरकार को वक्तव्य के लिए निर्देश दें और कोई कार्यवाही करें। मेरा यह भी आपसे अनुरोध है कि आप आज सदन का अन्य कार्य रोक कर इस विषय पर चर्चा करा दें।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुहावल का मामला है। जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा वहां के एक एस0 ओ0 का लड़का जो विज्ञान कक्षा में आर0 डी0 इन्टर कालेज में दाखिला लेना चाहता था, उसका दाखिला न होने के कारण 1 अगस्त, 1985 को 7/8 बजे पुलिस के चार सिपाही, दुर्गा प्रसाद पाठक, प्राध्यापक जो विज्ञान कक्षा के हैं, उनके घर में घुस गये और उन्हें गाली देने लगे। जब उन्होंने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो तो उन्हें रस्सी से बांधकर उनको बाजार में ले आये। यहां तक कि उनके पांच साल के बच्चे को थप्पड़ मार दिया। जिससे आज भी वह बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा है। जब मैं वहां गया तो वह कहने लगा कि "मम्मी, पापा देखो पुलिस आ गई है।" इतना वह डर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे की जिन्दगी खतरे में हो गयी है। यही नहीं मान्यवर, 11 बजे उस अध्यापक की धर्म-पत्नी को भी . .

श्री अध्यक्ष–

इसका समय यहां पर नहीं है। आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। मुझे खुद इस बात के लिये तकलीफ है। वे लोग उनकी स्त्री को ले गये और अध्यापक से कहे कि पांच हजार रुपये दो नहीं तो तुम्हारी बीबी के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ बलात्कार करेंगे। मान्यवर, पुलिस के लोग शराब पीकर इस तरह से बात कर रहे थे। यह मामला दुर्गा प्रसाद पाठक का नहीं है, यह मामला आर0 डी0 इन्टर कालेज का नहीं है बल्कि प्रदेश के तमाम छात्रों और अध्यापकों के साथ अन्याय का है। यह अति लोक महत्व का मामला है। जब मैं परसों सदन के लिए आ रहा था तो 20 हजार लोगों ने घेर लिया . .

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये।

श्री अवधेश प्रसाद–

एक मिनट। इस सदन की कार्यवाही रोक कर ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें। (व्यवधान) कोई चीज नहीं लिखी जायेगी । यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। माननीय वर्मा जी मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार की बात हो। ग्राह्यता पर एक व्यक्ति बोले जितने नाम आये हैं सब बोलने लगते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक घटना का उल्लेख किया गया जिसमें एक अध्यापक और पुलिस सब-इंस्पेक्टर के झगड़े की बात आपने कही। मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जिस सूचना का आपने जिक्र किया। शासन स्तर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं है। आपने जो आरोप लगाये हैं उनकी जानकारी करा लूंगा और उसके बाद जांच करा लूंगा। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

जांच करा लीजियेगा।

श्री धेनी प्रसाद वर्मा–

वक्तव्य इस पर हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

जांच के लिए कह दिया है। आपके पास सूचना आयेगी।

* श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। मथुरा में एक नर्सिंग सेन्टर है जिसमें लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां की घटना सुन कर महसूस किया जा सकता है कि अगर ऐसा कोई सेन्टर है उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूं वह नर्क से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। उस सेन्टर की इन्चार्ज कोई मिसेज चोपड़ा हैं। उनके बारे में जो मालूम हुआ है कि वे लड़कियों को विवश करती हैं कि तुम पंजाब चली जाओ फलां आफिसर के साथ, फलां फौजी आफिसर के साथ चली जाओ, या किसी और के साथ जाने को कहती हैं। एक सीता नाम की लड़की से कहा कि तुम शंकर नामक रिक्शा चालक के साथ जहां वह ले जाये चली जाओ। तो ऐसी स्थिति में लड़कियां वहां से छोड़ कर जा रही हैं। एक उषा नामक लड़की ने 21/22 जून को रेल के नीचे कट कर आत्म हत्या कर ली। यह इतनी गम्भीर घटना है अगर किसी की लड़की के बारे में ऐसी अफवाह प्रदेश में हो तो उस सेन्टर के प्रति क्या भावना होगी लोगों के मन में? कौन अपनी लड़की वहां भेजेगा? मिसेज चोपड़ा लम्बे अर्से से वहां पर हैं वह लड़कियों को दुराचार, दुर्व्यवहार और अनैतिक काम करने के लिए विवश करती हैं। इस घटना को गम्भीरता से लेकर चर्चा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराएं क्योंकि सबकी बेटियों का सवाल है, बहनों का सवाल है किसी की भी लड़की वहां जा सकती है। चर्चा होने पर जितने और तथ्य हैं उनको भी देने के लिए हम तैयार हैं। मैं इस समय ज्यादा नहीं कहूंगा ऐसी बातों से शर्म आती है हमारा इस मामले को उछालने का कोई इरादा नहीं है। आप इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख है इस बात का कि हमारे वरिष्ठ साथी माननीय त्रिलोक चन्द्र जी जो मंत्री भी रह चुके हैं किसी अधिष्ठान के बारे में इस प्रकार खड़े होकर आरोप लगाये इससे उस अधिष्ठान की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? वहां जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन पर क्या असर होगा। उनकी आबरू और इज्जत का सवाल है। अच्छा होता इन सारी बातों पर पहले विचार कर लिये होते। आपने कोई जानकारी इस बात की नहीं की, बिना जानकारी प्राप्त किये उल्लेख कर दिया। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सदस्य लिख कर अपनी जानकारी के आधार पर जो सूचना मिली है प्राप्त कर लेते।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक चन्द्र–

यह गलत बात है। मेरे संज्ञान में नहीं तो मथुरा के लोगों को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रहा हूं और मेरा निवेदन है कि इस समय इस पक्ष या उस पक्ष की बात नहीं है, आप पहले भी सारे तथ्यों से अवगत करा सकते थे और अब भी अवगत करा सकते हैं और सारे तथ्यों की जानकारी दे दें ताकि हमें जांच कराने में सुविधा मिले। इसमें जो लिखा है उसके आधार पर जानकारी करेंगे तो वह पूरी नहीं होगी, इसलिए आपका सहयोग चाहते हैं कि सारे तथ्यों को दे दें तो जांच करा लेंगे और उसके बाद कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप सारे तथ्य लिखकर हमको दें तो जानकारी करा ली जायेगी।

शेष सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप कृपा करके बैठ जायें। माननीय सदस्य शांत रहें। यह सम्भव नहीं है कि सब को समय दिया जाये। (व्यवधान) कोई बात अब आपकी नहीं लिखी जायेगी। श्री विजय सिंह राणा जी आप वरिष्ठ नेता हैं।

(उद्योग मंत्री के खड़े न होने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सुख पाल पाण्डे–

श्री शिव प्रसाद, प्रधान 9 तारीख से भूख हड़ताल किये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री राम सरन जी और श्री त्रिलोक चन्द्र जी आप लोगों के सामने तय हो गया था कि 5 महत्वपूर्ण विषयों से ज्यादा नहीं लिये जायेंगे। इसलिए अब जो माननीय सदस्य मेरी इजाजत बिना बोलेंगे नहीं लिखा जायेगा।

बजट पेश करने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा उद्योग मंत्री को बुलाने तथा उनके अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने उद्योग मंत्री जी को बुलाया है और उनको सदन में बजट पेश करना है और वह अनुपस्थित हैं, इस पर आप व्यवस्था दें कि क्या आप उनको बुलायें और वह सदन में न रहें ?

श्री अध्यक्ष–

यह बिल्कुल गैर मुनासिब है।

(व्यवधान)

(पुनः उद्योग मंत्री जी को पुकारने पर और उनके न खड़े होने से व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे नियमों में प्राविधान है कि जिस मंत्री से सम्बन्धित मामला है, यदि वह लखनऊ में उपस्थित हों तो उसकी अनुपस्थिति में कोई दूसरा आदमी पाइलेट नहीं कर सकता है। उद्योग मंत्री श्री गोपी नाथ दीक्षित सचिवालय में हैं, यह मेरी जानकारी है, इसलिये उनके शहर में रहते, मंत्रिमंडल की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलटी होने के नाते नियमतः, सिद्धान्तः और संविधान के प्राविधानों के अनुसार कोई दूसरा मंत्री बजट नहीं पेश कर सकता है। मंत्री जी नहीं हैं, इसलिए आप इसको पेश न करने दीजिए। आप इस समय कतई बजट पेश न करो दीजिए किसी अन्य को। यह सदन की अवमानना है, आपकी अवमानना है। आज के एजेण्डा में यह आइटम था, तो वह क्यों नहीं है? उनको यहां रहना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, अभी आपने स्वयं बुलाया है, उस समय यहां मंत्री और राज्य मंत्री कोई नहीं था। यह सदन की और आपकी दोनों की अवमानना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूं, इतने माननीय सदस्य आपके पीछे खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

यह कहां का नियम है?

श्री सुखपाल पाण्डे–

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई बात नहीं लिखी जाएगी...

श्री सुखपाल पाण्डे–

[* * *]

(व्यवधान)

(उद्योग मंत्री को पुनः पुकारे जाने पर वह खड़े हुए।

नोट :–[* *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अभी आप बैठ जाइये, आपको तो समय पर आना चाहिये था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपसे मैंने व्यवस्था मांगी थी, उद्योग मंत्री को जब पहले आपने अपना बजट पेश करने के लिए बुलाया था तो उस समय वह यहां पर उपस्थित नहीं थे । सदन में यह इतना महत्वपूर्ण विषय पेश हुआ था, लेकिन उद्योग मंत्री जी उपस्थित नहीं थे, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

*उद्योग मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को पता है कि आज हमारे विभाग से सम्बन्धित कुछ प्रश्न थे, बजट से सम्बन्धित फाइलें लाने में मुझे कुछ विलम्ब हुआ, मैं उसके लिए सदन से और आपसे क्षमा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मद संख्या-11 ।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (खान और खनिज) अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27–निर्यात प्रोत्साहन विभाग

*उद्योग मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 11 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,65,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,30,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 1 बज कर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र गुप्त पीठासीन हुए)।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

38,80,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,67,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि उद्योग विभाग का जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया है उनकी मदों पर गम्भीरता से विचार करें। मैं यह स्वीकार करता हूं कि उद्योग जिस गति से प्रदेश में बढ़ने चाहिये थे उस प्रकार से संभवतः न बढ़े हों अथवा सम्मानित सदस्यों की आकांक्षाओं के अनुरूप और शासन की इच्छा के अनुरूप भी प्रदेश का औद्योगीकरण न हो सका हो। किन्तु मान्यवर, मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश में उद्योगों की गति जिस प्रकार से तीव्र हुयी है, जिस प्रकार से उद्योग हर क्षेत्र में बढ़े हैं वह निश्चय ही आशाजनक है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में देश की कुल आबादी का 16 प्रतिशत जन-समुदाय निवास करता है। प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव अभी तक कृषि पर रहा है इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती और वैकल्पिक व्यवस्था एकमात्र प्रदेश का औद्योगीकरण होती थी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आयी हैं और उनमें सबसे प्रमुख कठिनाई विद्युत की आपूर्ति की कमी रही है। विपणन की सुविधा, अवस्थापना की सुविधा जितनी उद्योगों को मिलनी चाहिये थी संसाधनों के अभाव में वह पूरी नहीं की जा सकी है। इन कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय सरकार की योजनायें और व्यक्तिगत उद्यमी भी अभी तक यहां आकर्षित नहीं हो सके थे। मान्यवर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश में जो विकास की दर 3.5 प्रतिशत थी वह 5वीं योजना में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गयी है। मान्यवर, अब 6ठीं योजना में यह 9 प्रतिशत तक पहुंच गयी है और हमें विश्वास है कि 7वीं योजना में हमारा लक्ष्य 10 प्रतिशत का भी पूरा हो जायगा।

मान्यवर, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेश को अन्य प्रदेशों के बराबर लाने में सुनियोजित और सुविचारित औद्योगिक नीति अपनायी गयी है। इसके लिये स्थापित उद्योगों की क्षमता का

पूरे का पूरा उपयोग किया जाय, नयी तकनीक का उपयोग किया जाय, उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाय, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाय ग्रामोद्योग तथा शिल्प उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय एवं लघु मध्यम और वृहद उद्योगों के समन्वित विकास का प्रयास किया जाय, अवस्थापना की सुविधाओं को विस्तार की दिशा में भी विशेष प्रयास किया जाय। हैण्डलूम उद्योग को विशेष रूप से विकसित किया जाय, तो इन सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मान्यवर, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्रीय उपादान, जो 7 जनपदों में यह सुविधा प्राप्त थी अब यह 42 जनपदों को प्रदान की जायगी। इन 42 जनपदों में 15 जिलों में 25 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 25 लाख रुपया दिया जायगा। 6 जिलों में 15 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 15 लाख रुपया दिया जायगा। 21 जिलों में 10 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 10 लाख रुपये तक दिये जायेंगे।

मान्यवर, उद्यमियों को अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए अनेक और भी सुविधायें दी गयी है। 1982 से 1985 तक स्थापित उत्पादन करने वाली इकाइयों को बिक्री कर से छूट दी गयी थी, माननीय सदस्यों को यह जानकर और भी प्रसन्नता होगी कि यह छूट केवल 1985 तक ही थी, अब इस छूट को बढ़ा कर 1990 तक कर दी गयी है। निर्यात के लिए शतप्रतिशत सामान बनाने वाली इकाइयों को 10 प्रतिशत उपादान दिया जायगा। मान्यवर, विद्युत के अभाव की पूर्ति के लिए जनरेटिंग सेट क्रय उपादान, लघु उद्योगों के लिए 1000/- प्रति के0वी0ए0 और बड़े उद्योगों के लिए 500/- के0वी0ए0 की सुविधा प्रदान की गयी है। मान्यवर, यातायात की सुविधा दी गयी है। कच्चे माल के आयात तथा निर्यात पर 75 प्रतिशत का उपादान दिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इसके लिए विशेष सुविधा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है। मान्यवर, इन सुविधाओं के अतिरिक्त चुंगी में भी छूट दी गयी है। बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय क्षेत्र में बिजली की विशेष सुविधा दी गयी है, उसमें 50 प्रतिशत रिबेट दिया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्र में यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 या डायरेक्टर द्वारा भूमि उपादान की सुविधा दी गयी है और अंडर राईटिंग की सुविधा दी गयी है।

श्रीमन्, इस बात की चेष्टा की जा रही है कि एक ही स्थान पर उद्यमी को पूरी सुविधायें प्राप्त हो जायं और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेशीय स्तर पर उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी है, जो दो महीने में एक बार प्रदेश के उद्यमी एक जगह पर एकत्र होकर अपनी कठिनाइयों का जिक्र करते हैं और तत्काल उनके निवारण के लिए समस्त विभाग के अधिकारीगण वहां उपस्थित रहते हैं और उन उद्यमियों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्यमियों को विशेष सुविधा पहुंचाने के लिए मंडलीय उद्यम बन्धु की स्थापना उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में की गयी है। इस उद्यमी सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उद्यमी इकट्ठा होकर अपनी कठिनाइयों का निवारण करा सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में सलाहकार समितियां बनाई गयी हैं, जिनमें हमारे जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक एक्शन कमेटी प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गयी है, जिससे उद्यमियों को किसी

प्रकार की कठिनाई न हो और यदि कठिनाई हो तो उसका तत्काल निवारण किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में मंडलीय उप समितियों का गठन किया गया है और अनेक जनपदों में उनकी बैठकें होने लगी हैं और उन बैठकों के माध्यम से हमारे उद्यमियों को विशेष सुविधा पहुंचाने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । इस सुनियोजित नीतियों का यह परिणाम हुआ है कि छठीं पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है । पांचवीं योजनाकाल में 224 आशय पत्र केवल प्राप्त हुए थे, जबकि छठीं योजनाकाल में हमें 788 आशय पत्र प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत छठीं योजना में हमें 500 करोड़ का पूंजी विनियोजन प्राप्त हो सका था, जोकि छठीं योजनाकाल में 3000 करोड़ का पूंजी विनियोजन अब हुआ है । सातवीं योजना में हमें आशा है कि 7 हजार करोड़ का पूंजी विनियोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त 15 केन्द्रीय परियोजनाएं 1655 करोड़ रुपये की विभिन्न जनपदों में स्थापित करने का भी संकल्प किया गया है ।

इन योजनाओं के तहत हेवी इक्विपमेंट रिपेयर धाम वाराणसी में 14 करोड़ रुपये का, इलेक्ट्रानिक स्विचिंग इक्विपमेंट, मनकापुर (गोण्डा) में 160 करोड़ का, वाच काम्पलेक्स (एच0 एम0 टी0 कारखाना) रानीबाग, नैनीताल में 45 करोड़ का, एयर क्रैफ्ट स्पेशलिटीज कोरबा (सुल्तानपुर) में 46 करोड़ का, हैवी इक्विपमेंट काम्पोनेन्ट्स रुद्रपुर (नैनीताल) में 1 करोड़ का, डेटो नेटर्स (इन्डो बर्मा पेट्रोलियम) उत्तर प्रदेश 15 करोड़ का, रिफैक्ट्री, पिथौरागढ़ में 15 करोड़ का, इंसुलेटर (बी0 एच0 ई0 एल0) भेल, पर्वतीय अंचल में 15 करोड़ का, इलेक्ट्रानिक्स आइटम (डिफेन्स के लिए) गढ़वाल में 32 करोड़ का, एक्सरे फिल्म मुनि की रेती में 50 करोड़ का, पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स, सलेमपुर (अलीगढ़) में 200 करोड़, कम्पयूनिकेशन केबिल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70 करोड़ का, आप्टिकल फाइबर, भीमताल में 30 करोड़ का और कोल्ड फार्मिलाइन एण्ड वेल्डेड बीम शाप, गाजीपुर में 12 करोड़ का और बैगेस वेल्ड पेपर काशीपुर में 150 करोड़ रुपये का कारखाने लगाने जा रहे हैं। सम्मानित सदस्य को जानकार प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश में बाम्बे हाई से प्राप्त गैस पर अधारित 4 कारखाने मिले हैं। जबकि सारे देश में इस तरह के 6 कारखाने उपलब्ध हो रहे हैं। यह 4 कारखाने उत्तर प्रदेश में आंवला, बरेली में, शाहजहांपुर में, बबराजा, बदायूं में और जगदीशपुर, सुल्तानपुर में लगाये जा रहे हैं। 2 में कार्य प्रारम्भ हो गया है और मुझे आशा है कि 7वीं योजना काल में यह कार्यरत हो जायेंगे। 1800 करोड़ रुपये की विश्व की बड़ी गैस पाइप लाइनों में एक पाइप लाइन उत्तर प्रदेश में बनाई जायेगी जो इन कारखानों को महासागर से निकली गैस पहुंचायेगी।

जिन उद्योगों की हमने सूचना दी है वह जिन जनपदों में लग रहे हैं उनके साथ-साथ उनके पड़ोसी जनपदों को भी इससे लाभ मिलेगा। मान्यवर, उद्योगों के लिये आवश्यक है औद्योगिक प्रशिक्षण। हमारे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिये 85-86 में 10 हजार उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अब तक कुल 3 हजार उद्यमियों का प्रशिक्षण हुआ था। यह प्रशिक्षण लघु

सेवा संस्थान, यू0 पी0 इंडस्ट्रियल कंसलटेंट, प्रदेश की विभिन्न बैंकों के सहयोग से दिया जाएगा। जिलों में तथा मंडलों में उद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे। प्रशिक्षित उद्यमियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए अच्छी औद्योगिक इकाई में प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लखनऊ में की जायेगी। इस संस्थान में 3 करोड़ व्यय होगा जिसमें 75 प्रतिशत आई0 डी0 बी0 आई0 द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जायगा। संस्थान की शाखायें पश्चिमी, पूर्वी तथा पहाड़ी क्षेत्र में होगी। प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। डेनमार्क तथा स्वीटजरलैंड की भांति देश का यह प्रथम संस्थान होगा। आई0 टी0 आई0 से ट्रेन्ड को भी उद्यमिता का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, सदन के बाहर और सदन में स्वत: रोजगार के बारे में अनेकों बार चर्चा हुई है। बहुत सी शिकायतें स्वत: रोजगार योजना के सम्बन्ध में भी प्राप्त होती रही हैं और जो निश्चित सूचनाएं मिली हैं, उनकी जांच भी कराई गई है। मान्यवर, यह योजना दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विशेष प्रयासों से 1983-84 में प्रारम्भ हुई थी। तमाम कठिनाइयों और शिकायतों के बावजूद इससे 1983-84 में 37, 815 व्यक्ति लाभान्वित हुए थे। और उनको 63.52 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया था। मान्यवर, 1984-85 में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 34,350 थी और उनको 40 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया था। श्रीमन्, निर्बल शहरी बेरोजगार योजना 1984-85 में प्रारम्भ की गयी थी और इसमें 50,469 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। आई0 आर0 डी0, ट्राइसम योजना में 1984-85 में 98,488 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। श्रीमन्, 1984-85 में लक्ष्य केवल 1.77 लाख था। इसके विपरीत 2.98 लाख, 488 लोग लाभान्वित हुए। ट्राइसम योजना में 31, 523 लोगों को लाभान्वित किया गया। इसमें प्रशिक्षित 22 हजार 22 लोगों को उद्योग दिलाया गया और मान्यवर, इन समस्त योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को 29,853 लोगों को लाभ पहुंचाया गया।

मान्यवर, लघु, लघुतर और कुटीर उद्योग इस प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति के कारण यहां उद्योग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जो विशेष कदम उठाए गये हैं, उनमें लगभग 11 प्रकार के सहयोग के नये-नये आधार निकाले गये हैं। जिनमें केन्द्रीय पूंजी उपादान, राज्य पूंजी उपादान, ब्याज मुक्त बिक्रीकर ऋण, भूमि मूल्य उपादान, चुंगी में छूट, पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात उपादान उद्योगिक संभाव्यता रिपोर्ट उपादान, विद्युत कटौती में छूट जेनेरेटिंग सेट पर उपादान, औद्योगिक आस्थान तथा क्षेत्रों में न्यूनतम दर पर शेड तथा प्लाट का आवंटन, किराया पद्धति पर मशीनों की आपूर्ति, सरकारी क्रयों में मूल्य वरीयता और विपणन में सहायता देने की व्यवस्था करने के कारण पूंजी निवेश में आशातीत वृद्धि हुई और नये उद्यमी प्रदेश में अग्रसर हुए। मान्यवर, पांचवीं योजना के अन्त तक 48 हजार उद्योग लगे जिनमें 7 सौ करोड़ रुपये

लगाए गये और 983 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। छठी योजना तक 1.10 लाख, 700 उद्योग लगाए गये और 1984-85 में 15 हजार उद्योग लगे और मान्यवर, 1985-86 में 16 हजार उद्योग लगाने का लक्ष्य है। पूरी सातवीं योजना में एक लाख उद्योग लगाने का लक्ष्य है। जिनमें हमें उम्मीद है कि 7 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे। मान्यवर, नयी उद्योग नीति के कारण औद्योगिक आस्थान क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। अब यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक विकास खण्ड में एक हैक्टेयर भूमि पर एक मिनी इण्डस्ट्रियल स्टेट लगाया जायगा। प्रत्येक विकास खण्ड में 2 लाख रुपये से ऊपर का एक उद्योग लगाने का संकल्प है। मान्यवर, जिला योजना में फीडर लाइन तथा उसके रख रखाव का प्राविधान भी किया जायगा। मान्यवर, प्रत्येक तहसील में एक करोड़ से अधिक लागत वाली जो यूनिट लगेगी उसे पानियर यूनिट मानकर 15 लाख का उपादान दिया जायगा।

मान्यवर, 25 करोड़ रु0 से अधिक के उद्योगों को प्रेस्टिज इकाई माना जायेगा और उन्हें 15 लाख रुपये तक उपादान दिया जायेगा। मान्यवर, इसमें से जो उद्योग पूरक उद्योग लगायेंगे उनको 15 प्रतिशत अतिरिक्त उपादान भी देने की व्यवस्था की जावेगी। मान्यवर, इन सुविधाओं का यह परिणाम हुआ है कि हमारे प्रदेश में 16 प्रतिष्ठानों ने 302 पूरक उद्योग लगाये है। प्रदेश में इस समय 97 इण्डस्ट्रियल इस्टेट हैं जिसमें से 10 केवल हरिजनों के लिये आरक्षित है। इन आस्थानों में 1066 शेड्स है जिसमें 926 आवंटित किये जा चुके हैं। मान्यवर, इन आस्थानों में 3035 प्लाट हैं, जिसमें से 2272 आवंटित किये जा चुके है। इन आस्थानों में 1621 इकाईयां कार्य कर रही है। 82 करोड़ रुपये का उत्पादन हो रहा है। 15907 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, सुविधाएं बाद में दी जायेंगी, लाभ पहले ही दिखने लगा। यह तो पूरा भाषण पढ़े जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, नोट्स देख रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे हैं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह आंकड़े हैं।

मान्यवर, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने 35 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये है। 11 आपके औद्योगिक शून्य जनपदों में 6 करोड़ रुपये प्रति जनपद की योजना बनायी गयी है। जो 6 करोड़ रुपये की लागत से इण्डस्ट्रियल इस्टेट बना देंगे, उसमें 2 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार की सहायता होगी, 2 करोड़ प्रदेश सरकार की सहायता होगी और 2 करोड़ रुपये आई0 डी0 बी0 आई0 से प्राप्त होगा। मान्यवर, प्रदेश के उद्योगों में सहायता करने वाली प्रमुख संस्था पिकप ने हमारे प्रदेश में एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। 1983-84 में 23.35 करोड़ रुपये ऋण दिया था। 1984-85 में 47.81 करोड़ रुपये का टर्म लोन स्वीकृत किया गया है। ज्वाइंट सेक्टर में 1983-84 में 7.69 करोड़ रुपये ऋण दिया गया था जो कि 1984-85 8.6 करोड़ रुपये हो गया। मान्यवर, वित्त निगम भी छोटे उद्योगों को विशेष सहायता देने का प्रयत्न कर रहा है। 1983-84 में 64.37 करोड़ रुपये इस वित्त निगम

ने दिये थे जबकि 1984-85 में 93.50 करोड़ रुपये 3897 इंकाईयों को दे दिया गया है।

मान्यवर, हथकरघा उद्योग हमारे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। इस हथकरघा उद्योग की तरफ विशेष ध्यान देने का यह परिणाम हुआ है कि अब हमारे प्रदेश में हथकरघा द्वारा 1983-84 में जो विशेष सुविधाएं मान्यवर, दी गई हैं उनका जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। हमारे प्रदेश में 15 लाख बुनकर हैं। 5 लाख हथकरघे हैं। इन बुनकरों को विशेष सुविधा देने के लिये मान्यवर, सातवीं योजना में 70 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, 60 हजार हथकरघों का अधिग्रहण करके उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है। पूरे प्रदेश में 42 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा बनना है जिसमें हमारे प्रदेश में 10 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा बनता है, जो सारे देश का 25 प्रतिशत कपड़ा होता है। मान्यवर, पिछले दिनों अनेक बार सदन में, सदन के बाहर सूत के अभाव पड़ने की चर्चा हुई है। मान्यवर, यह कपास का भाव स्थिर न होने के कारण और उन पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होने के कारण यह असुविधा समय-समय पर हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने 2 करोड़ रुपये का रिवालविंग फंड इस कार्य के लिए अलग से दिया है। जिससे समय समय पर जब सूत का भाव बढ़ने लगे तो बुनकरों को विशेष सुविधा पहुंचायी जाय। मान्यवर, कार्यशील पूंजी के अभाव से बुनकरों को विशेष असुविधा होती है। 16.70 करोड़ रुपये की गारंटी बैंकों को देकर बुनकरों को ऋण दिलाने की विशेष सुविधा प्रदान की गयी। 1983-84 में 39 करोड़ 60 लाख 13 हजार की बिक्री हुई। 1984-85 में 39 करोड़ 91 लाख हो गयी।

श्री विजय सिंह राणा –

माननीय मंत्री जी पूरा पढ़ रहे हैं। इसे छपवाकर माननीय सदस्यों में वितरित करवा दें।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण कुछ नीति संबंधी बात भी जानना चाहते हैं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

आपकी आज्ञानुसार मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को स्थिति से अवगत कर दूं। इसके बाद जो कुछ वह सुझाव प्रस्तुत करेंगे उद्योग विभाग के संबंध थे, उन सुझावों पर हम विचार करेंगे ताकि उनके बहुमूल्य सुझावों से उद्योग विभाग को लाभ हो जाय। जो कुछ आंकड़े थे, वे आपके समक्ष प्रस्तुत किये। मान्यवर, माननीय सदस्य विचार दें और इसे पारित करायें।

*श्री काजी कलीमुर रहमान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसी भी नीति की कोई भी घोषणा नहीं की है। मा0 उद्योग मंत्री जी ने अपने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों द्वारा तैयार नोट के आधार पर यहां अपना भाषण दे दिया। मान्यवर, दुर्भाग्य है कि आज नौजवानों की बेरोजगारी प्रदेश के विकास और उन तमाम समस्याओं का कोई सही रास्ता नहीं अपनाया गया है। मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि आज हमारे प्रदेश में ऊर्जा की कमी के कारण उद्योग बहुत पीछे जा रहा है। व्यावहारिक रूप से यह बात स्पष्ट है कि आज उद्योगपति जो कुछ हमारे प्रदेश में थे वह भी आज हमारे प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेश में जा रहे हैं जहां पर उन्हें सुविधायें उपलब्ध हैं लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार करने की कोशिश नहीं की। हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन आज 37 सालों के बाद भी यहां पर उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। आये दिन जो लोग उद्योग लगाते हैं उनको जो बाधायें होती हैं और तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और छोटे-छोटे प्रदेश हैं वहां पर तमाम तरह की सुविधायें हैं।

आज हमारे प्रदेश में यदि कोई उद्योग लगाना चाहे तो उसका जितना भी बल और पैसा होता है, वह इन अधिकारियों के आगे-पीछे घूमने में खर्च हो जाता है। आज उद्योगों से संबंधित एक दफ्तर लखनऊ में है तो दूसरा कानपुर में है और तीसरा आगरा में है। अगर यह दफ्तर सब एक ही जगह पर हों तो जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, वह आवें और एक ही जगह पर उसको हर तरह की सुविधायें मिल जायें। इस चीज का एलान सरकार ने कई बार किया लेकिन उसको सुधार करने की कोशिश नहीं की।

इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सोचा था उसके खिलाफ हमेशा यहां पर काम किया गया। कुटीर उद्योग, छोटे-छोटे उद्योगों को तवज्जह नहीं दी गई। यह हम लोगों की बदकिस्मती है कि इस मुल्क के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने गांधी जी की मंशा के खिलाफ बड़े उद्योगों की बात की लेकिन

आज अगर सही माने में देखा जाय तो आज हमारे प्रदेश में न बड़े उद्योग आये, न छोटे उद्योगों का पता है। किसान को आम जनता से जैसे लुहार, बढ़ई, कहार आदि से सहायता मिलती थी आज किसान की उन तमाम सुविधाओं को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया और आज तमाम तरह की परेशानियां सामने हैं। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं जैसे बनारस की साड़ियां, फिरोजाबाद की चूड़ियां, मिर्जापुर का पीतल उद्योग, कानपुर और आगरा का चमड़ उद्योग, लखनऊ का चिकन और फारेस्ट प्रोडक्शन आदि। अभी माननीय मंत्री जी ने जो निर्यात की बात कही, पहले उन्होंने इसके लिये 55 लाख 84 हजार रु0 लिये थे और इस साल 52 लाख 48 हजार रु0 लेना है। क्या वजह है कि जो निर्यात के प्रोत्साहन की बात की जाती है उसमें दिनबदिन कमी होती जा रही है। मुरादाबाद का निर्यात पूरी तरह से गिर चुका है। आज अभी 12 तारीख को माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इलाहाबाद में घोषणा की है कि अमिताभ बच्चन 200 करोड़ रु0 का उद्योग इलाहाबाद में लगाने जा रहे हैं।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने वहां पर अमिताभ बच्चन के स्पोक्समैन की हैसियत से कहा है या उत्तर प्रदेश के कैबनेट के एक मिनिस्टर की हैसियत से कहा है, पता नहीं किस हैसियत से कहा है? ऊर्जा मंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो इस तरह की घोषणा कर देते हैं। वास्तविकता यह है कि रायबरेली, सुल्तानपुर, नैनीताल कुछ ही ऐसी जगहें हैं, जहां पर उद्योग लगाये गये हैं। उनके अलावा कहीं पर भी उद्योग लगाने की बात नहीं कही गई है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो सिल्क का उद्योग है, उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी और यह सरकार इसकी ओर कोई भी तवज्जह नहीं दे रही है। आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो चाहते हैं, वहीं काम किया जाता है। वह इस काम को इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि इसमें खाने-पीने की कोई गुंजायश नहीं है। कर्नाटक जैसे प्रदेश को इस काम के लिए 80 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक द्वारा ऐसा दिया गया है। हमारे प्रदेश में सिल्क की साड़ियां बनारस में बनती हैं, लेकिन हम रा-मैटीरियल दूसरे प्रदेशों से मंगाते हैं। सिल्क उद्योग एक ऐसा उद्योग है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस सिल्क उद्योग की तरफ विशेष ध्यान दें। सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड और वर्ल्ड बैंक के जरिये से इसमें काफी मदद ली जा सकती है लेकिन हमारे प्रदेश में इस उद्योग पर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से इस उद्योग का भी काम ठप हो गया है।

मान्यवर, हैण्डलूम्स और बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे प्रदेश के बुनकरों के लिये अलग से कोई निदेशालय नहीं है, जो इस बात का पता लगाकर बुनकरों को बताये कि सूत का दाम क्या है और किस नम्बर का सूत कहां पर चाहिये। किस नम्बर के सूत की खपत कहां पर है और वहां पर निकटवर्ती कौन सी मिल है, जो उसे पूरा कर सकती है।

श्री हरदेव–

इन्हीं को उसका सुपरवाइजर या इन्चार्ज बना दीजिये।

श्री काजी कलीमुर रहमान–

किस जिले में कितने बुनकर रहते हैं और कहां पर रहते हैं। अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। भारत सरकार ने बुनकरों के लिये आवास उपलब्ध कराने और कर्मशालायें खोलने का वायदा किया था लेकिन आज तक सरकार ने उनके लिए क्या किया, यह किसी को पता नहीं है।

माननीय मंत्री जी को इस बात की पूरी जानकारी है कि कहां पर बुनकरों का कितना रुपया बाकी है। मुरादाबाद के धामपुर प्रोजेक्ट में, 24 नम्बर का सूत, काशीपुर मिल को 120 रुपये प्रति बन्डल मिलता है, यही सूत 122 रुपये प्रति बन्डल मिलता है। 32 नम्बर का सूत 130 रुपये धमपुर में और वही 135 रुपये में मुरादाबाद में। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जहां पर जो छोटे-बड़े उद्योग थे, उनकी स्थिति क्या है, इस पर आपने क्या कभी विचार किया? वहां पर उद्योग लगाने के लिए क्या नजर दौड़ाई ? आजमगढ़ में मुबारकपुर और मऊ में, जो साड़ियों का केन्द्र है, जो संस्थान थे, गिरते जा रहे हैं। बनारस की साड़ियां प्रसिद्ध हैं लेकिन अब लोग कर्नाटक, बंगलौर से साड़ियां लाकर बनारसी कह कर बेंच रहे हैं। बलिया में जो छोटे उद्योग हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जो छोटे-बड़े उद्योग लगाने की बात कही जाती है, यह लगते तो कहीं नहीं बल्कि यह सिर्फ कागजी बात है। जो मंत्री जी ने घोषणा की है उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। पूर्वी क्षेत्रों के लिए, जहां उद्योग नहीं हैं, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। हथकरघा उद्योग है, अधिकांश निगम घाटे में हैं और वहां के अधिकारी उसे अपना चरागाह बनाये हुये हैं और खा कमा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कानपुर देहात जनपद में, जहां से मैं आता हूं, औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है और उसको इसी कारण उद्योग शून्य घोषित किया गया है। इधर कुछ प्रयास इस तरह के रहे हैं कि कुछ ऐसे लाइसेंस कानपुर देहात में लगाने के लिए इशू किये गये लेकिन उनकी स्थापना नहीं हुई। फिर भी यह प्रयास किया जा रहा है कि उद्योग शून्य जिले की सूची से उसका नाम हटा दिया जाय। मैं शासन से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जब तक सभी मिलों की स्थापना न हो जाये तब तक उसको उद्योग शून्य लिस्ट से न हटाया जाय। वहां एक बड़े उद्योग की स्थापना की जाय। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के दिलीपनगर में जो हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, उसे इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने का प्रयास है, उस प्रयास को जल्दी से पूरा कराने का प्रयास किया जाय।

हमारे कानपुर महानगर में, जो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा औद्-

यांत्रिक शहर है और उद्योग के मामले में जाना जाता है, जिस प्रकार से मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में जो पोर्ट है निर्यात के लिये सामग्री भेजने के लिये, उसकी एक एजेन्सी की स्थापना कानपुर महानगर में भी की जाय, जिससे उत्तर भारत का जो भी सामान व्यापारियों का जाना हो, वह कानपुर एजेन्सी में पहुंच जाय और व्यापारियों को व्यर्थ के परिश्रम से बचना पड़े। हम नौजवान हैं, हमारी स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत तमाम नौजवानों को अपना रोजगार स्वयं चलाने के लिये ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। इसके लिये मैं माननीया स्व0 प्रधानमंत्री के प्रति और सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रगट करता हूं, परन्तु इस योजना में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में शासन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आज हमारे नौजवान साथियों को जिला उद्योग केन्द्रों पर परेशान किया जा रहा है, बैंकों द्वारा प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है और कमीशन मांगा जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि ऐसी व्यवस्था का प्रयास करें कि जिला उद्योग केन्द्रों से बैंकों में ज्यादा फाइलें भेज दी जाती हैं और मैनेजर चयनित करने में कमीशन खाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा प्रयास किया जाय कि बैंक के मैनेजरों को बाउण्ड किया जाय जिससे वे हमारे नौजवान साथियों से किसी प्रकार का कमीशन न ले सकें, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करने की अपनी सरकार से मांग करता हूं। इसके साथ ही मैं अपने प्रदेश के मा0 मंत्री जी द्वारा जो बजट यहां रखा गया है, उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। उसमें व्यवस्था की गयी है कि इण्डस्ट्रियल इस्टेट बनाने की। गांव के स्तर पर और ब्लाक के स्तर पर जब ऐसी व्यवस्था होगी तो हमारे नौजवान साथी अवश्य लाभान्वित होंगे। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं।

मंत्री जी ने इतने महत्वपूर्ण उद्योग विभाग का बजट जो पेश किया है, उनका पेश करने का जो ढंग था, उससे लगता था कि उनको कोई अनुभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उद्योग के अन्दर सभी बातें बतायी गयीं, लघु उद्योग की, बड़े उद्योग की लेकिन जहां सबसे बड़ी लागत और आय होती है, वह है जिओलाजीकल सर्वे और माइनिंग विभाग। इस विभाग के माध्यम से जो आय होती है उसका इतना महत्वपूर्ण भाग है, जो मंत्री जी को नहीं मालूम। न जाने किस तरह से मन्त्री बन गये मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो विज्ञान होता है, वह मां होता है और जो टेक्नालाजी होती है, वह हाथ होती है। आज इस देश में जो वैज्ञानिक है, उसे सम्मान नहीं मिल रहा है। जो इन्जीनियर्स हैं, अगर वे बिजली, पानी बन्द कर देते हैं तो उन्हें बहुत महत्व दिया जाता है लेकिन साइन्टिस्ट को कोई सम्मान नहीं मिलता है। बांदा के अन्दर यूरेनियम की खोज किसने की, टंग्सटन की खोज किसने की, इलाहाबाद में सिलिका की खोज किसने की। जब वैज्ञानिक खोज करता

है तो बड़े-बड़े इन्जीनियर्स जाकर अपने हाथ से काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उद्योग पिछड़ा हुआ है, उसका प्रमुख कारण यह है कि वैज्ञानिकों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जितने अनुसंधान केन्द्र खोले जाते हैं वह राजनैतिक परिवारों के नाम से खोले जाते हैं और वे किसी वैज्ञानिक के नाम से नहीं खोले जाते हैं।

आज इलाहाबाद के अंदर सिलीका की खान बतायी गयी, यह किसने खोज की है? हमारे वैज्ञानिकों ने ही इसकी खोज की है। वहां पर आदिवासी उसी प्रकार से रह रहे थे, आपने चुनाव के समय घोषणा की थी इलाहाबाद में ग्लास की फैक्ट्री खुलेगी, लेकिन भारत के प्रधान मंत्री जिनको यह भी नहीं मालूम है कि उद्योग क्या चीज है, उसमें किस चीज की आवश्यकता रहती है, बस घोषणा करा देते हैं। जबरामैटिरियल यहां से ढो कर जायेगा, जैसा कि अभी उद्योग मंत्री जी ने कहा कि बिजली की समस्या है, ढोने की समस्या है। तो मैं कहता हूं कि जब इलाहाबाद में सारी चीजे उपलब्ध हैं तो यह कौन सा तरीका है? कहते हैं कि यह देश के हित में है। मैं कहता हूं कि जब आदमी अपने प्रान्त का हित न देखे तो देश का हित क्या करेगा?

आज जो पदोन्नतियां हो रही हैं उनमें भी अनियमितता बरती जा रही है। असिस्टेन्ट केमिस्ट की पदोन्नति नहीं होती है। मैं भी विज्ञान का स्टूडेन्ट रहा हूं इसलिये मुझे सब पता है। आप टेक्नीकल असिस्टेंट को कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। यहां चंदा में मोनोसाईं खड़ा किया है, उसे अपग्रेड कर दिया गया है। सैकड़ों साइन्टिस्टों का कोई महत्व ही नही है यदि आप उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वैज्ञानिकों के सम्मान को बढ़ाना होगा तभी जाकर आपका उद्योग सम्पन्न होगा।

यहां पर मंत्री जी ने कहा कि लखनऊ में परीक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, मैं कहता हूं इसमें भारी धनराशि लगेगी और यह भारी भ्रष्टाचार का अड्डा होगी। आज जितनी प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं हैं जैसे आई0 टी0 आई0 और इंजीनियरिंग कालेज इन सबसे जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं उनके लिये आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बड़े-बड़े लोगों के लिये, पूंजी पतियों के लिये बड़ी-बड़ी धनराशि मुहैया की जाती है देने के लिये लेकिन आप इन नौजवानों को कोई प्रोजेक्ट के लिये पैसा देने को तैयार नहीं होते हैं।

आज उत्तर प्रदेश के लोग बम्बई में जाकर अपने टेलेन्ट का इस्तेमाल करते हैं। मद्रास, बम्बई और मिडिल ईस्ट में जाकर लोग भाग-भाग कर अपने टेलेन्ट को दे रहे हैं। जो टेक्नीकल हैण्ड आपके यहां है उसका फायदा बाहर के लोग उठा रहे हैं। लेकिन आप इंजीनियर्स को प्रोत्साहन दें, यहां के जो नौजवान लोग हैं उनको आप स्वावलम्बी बनायें और उन्हें उचित साधन मुहैया करें, यह मेरा सुझाव है।

कुमारी अलमेलू अम्माल--

अधिष्ठाता जी, मैं उद्योग बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं माननीय उद्योग मंत्री जी ने इतने कम समय में उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये जो काम किया है और बहुत मेहनत

की है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

मान्यवर, उद्योग दरिद्रता का नाश करता है, यह कहावत ही नहीं है बल्कि यह सच्चाई है। उद्योग से बेकारी मिट जाती है, लेकिन उद्योग लगाने के लिये ऐसी जगह होनी चाहिये कि जहां कच्चा माल मिल सके। मैं बस्ती जिले से आती हूं। बस्ती जिले में पांच चीनी मिले हैं। इन पांच चीनी मिलों में से तीन चीनी मिलें हमारे ही क्षेत्र में है, वहां कच्चा माल खूब मिलता है। उसके मैल से रंग व मोम की फैक्ट्री बन सकती है।

इस फैक्ट्री से कुछ बेकारी मिट सकती है और वहां हम लोगों को, सिर्फ वहां ही नहीं पूरे प्रदेश में, चीनी के दाम कम होने में एक सुविधा होगी। मान्यवर, मैं यह चाहती हूं कि वहां गन्ने से जो खोइया मिलता है, उस खोइया से अखबारी कागज आप बना सकते हैं। विलायत से जो अखबारी कागज हम इम्पोर्ट करते हैं, वह खतम हो जायेगी। उसी से कपास के गुनका स्टेबिल फाइबर का कपड़ा ऋतु प्रतिरोधी गुण वाला आप बना सकते है। मैं बस्ती के बारे में कहती हूं वहां इस कपड़े की एक फैक्ट्री बनाने की बात अच्छी होगी। 81-82 में, तब भी मैं एम0एल0ए0 थी, तब सरकार ने एक लेदर काम्पलेक्स बनाने की स्वीकृति दिया था, उसके लिए जमीन भी ली गयी थी। वहां पर बस्ती में पशु ज्यादा है इसलिए चमड़े का बहुत ही कच्चा माल वहां पर मिलता है लेकिन आज तक वहां पर कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं आप द्वारा मा0 मंत्री जी से चाहती हूं कि जल्द से जल्द आप उसको फैक्ट्री बनाने की कृपा करें। इससे हमारे पिछड़े इलाके को बहुत फायदा होगा।

मान्यवर, बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने और उद्योग मंत्री जी ने अभी प्रदेश के हर जगह, जिले में फैक्ट्री या कुछ उद्योग देने के लिए कहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि बस्ती जिला इतना पिछड़ा है और उसका नाम मैंने कहीं नहीं सुना। मुझे बड़ा अफसोस है और मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि क्या पिछड़े जिले को पिछड़ा ही रहना है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी चाहूंगी कि हमारे बस्ती जिले के लिए कुछ न कुछ फैक्ट्री शुरू करें, आप क्यों नहीं ख्याल करते है? मैं टी0वी0 में सुनती हूं, रेडियो में सुनती हूं, हमारे बस्ती जिले का कहीं कोई नाम नहीं है हमारे बस्ती जिले में कुछ न कुछ फैक्ट्री अवश्य लगाई जाय। आपने जौनपुर का नाम लिया, देवरिया का नाम लिया, आजमगढ़ का नाम लिया और पहाड़ का नाम लिया, मैं खुश हूं कि सबको दिया जाय लेकिन साथ ही साथ हमको भी दिया जाय। हमारे यहां 5 चीनी मिल में 2 चीनी मिल आज या कल बन्द करने के लिए एक नारंग ग्रुप और एक जैपुरिया ग्रुप, एक बाल्टरगंज चीनी मिल और दूसरा खलीलाबाद चीनी मिल के मालिक लोग बिलकुल आपके पास, माननीय उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री के पास वह रोज आते-जाते रहते हैं और हम लोग डर के मारे बैठे हैं कि कहीं वह बन्द न हो जाय। मैं मंत्री जी से कहूंगी कि उसको बन्द न होने दें, जब तक आप कोई नई इंडस्ट्री न दें तब तक यह मिल चलती रहे। स्वर्गीय के0 डी0 मालविया जी केन्द्रीय मंत्रित्व काल में जब थे, उन्होंने प्लास्टिक काम्पलेक्स बस्ती में लगाया था, उसको आज न बिजली मिलती है, न कच्चा माल मिलता है, इसलिए प्लास्टि

काम्पलेक्स भी ठीक से नहीं चल रहा है। उसको ठीक से चलावें तो अच्छी बात होगी। मैं कहना चाहती हूं कि हम लोगों को भी बस्ती के लिए और बड़े उद्योग दीजिए।

(लाल बत्ती जलने पर)

मुझे और भी कहना है, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट और बोल ले।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में चावल का इतना बढ़िया धान उत्पन्न होता है, यहां पर राइस काम्पलेक्स आप बनायें। एक चावल है, काला नमक नाम है उसका। तो राइस काम्पलेक्स से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। वहां पशु अधिक हैं और हड्डी की खाद बनाने की फैक्ट्री भी आप वहां लगायें तो उससे किसान खुश होंगे। क्योंकि आज की जो खाद है, उससे हमारी जमीन उत्पादन नहीं देती है। वहां पर हर तरह से निराश होकर किसान बात करता है। आप वहां पर हड्डी की फैक्ट्री चालू कर दें तो हम लोगों को फायदा होगा। धन्यवाद।

डा0 दिनेश जौहरी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं बरेली के काष्ठ उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। यहां का फर्नीचर उद्योग बहुत पुराना है और देश में सबसे बड़ा है। यहां पर 10 हजार और कारीगर काम कर रहे हैं और 4 करोड़ रुपये का फर्नीचर हर वर्ष यहां पर तैयार होता है। यहां पर बेंत का सामान भी तैयार होता है, जब मा0 मंत्री जी बरेली आये थे तो उनसे मांग की गयी थी कि बरेली में फर्नीचर निगम की स्थापना की घोषणा करें और इसको काष्ठ सिटी घोषित करें। मगर मा0 मंत्री जी ऐसा करेंगे तो 10 हजार कारीगरों का फायदा होगा और जो उनका शोषण हो रहा है, वह नहीं होगा। जो नगर के अच्छा फर्नीचर बनाने वाले कारीगर हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर पैसा नहीं मिलता है, इसलिये यह उद्योग मरता चला जा रहा है। मान्यवर, बरेली में एक काष्ठ कला केन्द्र है जो बहुत बड़ी भूमि में फैला हुआ है, लेकिन इसमें केवल 70 विद्यार्थी ही प्रशिक्षण पाते हैं, यहां पर बहुत सी आवश्यक मशीनें नहीं हैं तो मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और जो बरेली में काष्ठ कला केन्द्र है, उसका विकास करें जिससे सरकार का जो रुपया लगा हुआ है वह बेकार में न चला जाये। फर्नीचर उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण मिले और बरेली के लोगों को रोजगार मिले और जो बेरोजगार हैं उनको अवसर मिले और वह काम कर सकें।

यहां पर मान्यवर, दरी उद्योग है और बहुत अच्छी दरियां यहां पर बनती हैं, उसका विकास करें, तो यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री विकसित हो सकती है। बरेली में कंडिया बनाने का काम किया जाता है और बेंत का फर्नीचर भी बनाया जाता है और यह कार्य बहुत अच्छा होता है। इसमें जो कर्मचारी लगे हुये हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाये और मशीनों के लिये, औजारों के लिये उनको ऋण दिया जाये, तो यह इन्डस्ट्री विकसित हो सकती है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह बरेली को काष्ठ सिटी घोषित करें तथा वहीं पर काष्ठ निगम की स्थापना करने की घोषणा

श्री राम सकल तिवारी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उद्योग के सम्बन्ध में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उद्योगों के मामले में सरकार की नीति के यह बढ़ते हुए कदम हैं। मान्यवर, औद्योगिक आस्थान, लघु स्तरीय क्षेत्र, हस्त शिल्प, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ट्राइसम योजना, विकास केन्द्र योजना, की जो रूप रेखा तैयार की गयी है वह हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री के विचारों के अनुकूल है और हमारी सरकार इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है कि यहां पर औद्योगीकरण हो और उद्योगों के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों के सामान आ सके। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, इस बजट का स्वागत करता हूं। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। साथ ही साथ मैं उस पूर्वांचल की तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिस पूर्वांचल के सम्बन्ध में पटेल आयोग ने अपनी संस्तुतियां की थी और रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बलिया, गाजीपुर और देवरिया, ये अत्यन्त पिछड़े हुये जनपद हैं इस प्रदेश के। उस पटेल आयोग के आधार पर वहां पर विभिन्न योजनायें लागू की गई थीं चाहे वह सिंचाई की योजना हो, लघु सिंचाई की योजना हो या गन्डक परियोजना हो। पटेल आयोग की रिपोर्ट पर यह सारे कार्य अमल में लाये गये थे और उसके परिणाम सामने आये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपके पूरे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा मंडल नहीं है जहां की आबादी 1,37,95,000 से ज्यादा हो। मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उद्योग धन्धे के नाम पर देवरिया जनपद में आजादी के बाद से निर्माण कार्य के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी गई है। बहुत से वायदे किये गये हैं मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण भी मैं देख रहा हूं। उसमें गाजीपुर, जौनपुर और बलिया का नाम तो आया है लेकिन देवरिया का नाम नहीं आया। देवरिया के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां पर 14 शुगर फैक्ट्रियां हैं और एक डिस्टिलरी है। लेकिन यह फैक्ट्रियां सन् 1914 से लेकर 1930 तक के बीच में लगी थी जिसमें कई ऐसी यूनिट्स हैं जो सिक यूनिट्स हैं।

जहां तक हमारे यहां जनसंख्या का सवाल है, श्रम का सवाल है वहां पर बेरोजगारी बहुत अधिक है। पढ़े-लिखे लोगों से लेकर अशिक्षित लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। जमीन और कृषि के ऊपर वहां 85 प्रतिशत से ज्यादा लोग निर्भर रहते हैं और जनसंख्या का दबाव भूमि पर इतना अधिक हो गया है कि उनके लिये रोजी-रोटी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। वहां पर लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। हमारी सरकार की यह नीति है कि गांवों को शहर बनाया जाय लेकिन जो बजट दिया गया है, जब उसकी रूपरेखा सामने आई है उससे यह लगता है कि शहरों को और घनी आबादी वाली जगह बनाई जा रही है और गांवों की जितनी उपेक्षा हो सकती है वह की गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी उद्योग धन्धे के लिये रा-मैटीरियल की आवश्यकता होती है।

किसी भी उद्योग धन्धे के लिये जमीन की आवश्यकता होती है ।

हमारे यहां गन्ने की फसल सबसे ज्यादा होती है, आलू की फसल होती है। गन्ने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर कम से कम 50 से लेकर 80 लाख क्विंटल चोरी से बाहर चला जाता है। इसलिये वहां पर एक शुगर फैक्ट्री कायम की जाय। दूसरी चीज यह है कि आलू वहां पर इतना ज्यादा पैदा होता है कि वहां पर सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए । इतना चावल पैदा होता है कि उसके पुआल से और खुइया से कागज बन सकता है। वहां पर बांस पैदा होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है। मान्यवर, यह घनी आबादी वाला जनपद है उसके सम्बन्ध में कह रहा हूं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट का समय और दीजियेगा। इस बात को विरोध पक्ष के कुछ माननीय सदस्य एग्री करेंगे। और बातें छोड़ देता हूं। इतना सब होने के बाद सन् 1983-84 के जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। वह ऐसा गरीब जनपद है जिसका हमेशा से शोषण होता आया है और वह जनपद 11 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष उनकी फैक्टरीज से एक्साइज ड्यूटी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार को देता है। मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। सिर्फ यह मांगता हूं कि 10 साल का वहां का जो रेवेन्यू है जो हमारे जनपद से मिलता है उसको दे दें। हमें सिर्फ जीने का मौका दे दो और गरीबों का हिस्सा गरीबों को दे दो। यह कहकर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि किसी के हक को न दबाया जाय। हमारा ही पैसा हमें दे दें तो वहां उस पैसे ही से बहुत उद्योग धन्धे लग सकते हैं। इन शब्दों के साथ में पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के आकार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध औद्योगिक संपदा के अनुरूप अपने बजट की नीतियों की घोषणा सदन में न करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि संपदा और उससे जन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग धन्धे प्रगति कर सकते हैं और उससे करोड़ों लोगों का हित होगा। तो उसके संदर्भ में ऐसी नीति होनी चाहिये थी जिसका नाम लेकर यह सरकार टिकी हुई है गांधी जी का नाम, लेकर अपने आप को गांधीवादी यह कहते हैं। उसके अनुरूप माननीय मंत्री जी ने घोषणायें न करके करोड़ों रुपये पर लगने वाली फैक्ट्रीज को लगाने की घोषणा की है। उससे प्रतीत होता है कि इनका ध्यान बड़े उद्योगों की तरफ है और कृषि पर आधारित उद्योग जिसमें करोड़ों लोगों का हित हो ऐसे लघु उद्योगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि प्रत्येक विकास खण्ड में दो लाख रुपये की लागत से इंडस्टियल इस्टेट खोलने की बात कही है उसी तरह से 10, 15, 20 या 50 करोड़ रुपया लगा कर बड़े शहरों में उद्योग धंधे यह लगाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की उद्योग नीति से इतने बड़े प्रदेश की करोड़ों जनसंख्या का हित कैसे होने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं यदि उनकी तरफ

देखें तो मालूम पड़ेगा कि जो सबसे छोटे उद्योग हैं, जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनको चलाने के लिये जो उपादान हैं जो उनके लिए पूंजी या ऋण दिया जाना चाहिये उसका कोई प्राविधान नहीं है। इससे लघु उद्योगों को, बुनकरों को जो सहायता आपने दी है उसमें 12 पैसे से ज्यादा उनको नहीं मिलता है। इस धनराशि से वे सफल नहीं हो सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या को किस प्रकार से उद्योगों का लाभ देने वाले हैं इसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आगरा में जो छोटे-छोटे काम करते हैं जैसे कागज के खिलौने बनाना, संगमरमर की मूर्ति बनाने का काम मिट्टी से मूर्ति बनाने का काम वर्षों से चला आ रहा है। कुम्हार जाति के लोगों छोटे कर्मकार लोगों के बारे में भी आपने कोई बात नहीं कही है। अगर उन लोगों को 4 हजार रुपया ही दे दिया जाय, तो उनका भला हो सकता है और उनका उद्योग प्रगति कर सकता है। आज उन्हीं चीजों की विदेशों में सबसे ज्यादा मांग है, उनकी बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है लेकिन आपने बड़ी-बड़ी इम्ब्राइडरी और उनके लिए शोरूम खोल कर उनका शोषण करना शुरू कर दिया है। कोई अच्छी योजना उनके लिए नहीं है। यह स्थान शोषण के अड्डे हैं।

आपने एक शिल्पग्राम वहां स्थापित किया है जिसमें 50 लाख रुपया लगा है लेकिन उस शिल्प ग्राम में कोई शिल्पी जाने के लिए तैयार नहीं है। वहां आपने कूलर लगाया है इतना उसे कूल कर दिया है जितना यहां पर हम बैठे हैं तो उसमें काम कैसे होगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि कौन शिल्पी उस जगह को खरीदेगा, कौन उसमें दुकान चलायेगा। मैं हकीकत कहना चाहता हूं जो 50 लाख में आपने शिल्प ग्राम स्थापित किया है उसमें कुत्ते और सुअर लेट रहे हैं। तो यह आपकी योजनाओं का हाल हो रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगरे में जो छोटे-छोटे गांव हैं वहां पत्ते से पत्तल व अन्य चीजें बनाने का सबसे बड़ा काम होता है जो हरिजन भाई व गरीब करते हैं। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, फिरोजाबाद में छोटे-छोटे काम जैसे झाड़फरनूश, कांच के खिलौने और चूड़ी बनाने का काम कुटीर उद्योग में हो सकता है लेकिन वहां इसके उद्योग लगाने की आपके सामने कोई योजना नहीं है। किन्तु एक तरफ आप प्रदेश में चार गैस के बड़े प्लांट लगाने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह गैस कहां ले जायेंगे। मथुरा की जो रिफाइनरी है उससे जो गैस खारिज होती है वह आगरे में प्रदूषण का काम कर रही है। गैस फैक्ट्री वाम्बे हाई ले आये किन्तु उसका उपयोग कैसे करेंगे इस पर आप ने तो विचार किया ही नहीं। (व्यवधान) मैं निवेदन करूंगा कि फिरोजाबाद को रिफाइनरी से पाइप लाइन द्वारा गैस से जोड़ देवें।

श्री अधिष्ठाता –

आपका समय समाप्त। आप बैठ जायं। (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठ जायं, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री एहतिशाम वली खां –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने उद्योग विभाग के इस बजट पर मुझे भी दो मिनट

बोलने का मौका दिया । मान्यवर, आजादी के बाद से शासन की यह नीति रही है कि पूरे देश और प्रदेश में उद्योगों का एक जाल बिछाया जाय जिससे इस देश की बेरोजगारी और भुखमरी को मिटाया जा सके । मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में लाभकर सिद्ध होगा बशर्ते कि जो योजनाएं उद्योगों के लिए दी गई हैं उनका सही रूप में पालन किया जाये। केवल आलोचनाओं से ही काम नहीं चलता, तस्वीर बनाना एक मुश्किल काम है और उसको तोड़ना आसान काम है । हमारे विरोध पक्ष का काम केवल आलोचनाएं करना है और उससे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है । आज इस ओर हम बैठे हैं तो हमारा कुछ काम, कुछ सिद्धान्त और कुछ उसूल है। जिनके माध्यम से हम सत्ता में बैठे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठने वालों की कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें एक मर्यादा में रहकर उसे पूरा करना होता है ।

स्व0 प्रधानमंत्री, श्रीमती इंन्दिरा गांधी का एक सपना था कि इस देश को औद्योगिक रूप में आगे बढ़ायेंगे, ताकि इस देश की भुखमरी और बेरोजगारी को मिटाया जा सके और उनकी नीतियों के अनुरूप हमारी सारी औद्योगिक योजनायें लागू की गयीं और गरीब को रोजगार देने की कोशिश की गयी । मान्यवर, 25 हजार रुपये की छोटे उद्योग लगाने की योजनायें चालू की गयीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें यह धनराशि उद्योग लगाने के लिए दी गयी जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी का ध्यान बहराइच की ओर, अपने जनपद की ओर, ले जाना चाहता हूं जो कि अभी तक उद्योगों से अछूता रहा है । मान्यवर, बहराइच में वनों का एक बड़ा हिस्सा है, उस भू भाग पर काफी जंगल लगे हैं जिन पर यदि कोई इस तरह का कारखाना लगाया जाय तो वहां की वन संपदा का आसानी से उपयोग हो सकता है जिससे बहराइच जिले के बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है । वहां एक पेपर मिल खोली जा सकती है । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहराइच उद्योगों में अभी तक बहुत पीछे है । मान्यवर, शासन की इस तरह की नीति है कि हर जिले में जो पिछड़े हैं उनमें इस प्रकार उद्योग संबंधी योजनाओं को लागू किया जाये । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी बहराइच में विशेषकर ध्यान देंगे। अन्त में मैं अपने उद्योग मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी का भी विशेष रूप से आभारी हूं तथा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने उद्योग विभाग की मांगों पर इस तरह की अच्छी-अच्छी योजनायें रखी हैं, जिससे प्रदेश की भुखमरी और बेकारी दूर हो सकती है तथा नीतियों का सीधा लाभ गरीब को भी मिलेगा ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं माननीय सदस्य बहराइच से एक निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र में विरोध पक्ष उस शिल्पकार की तरह रहता है, जो हथौड़ी व छेनी से मूर्ति को बनाते समय उसको तोड़ता तो है, किन्तु सुन्दर बनाता भी है। बिना तराशे वह अच्छी मूर्ति बन ही नहीं सकती है (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य –

बनारस में तो साड़ी बनती है मूर्ति नहीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

बनारस के बारे में जानना हो तो आप माननीय लोकपति त्रिपाठी जी से और माननीय राज्य मंत्री उद्योग से पूछियेगा । यह हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है कि हमारा सूबा औद्योगिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर औद्योगिक उत्पादन बढ़े और विकास की दर बढ़े । लेकिन बिजली नहीं मिलेगी तो उत्पादन बढ़ नहीं पायेगा । औद्योगिक उत्पादन पूरी तरह से बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है । यू0 पी0 स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का एक प्रोजेक्ट **यू0 पी0 कारबाईड एण्ड कैमिकल्स है** । उसके बारे में मेरी जानकारी है कि इस प्रोजेक्ट को सन् 79 में 8 करोड़ रुपये की **लागत से शुरू किया गया था कैलशियम** कारबाइड बनाने के लिए और 81-82 में **इसको पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन** यह सन् 84-85 तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है, उत्पादन को कौन कहे । इसके कारण से अब इसकी लागत बढ़कर 17 करोड़ रुपये हो गई है । आज तक यहां पर उत्पादन नहीं शुरू हो पाया है । इसके इंचार्ज श्री के0 के0 रे हैं, और उनके बारे में मुझे जानकारी है कि यह पहले कोटा राजस्थान में श्रीराम केमिकल कम्पनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे । इनके पास कोई तकनीकी डिग्री नहीं है, सिम्पली यह बी0 एस-सी0 ग्रेजुएट हैं ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी एल0 टी0 सी0 पर हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके लिए सपरिवार वर्ष में हवाई यात्रा का प्राविधान किया गया है । उस तरह से यह **मुख्य सचिव से भी बढ़कर हैं और इनको** उनसे ज्यादा सुविधा प्रदान की गयी है । किन्तु आजतक यूनियन कारबाइड का जो प्रोजेक्ट है, उसमें कोई उत्पादन नहीं हो पाया है । मैं आपसे एक बात और बता दूं, जो यहां पर इस समय 7–साढ़े 7 सौ रुपया प्रति टन के हिसाब से कारबाईड किसी भी कम्पनी से मिल सकती है, वह आपकी लागत 900 रुपया प्रति टन के हिसाब से आई है । इसका मतलब यह है कि 2 सौ रुपया टन से लेकर डेढ़ सौ रुपया प्रति टन का नुकसान होता है यानी यदि एक दिन में 70 टन कैल्शियम कारबाईड का उत्पादन किया तो एक दिन में एक लाख 40 हजार रुपये करीब का नुकसान होगा और मुझे जो जानकारी मिली है कैल्शियम कारबाईड की पैकिंग के लिए टीन के डिब्बे बनाने पड़ते हैं और उसके लिए 30 से 50 लाख रुपये का कच्चा माल विदेश से मंगा लिया गया है, किन्तु उसके बाद भी कोई काम शुरू नहीं हो पाया है और आप केवल ब्याज दे रहे हैं ।

पर्यावरण के पालुशन को दूर करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए 1 करोड़ रुपया दिया गया था बम्बई की किसी कम्पनी को । किन्तु उसने भी आजतक उस ट्रीटमेंट प्लान्ट को नहीं लगाया है, परन्तु आज तक आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि सारे पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है इसके बारे में शासन चिंतित होता है या नहीं ? इसके अलावा देहरादून और मसूरी के बीच एक रज्जु मार्ग के लिये करीब 2 करोड़ रुपये का एक ठेका दिल्ली की कंपनी को दिया गया था । 3 साल हो गये हैं लेकिन वह रज्जु मार्ग नहीं बना है और उसकी लागत 5 करोड़ रुपये हो

गयी है । आजतक वहां पर काम पूरा नहीं हो पाया है । आपका यह जो कैलशियम कार्बाइड प्रोजेक्ट है इसकी ओर ध्यान दें वरना लाखों रुपयों के धन का दुरुपयोग हो रहा है । इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपार खनिज और अपार धातु है । बाक्साइट, ग्रेनाइट, चारमोकाइट, कोयला, आइरन और यह जितने भी है हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन श्रृखंला जो है उसमें मिलते है । इसके अलावा कापर को हिमालयन रेंज से प्राप्त करने के लिये आप एक व्यापक तौर पर महायोजना का निर्माण करें क्योंकि पर्वतीय अंचल में, हिमालयन रेंज में कापर की अपार संपदा छिपी हुई है । अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे तो यह छिपी रहेगी ।

इसके अलावा बद्रीनाथ और देहरादून के बीच में जो पर्वत है वहां इसमें ग्रेनाइट मिलेगा और बायोटाइट मिलेगा। बद्रीनाथ का जो मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिये हैदराबाद से ग्रेनाइट मंगाया जा रहा है । तमाम ग्रेनाइट, चारमोकाइट बुंदेलखंड में है तो उसको हैदराबाद से क्यों मंगा रहे हैं ? अगर यहां की वास्तुकला को बढ़ाना है तो यहां के खनिजों को लेना होगा । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर के भूगर्भ शास्त्री है जो हिंदुस्तान के किसी भी भूगर्भ शास्त्री से कम नहीं है । आपका मिनरल प्रोडक्शन 60 करोड़ रुपयों का हो गया है लेकिन आपने इस विभाग पर केवल 6 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं खर्च किये है । अगर आपको औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है तो वह विभाग जिसने 60 करोड़ रुपये का मिनरल दिया है तो उसको भी आप बढ़ायें और उसका विकास करें । इसके अलावा बनारस में भूगर्भ शास्त्र के सर्किल आफिस को खोलने का काम करें और बनारस में इसे खोलकर मिर्जापुर और इलाहाबाद दोनों को इसकी परिधि में लें ताकि जो प्राकृतिक संपदा है उसका उपयोग किया जा सके । धन्यवाद ।

श्रीमती उमा त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसका मैं अनुमोदन करती हूं और उनको बधाई देती हूं । उन्होंने इतना विकासोन्मुख बजट रखा है इसके लिये मैं उन्हें फिर से बधाई देती हूं । मान्यवर, हमारे संविधान में जो समता का उद्देश्य रखा गया, उसमें संविधान निर्माताओं की जो आशायें निहित थीं उसके लिये आवश्यक था कि समाज में समता लाने के लिये जो विषमतायें है उनको दूर किया जाय । इसमें उद्योग विभाग ने बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र प्रदेश के बहुत पिछड़े क्षेत्रों में से एक है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि उसमें आर्थिक प्रगति का दौर लाकर, हर क्षेत्र के लिये संतुलित विकास का प्राविधान किया जाय । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हरदोई क्षेत्र में काफी भूमि भी है और किसान भी प्रभावित नहीं होंगे वहां पर एक वृहद् उद्योग लायें । पिकअप की सहायता से वहां पर मध्यम और वृहद उद्योग लगाने की भी कृपा करें । मान्यवर, मैं आगे कहना चाहती हूं कि किसानों की उप-

जाऊं भूमि से उन्हें अलग नहीं किया जायगा और वहां पर इतनी अच्छी भूमि उपलब्ध है, जिसके लिए हम उद्योग के लिए आपके माध्यम से मांग करती हूं । इस उद्योग विभाग के अंतर्गत जो भी निगम आते हैं, उसमें भी इसके उदाहरण मौजूद हैं, जैसे यू0पी0एस0आई0सी0 का लघु उद्योग निगम यद्यपि लघु सेक्टर का प्रतिष्ठान है, इसमें सामाजिक और व्यवसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए 1984-85 में करीब 7 लाख का इसने मुनाफा कमाया है । मान्यवर, 1985-86 में आइरन व स्टील का कोटा भी 51 हजार मीट्रिक टन कराया गया है, जबकि 1984-85 में सेल टिस्को-इस्को द्वारा यू0पी0एस0 आई0सी0 को मात्र 14 हजार मीट्रिक टन लोहा व इस्पात दिया गया था । इससे प्रदेश में उद्योगों के द्वारा महत्वपूर्ण रा-मैटेरियल की उपलब्धि बढ़ेगी। सेल की स्टाक यार्ड योजना जो अमौसी में अब तक कार्यान्वित नहीं हो पाई थी, अब सारी कठिनाइयों को दूर करके कार्यान्वयन कराया जा रहा है । इससे लघु उद्योग इकाइयों को फायदा मिलेगा । सर्विस संगठन होते हुए भी यू0पी0एस0आई0सी0 ने न केवल इसके दिये गये दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, बल्कि लाभ भी उठाया है । मेरा अनुरोध है कि इस संस्था का अंश पूंजी बजट प्राविधान जोकि करीब 50 लाख प्रस्तावित किया गया है और कई गुना बढ़ाया जाय । केन्द्रीय सेक्टर में प्रदेश में लगाये जाने वाले वृहद उद्योग व पिक-अप की सहायता से एक वृहद् मध्यम संयुक्त सेक्टर उद्योग हरदोई में अवश्य लगाया जाना चाहिए । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हुई मान्यवर, माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देती हूं ।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं । मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री ने प्रदेश में बहुत से उद्योग खोलने की बात कही है और उन्होंने यह भी कहा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख नये लघु उद्योग खोले जायेंगे । मान्यवर, यह बड़ी अच्छी बात होगी, अगर ये उद्योग खोले जायं, लेकिन मुझे विश्वास कम होता है, इसलिए कि इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है, बहुत सी चीजें कागज में ही रह जाती हैं, वह अमल में नहीं आती हैं ।

मान्यवर, हमें तो यह कहना है कि हमारे प्रदेश में जो उद्योग बन्धु हैं, उनका हाल यह है जैसे कानपुर में बहुत बड़े उद्योगपति जे0 के0 हैं, उन्होंने अपने चार कारखानों को बंद कर रखा है, जिसमें 10 हजार लोग काम करते रहे हैं, वह बेकार पड़े हैं । उन उद्योगों को चलाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है । केन्द्रीय सरकार के यहां भी यह मामला गया, वहां से भी प्रयास हुआ, लेकिन ये उद्योगपति इतने बदमाश हैं कि अभी तक उनको उन्होंने खोलने का प्रयास नहीं किया । यहां तक कि इनको यह छूट दे दी गयी है कि आप अगर जे0 के0 रेयान जो एक कारखाना है, उसमें रेयान नहीं बना सकते हैं, तो दूसरा ही काम करिये, तो उन्होंने कहा कि

प्लास्टिक का काम करेंगे, परन्तु उसके बाद वह मुकर गया, और कारखाना बन्द कर रखा है । इसी तरह से मोदी को ही देख लीजिए । मोदी ने भी अपना कारखाना बन्द कर रखा है । हमारी सरकार न तो इस पर कोई कार्यवाही कर रही है और न उनको चलाने के लिए मजबूर कर रही है । इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये कि कितनी जगह तालाबन्दी हो रही है, मिल बंदी हो रही है, जो मिल रोगी पड़ी है, बीमार है, उनको खुलवाने के लिए हमारे उद्योग मंत्री जी को प्रयास करना चाहिये । यह काम नहीं हो रहा है ।

दूसरी तरफ आप देखें जो छोटे-छोटे उद्योगों की बात कही गई है, हमारे प्रदेश में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये इंडस्ट्रियल स्टेट खोले गये, बहुत से जिले में वह खोले गये हैं । वहां हालत यह है कि जमीन जो ली गई, उसको बेचकर लोग माला-माल हो रहे हैं या किसी दूसरे को उठाकर बहुत पैसा कमा रहे हैं । वहां पर जो लगे हुये उद्योग हैं, उसमें सरकार का काफी योगदान है, उसमें अधिकांश उद्योग समाप्तप्राय हैं । लघु उद्योग मर रहे हैं । उनको जिन्दा करने के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है। बनारस के राज्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके बड़े मंत्री बैठे हैं । हमने बनारस के बारे में कहा वहां हथकरघा निगम की तरफ से लघु उद्योग चलते थे, उनमें साड़ी बनती थी । उनको बन्द कर रखा है जिससे हजारों लोग बेकार पड़े हैं । उनको चलाने का प्रयास नहीं हो रहा है । नये उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं । बनारस में साड़ी उद्योग मर रहा है । बनारस में रेशम धागा बनाने का एक कारखाना खोलने की आवश्यकता है । बनारस सिल्क उद्योग का बहुत बड़ा केन्द्र है । उसी के समीप भदोही में बहुत खुशनुमा कालीन बनते हैं, उस उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । वहां पर एक ऊलन का कारखाना लगा हुआ है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है । छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये, उनको जिन्दा रखने के लिये कुछ नहीं हो रहा है । उल्टे और उद्योग खोलने की बात हो रही है । जो छोटे उद्योग लगे हुये हैं, उनको चलाने के लिये हमारी सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है । जो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं, कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(समय 3 बजे)

श्री सीताराम निषाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर बेरोजगारी को घटाने तथा कृषि पर बढ़ते हुये भार को कम करने के लिये यह अनिवार्य है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास किया जाय। हमारी इस कल्याणकारी सरकार के कदम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास करने का जो निर्णय लिया गया है यह हमारी सरकार का प्रशंसनीय काम है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश में एक लाख उद्योग लगाने का जो निर्णय लिया गया है यह हमारी सरकार का प्रशंसनीय निर्णय है। मान्यवर, इस प्रदेश

के हर तहसील में एक करोड़ की लागत से और हर विकास खण्ड में 2 लाख की लागत से उद्योग लगाये जायेंगे, यह भी हमारी सरकार का निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है। मान्यवर, हमारे विपक्ष के एक साथी ने शिकायत की है कि मंत्री जी ने खनिज के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भू-तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय और राज्य खनिज विकास निगम काम कर रहा है। यह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज का काम कर रहा है। उसका काम वास्तव में सराहनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खनिज से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण काम किया है। उत्तर प्रदेश में नदियों से जो बालू और मौरंग निकलती है, उस पर जिनकी जीविका निर्भर करती है, उन श्रमिकों की सहकारी समितियों को पट्टा देने का शासनादेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 की धारा 9 में उपधारा 3 जोड़कर, उत्तर प्रदेश के लाखों केवट, धीमर, मल्लाह, विन्द और धीवर की रोजी रोटी की समस्या हल की है। यह हमारी सरकार का महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी कदम है।

उद्योग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि फैजाबाद पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, फैजाबाद में बीकापुर तहसील उद्योग शून्य तहसील है। हर उद्योग शून्य तहसील में जो एक उद्योग लगाने का, जो निर्णय लिया गया है उसके अन्तर्गत मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस तहसील में गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। वहां कोई ऐसा उद्योग नहीं है। बड़े से बड़ा कारखाना लगाने के लिये वहां हजारों एकड़ ऊसर जमीन उपलब्ध है। वहां पर जमीन की कोई समस्या नहीं है। मुफ्त में जमीन बड़े से बड़ा उद्योग लगाने के लिये उपलब्ध है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकापुर तहसील में एक भारी उद्योग लगाया जाय जिससे वहां के जो शिक्षित बेरोजगार तथा पिछड़े हुए गरीब लोग हैं, उनको रोजी रोटी मिल सके। मान्यवर, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर ब्लाक में उद्योग समिति का गठन किया गया है, लेकिन वह समितियां निष्क्रिय हैं, वह काम नहीं कर रही हैं, उनको सक्रिय करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान दें।

मान्यवर, जिस प्रकार से अल्प संख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना की गई है, उसी तरह से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की जाय। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग और निर्बल लोगों का प्रतिशत 53 प्रतिशत है। जिनके पास न कोई उद्योग है न कोई जीविका का साधन है, कुछ के पास थोड़ी खेती पायी जाती है। उन पिछड़े वर्ग के लोगों में उद्योग धंधे की भावना पैदा हो, इसके लिये उनको प्रोत्साहन दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनको आर्थिक सहायता देकर उद्योग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की जाय। ताकि वह उद्योग लगा सकें और अपनी रोजी रोटी की समस्या को हल कर सकें। इस प्रकार से खेती का जो भार बढ़ रहा है वह कम होगा। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में माननीय सदस्य श्री जयदीप सिंह बरार बरेली ने एक संकल्प प्रस्तुत

किया था। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां पर कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग लगाये जायें। इस पर मा0 सदन में चर्चा हुई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उस संकल्प पर आये थे। मैं निवेदन करूंगा कि उन सुझावों पर निर्णय लिया जाय। इस प्रदेश में कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को लगाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, दुर्भाग्य से हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से देश भर में पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से देश के नक्शे पर निगाह डालें तो जो औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत प्रदेश हैं, उसमें हमारा प्रदेश कहीं भी नहीं टिकता कारण साफ है कि हमारी सरकार की नीति औद्योगिक दृष्टि से व्याप्त नहीं रही। न नीति ठीक रही न नीयत ठीक रही। इसी की वजह है कि उत्तर प्रदेश के लोग देश के लोग उद्योग लगाने में हिचकिचाते रहे हैं। उद्योग विभाग द्वारा ऐसे लोगों को न पूरी तरह से सुविधायें मिलती हैं न प्रोत्साहन मिलता है, अपितु अनेक प्रकार से शोषण ही होता है। उनके रास्ते में अनेक कठिनाईयां खड़ी की जाती हैं इसी का यह कारण है कि औद्योगिक दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़ा है। इसीलिये हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास समुचित रूप से न होने के कारण लाखों बेरोजगार नवयुवकों की फौज खड़ी होती जा रही है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया था उसमें कहा था और आज माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है यद्यपि इनमें नीति की बात ज्यादा नहीं आ सकी है। लेकिन जो यह कहा है कि एक लाख लघु कुटीर उद्योग इस प्रदेश में लगायेंगे कुछ बड़े उद्योग लगेंगे, उससे लगा कि अब शायद प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से अच्छा वातावरण बन सकेगा। जहां तक इस देश में औद्योगिक दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है मान्यवर, मैं बहुत दुःख और दर्द के साथ कहूंगा कि वहीं प्रदेश में आगरा भी उतना ही पिछड़ा हुआ है उसकी घोर उपेक्षा की गयी है। आगरा किसी काल में देश की राजधानी रहा है। प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है। आगरा में उद्योग लगाने तथा चलाने की काफी क्षमता है परन्तु उस आगरा को औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ रखा गया है कभी वहां प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की जाती है कभी अन्य कोई कारण । आज वह त्रिशंकु बना लटका है । उद्योग वहां लगाने की बात होती है, लेकिन उद्योग वहां से हट जाते हैं । खासतौर पर आगरा के लिए कहा गया है कि वहां चर्म नगर की स्थापना होगी। मान्यवर, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आगरा की आबादी 10 लाख की है । जिसमें से करीब 25-30 प्रतिशत लोग जूता व्यवसाय से सम्बन्धित हैं जो उसी से रोजी-रोटी पाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लोग, जाटव समाज के लोगों की ही काफी संख्या है। अधिकांश में जगह-जगह घर-घर में बैठकर वे लोग जूता बनाते हैं।

पहले हमारी सरकार द्वारा लैम्कों की स्थापना की गयी थी ताकि छोटे-छोटे कारीगरों से लैम्को द्वारा जूता खरीद कर बिक्री की जा सकेगी। लेकिन, स्थिति यह है कि वह संस्थान छोटे छोटे कारीगरों के लिये न होकर,

बड़े-बड़े जो जूता बनाने वाले व्यवसायी हैं, उनके व्यवसाय का केन्द्र बन गया है। छोटे लोगों को उससे कोई राहत नहीं मिल रही है। चर्मनगर स्थापना में यह देखा जाय कि यह चर्म नगर जब बने, तो बड़े लोगों के विलास का केन्द्र न बने । जो हजारों जूते के कारीगर, जो बिना किसी सरकारी साधन के, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनके लिये चर्म नगर में व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें साधन व सुविधाएं मिलनी चाहिए तभी वह विकास के रास्ते पर चल सकेगा। आगरा व फतेहपुर सीकरी कालीन व दरी निर्माण के बड़े केन्द्र हैं इन्हें सरकार प्रोत्साहन दे दे तो ये बहुत अच्छा निर्यात कर सकते हैं । फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग है। आगरा कपड़े की बड़ी व्यावसायिक मंडी है। वहां पावरलूम इंडस्ट्री को स्थान मिल सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिये, आगरा को स्थान मिल सकता है। आगरा को उसकी क्षमता के हिसाब से औद्योगिक दृष्टि से स्थान मिलना ही चाहिये ।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो उद्योगों की घोषणा की गयी हैं, लघु, मध्यम और भारी उद्योग की। इन तमाम बड़े उद्योगों में जिनमें हर एक में 25 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक पूंजी लगेगी, उसकी बाबत उसमें आगरा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आगरा को उसमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिये। एक बात की ओर इंगित करना चाहूंगा कि जो नई कताई मिलें खोली जा रही हैं। जबकि आगरा में जोसमिल की तीन-तीन मिलें बन्द पड़ी हैं लेकिन आज तक सरकार का ध्यान नहीं गया कि बन्द मिलों का काम शुरू करवायें । मान्यवर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यह उद्योग आगरे में ही क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं, अन्य जगहों पर क्यों लगाये जा रहे हैं । मैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगरा की उपेक्षित जनता की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनकी भावना को माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में एक शेर कहना चाहता हूं :—

चांद चमका किया, शमा जलती रही,
हम तरसते रहे रोशनी के लिए ।

मैं अपनी बात का समापन इन्हीं शब्दों के साथ करना चाहता हूं कि उद्योगों का चांद हमारे प्रदेश के जिलों में चमके खुशी की बात है और उसकी शमा हमारे जिलों में जले परन्तु उसकी कुछ रोशनी, कुछ प्रकाश उसकी प्रभा और विभा आगरा को भी मिलनी चाहिए। ताकि आगरा में औद्योगिक विकास के द्वार खुल सकें तथा वहां के बेरोजगार नौजवानों तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर व काम मिल सके। मैं आशा करता हूं कि अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी आगरे के बारे में अवश्य कुछ घोषणा करेंगे ।

*श्री नरेश चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उद्योग विभाग के बजट का, माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यों तो उद्योग विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है, तरक्की भी कर रहा है। गत वर्ष की अपेक्षा इन्डस्ट्रियल एटमास्फीयर अधिक तैयार हो रहा है, लोग यहां पर ज्यादातर उद्योग लगाने की चीजें कर रहे हैं। इलेक्ट्रानिक को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है जिसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस वक्त विश्व में जो सबसे बड़ी मांग आई है वह इलेक्ट्रानिक्स की है। विश्व के सभी प्रगतिशील देशों में इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट का प्रयास कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इलेक्ट्रानिक के डेवलपमेंट को आवाहन दिया है। मान्यवर, यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रानिक एज में लखनऊ और उत्तर प्रदेश में अपट्रान ने काफी प्रगति की है उसके लिए फिर एक बार मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं। अपट्रान इलेक्ट्रानिक एक ऐतिहासिक कामयाबी इस प्रदेश के लिए है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि टी0 वी0 और कलर्ड टी0 वी0 की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसमें अपट्रान उत्तर प्रदेश की ऐसी संस्था है जिसने कम मूल्यों में इसे देश और प्रदेश में उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत विदेश में भी भेज रहे हैं। इसके फेस का 3265.91 का माल इन्होंने अभी तक बेचा है जिसमें इनको 91 लाख का प्राफिट हुआ। इटली को कलर टी0 वी0 और ट्यूब का निर्यात किया है जिससे काफी ख्याति मिली है और उत्तर प्रदेश की गरिमा और महत्व बढ़ा है। उत्तर प्रदेश और लखनऊ में यह इस तरह का एक इन्स्ट्रूमेंट बनाकर बेच रही है। इसमें यही नहीं तकनीकी और अतकनीकी महिलाओं और लड़कों दोनों को रोजगार मिला है। मान्यवर, आज कल चाहे वह एयर इण्डिया हो और फिर इण्डियन एयर लाइन्स हो इन सब में कम्प्यूटर सिस्टम आफ रिजरवेशन हो गया है, जिसे पहली बार अपट्रान ने बना कर दिया है। हंगरी के साथ भी अपट्रान का एक कालोबरेशन हुआ है, जिसे अपट्रान इनवेस्टमेंट एण्ड कम्पयूनुकेशन लिमिटेड कहते हैं, जिसके अंतर्गत, जैसे पुलिस और मिलिट्री को रेडियो रिसीवर व ट्रांसमीटर की बहुत आवश्यकता है, इन इक्वीपमेंट्स का सप्लाई अपट्रान द्वारा किया जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग के मामले में भी हमने काफी तरक्की की है। पूरे भारतवर्ष का 25 प्रतिशत हम पैदा करते हैं। हमारे यहां बुनकरों की समस्या है। बुनकरों का माल सही दाम पर खरीदा जाय और सही दाम पर उनको माल मिले, इसके लिए 1952 में यूपिका की स्थापना की गई थी। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों, अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज में गौज और बैन्डेज यूपिका से खरीदा जायेगा। इसका मकसद यही था कि बुनकरों को इससे फायदा हो लेकिन आज यह यूपिका केवल स्टाम्प एथोरिटी के रूप में रह गई है। अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज के जो अधीक्षक और

सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं, कुछ लोग सीधे जाकर उनसे आदेश ले लेते हैं, जो सण्डीला, मेरठ और हापुड़ से गांठें खरीदकर यूपिका का स्टाम्प लगाकर निदेशालय को भेज देते हैं। पिछले वर्ष स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण करवाया गया था तो ये चीजें सब-स्टैण्डर्ड की पायी गयी थीं, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि गौज व बैन्डेज जैसी चीजों को यूपिका से ही मंगाया जाए तो ठीक रहेगा। लखनऊ में जो टेलको की स्थापना की गयी है, जिसमें अनेक युवकों को रोजगार मिला है, इसके लिये मैं उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं। और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्य पाल सिंह–

कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने प्रदेश के वरिष्ठ और अनुभवी उद्योग मंत्री के लिए कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आपकी भावना प्रदेश से गरीबी को दूर करने की है लेकिन जरूरत सिर्फ है आपकी नीतियों की। गरीबी हटाओ के स्थान पर आप को नारा देना होगा बेरोजगारी हटाओ। कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक्स, जिसकी वकालत की जा रही है, इससे गरीबी कम नहीं बल्कि बढ़ेगी। आप गांधीवादी परम्पराओं पर चलने वाले हैं और गांधी जी ने कहा था कि अगर गरीबी दूर करना है तो जो श्रम शक्ति है उसका सही सदुपयोग करना होगा। इसके लिए आप प्रदेश के प्रत्येक जिले का सर्वेक्षण करायें और जो व्यवसाय चल रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा। आपने कहा कि 16 हजार नये रोजगार खोलेंगे, लक्ष्य था एक लाख का और आपने तीन हजार करोड़ रुपये की मांग की थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिसमें आप को मात्र 1450 करोड़ रुपया मिल पाया है। और आपने दावा 16 हजार का किया है। आप दावा कर रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं लेकिन आपकी स्थिति क्या हो रही है? सारे देश के अन्दर आपके प्रदेश की स्थिति अत्यन्त खराब है और सारी दुनिया के अन्दर तो आप 125वें नम्बर पर हैं। बड़े मुल्कों की नकल कर रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा।

1980 से लेकर 81-82 तक जो लाइसेंस दिये गये थे, वह 207 थे और उसमें उत्तर प्रदेश को केवल 11 सिग्नीफिकेन्ट लाइसेन्स मिले। जो सौदे किये थे, सारे देश के अन्दर 81-82 के अन्तर्गत, 205 न्यू वेन्चर्स उसमें केवल 11 आये आपके प्रदेश के अन्दर और उसमें भी जे0 के0 द्वारा दो राजस्थान ले जाये गये। इसमें आपका हिस्सा केवल 9 का पड़ा। उत्तर प्रदेश का कितना कम पड़ा। टोटल तीन सालों के अन्दर 624 न्यू वेन्चर्स, नये सौदे किये गये और 39 उत्तर प्रदेश में पड़े और कोई भी उसमें ऐसा नहीं है जो रिमार्केबिल हो जिसमें कहा गया हो कि यह प्रमुख सौदा है। इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिए देश के अन्दर 49.69 प्रतिशत है और इसमें उत्तर प्रदेश का जो नम्बर है वह है 19.10। यह आपके उद्योग की तरक्की है। 1983-84 में पर हेड जो डिस्वर्समेन्ट था वह 218.65 रुपया था और यू0 पी0 के अन्दर उद्योगों में केवल 218 के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगेन्स्ट 101.26 रुपया । मेरा कहना है आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, भरोसा है लेकिन उद्योग मंत्री होने के नाते जितने उद्योग आप को मिलने चाहिए न तो मिले और न ही आप ले पाये। मैं यह आपका साहित्य पढ़ रहा था, इसके पेज 215 को आप देखें । पृष्ठ 112 पर दिया हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है जितने मण्डल हैं, सबमें रोजगार दिया है, किन्तु बरेली मण्डल को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। शाहजहांपुर जिले का नाम भी पूरी किताब में नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह–

भदोही का बहुत बड़ा उद्योग है कालीन बनाने का उसे प्रोत्साहन दें।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने से व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

सीमेण्ट के लाइसेन्सेज उत्तर प्रदेश के लिये दिये हैं, आयात 10 लाख का हुआ है, अगर सीमेण्ट के लाइसेंसेज दिये हैं खासतौर से पिछड़े जिलों में तो उनका काम शुरू करिये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, आपने उद्योग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं।

मा0 उद्योग मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में अपने सफल प्रयास के माध्यम से इस प्रदेश को औद्योगीकरण की दिशा में सफलतापूर्वक ले जाने का सराहनीय प्रयास किया है। सुदूर पर्वतीय अंचल की ओर आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कोटद्वार में बी0 ई0 एल0 की एक फैक्ट्री भारत सरकार के द्वारा निर्माणाधीन है लेकिन इस फैक्ट्री के निर्माण में विलम्ब होता जा रहा है। इसी फैक्ट्री के साथ पंचकुआं (हरियाणा) में प्रस्तावित फैक्ट्री का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोटद्वार में बी0 ई0 एल0 फैक्ट्री को समय के अन्दर जल्द से जल्द पूरा करवा लिया जाय। एक अन्य फैक्ट्री बी0 एच0 ई0 एल0 जो कि कालागढ़ में प्रस्तावित है। अरबों रुपये की आवासीय सम्पत्ति व वर्कशाप वहां पर उपलब्ध है, लेकिन कालागढ़ स्थित बी0 ई0 एल0 फैक्ट्री में केवल 9 आदमी काम कर रहे हैं। इस बारे में भी मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस फैक्ट्री को सुचारु रूप से चलाने के लिए शासन प्राथमिकता देने की कृपा करें। साथ ही किसी नये बड़े उद्योग को यहां पर स्थापित करने की कृपा करें । इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण केन्द्र, जहरीखाल में चलाया जा रहा था, किन्तु कतिपय कारणों से बन्द करवा दिया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रशिक्षण केन्द्र को फिर से चलाने की कृपा करें। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां वन सम्पदा और खनिज सम्पदा और जड़ी-बूटियों का अम्बार है। नैनीडांडा, जैरीखाल, रिखनीखाल, एमकेश्वर, दुगड्डा, बीरोंखाल, एकेश्वर, विकास खण्डों में जड़ी बूटियों के कारखाने लगाये जायं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके व जड़ी-बूटियों का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जा सके।

भरसार में भारत सरकार द्वारा टेम्परेट फ्रूट स्टेशन की घोषणा की

गयी थी, किन्तु काफी समय से इसमें भी विलम्ब होता चला जा रहा है। आग्रह करना चाहता हूं कि भरसार में टेम्परेट फ्रूट स्टेशन को अतिशीघ्र खोलने की चेष्टा करें। कोटद्वार में लीसा सहकारी गृह उद्योग की एक यूनिट है लेकिन इस यूनिट की क्षमता के अनुसार लीसा नहीं मिल पाता है। मैं चाहूंगा कि इस यूनिट को जोकि एकमात्र सहकारी इकाई है को पूर्ण क्षमता के अनुसार लीसा आवंटित किया जाय ताकि यह सहकारी जिला समिति उद्योग ठीक ढंग से चल सके। प्लश-डोर फैक्ट्री के बारे में भी मा0 मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। यह फैक्ट्री कोटद्वार में स्थापित है, किन्तु कच्चे माल की कमी होने के कारण सुचारु रूप से नहीं चल पा रही है। इस फैक्ट्री को कच्चा माल वन निगम या किसी अन्य विभाग से दिलाने की कृपा करें ताकि यह फैक्ट्री चल सके व स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और फैक्ट्री का काम भी चल सके। एच0 एम0 टी0 का कारखाना एक बार प्रस्तावित हुआ था जयहरीखाल में, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां पर नहीं खुल पायी। मैं चाहूंगा कि जयहरीखाल और दुगड्डा विकास खण्ड में उर्तिच्छा इसके लिये उपयुक्त स्थान है अतः इन स्थानों में से कहीं भी एच0 एम0 टी0 के कारखाने की स्थापना की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उद्योग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये मौका फराहम किया है इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, खेती के बाद ज्यादातर लोग हैंडलूम उद्योग में लगे हुए हैं। 75 लाख से ज्यादा आदमी इस उद्योग से अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। यहां पर माल पैदा करने के मामले में 1972 में एक प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त के वित्त मंत्री जो कि इस समय मुख्य मंत्री हैं, ने यहां हैण्डलूम कारपोरेशन की स्थापना की थी। 1972 से 1980 तक कारपोरेशन से बुनकरों ने खूब लाभ कमाया और बराबर फायदा उठाते रहे। लेकिन 1980 के बाद से बुनकरों को लाभ के बजाय नुकसान होता रहा है। यहां कारपोरेशन में जो अधिकारी बैठा हुआ है उनका रवैया बुनकर-दुश्मन रवैया है।

उक्त कारपोरेशन के अधिकारी के खिलाफ मैंने और वफद ने उद्योग मंत्री जी से शिकायत भी की और उनसे मिला भी और उसे मऊ से हटाने के लिये भी गुजारिश की। पहली बार तो उद्योग मंत्री जी ने वफद को आश्वासन भी दिया लेकिन किया कुछ नहीं। फिर जब दोबारा वफद आपसे मिला तो आपने कहा कि वह खराब आदमी है तो जहां रहेगा वहां खराबी ही रहेगी। माननीय उद्योग मंत्री जी का जवाब अच्छा नहीं था। यदि कोई खराब आदमी है तो अगर उसका इलाज आपके पास नहीं है तो फिर हम किसके पास कहने जायेंगे ? इसलिये मैं इस सदन में, इस सत्र में आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि वे उसको मऊ से हटाने की कृपा करें ताकि वहां के बुनकरों को राहत मिल सके।

इस कारपोरेशन में तैयार होने वाले माल के लिये खरीददारी का मुनासिब

बन्दोबस्त नहीं होता है और जो माल बिक जाता है उसका पेमेन्ट तीन-तीन, चार-चार महीनों के बाद होता है। कागज पर स्कीमें तो बन जाती हैं लेकिन जिला उद्योग सेन्टर और कानपुर के गोरखधन्धे में फंस जाती है। इस गोरखधन्धे को दूर करने के लिये और बुनकरों को राहत देने के लिये मंत्री जी कुछ ठोस काम करने की जरूरत है। दामों में बराबर तेजी होती जा रही है। सूत के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रंग के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज की लागत बढ़ती चली जा रही है। कारपोरेशन में माल तो तैयार कराते हैं लेकिन खरीद-दारी के समय आनाकानी करते हैं। जितना माल का आर्डर होता है, उतना माल न खरीद करके बुनकरों के लिये परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसलिये कारपोरेशन में सुधार करने की आप कोशिश कीजिये।

हमारे यहां यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल लगी हुई है। सरकार की नीति है कि जिस क्षेत्र में मिल लगी है उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार करा हम फरेहाम हों, लेकिन होता ऐसा नहीं है। वहां के व्यवस्थापक लोग अपने इलाके के आदमियों को वहां रोजगार दे देते हैं। मैं आपको बतलाता हूं कि मऊ स्टेट स्पिनिंग मिल और बांदा स्टेट स्पिनिंग मिल दोनों ही जगहों पर जबकि यहां ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें व्यवस्थापक ने अपने-अपने गांव से लाकर उन्हें यहां काम से लगा दिया है इसलिये मुकामी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। वहां के लोगों को मुकामी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इसकी जांच करवायें, वहां के लोगों को रोजगार फरहाम किया जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं महाराष्ट्र में नागपुर में कारपोरेशन जो है, वह कारपोरेशन वहां के बुनकरों को सुविधा देता है, वह सूत व पैसा देता है, पैसा देने के बाद जो माल तैयार होता है, वह माल लेता है और पैसा देता है, और आठ आना साड़ी जोड़ा काट लेता है और वह उसके साथ आठ आना और बढ़ाकर बोनस के तरीके से उनको देता है, इससे बुनकरों की हालत में सुधार हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और साथ ही साथ हमारे विपक्ष के भाई ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है उससे हमारे विपक्ष के भाई भले ही सदन में तैयार न हों लेकिन सत्यता यह है कि वह अपने हृदय में जरूर यह मानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश ने औद्योगीकरण में प्रगति की है। मैं इस सच्चाई से इन्कार नहीं करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में सर्वप्रथम इस बात को स्वीकार किया कि जितना हमारा लक्ष्य था उतना हम नहीं कर सके, यह भी उनकी नैतिकता है कि सही चीज को स्वीकार किये गये जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, इस प्रगति को

देखते हुए यह बजट जो प्रस्तुत हुआ है वह उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हितकर साबित हुआ है और अवश्य ही इसका विकास होगा लेकिन इस विकास में दोनों पक्ष की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारी योजना चल रही है स्वत: रोजगार की योजना, ट्राइसम योजना। आप देख रहे हैं कि 25 हजार तक लोन दिया जा रहा है शहरी क्षेत्र में जो लोग उद्योग करना चाहते हैं उनको साढ़े 6 हजार तक का लोन दिया जाता है। यह सही है कि हमारी नीति बहुत अच्छी है, उपयोगी है लेकिन इसके साथ-साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं। हमें माननीय मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी उम्मीद है कि इसे दूर किया जायेगा।

कुछ शिकायतें रखना चाहता हूं। मान्यवर, यह जो 25 हजार रुपया स्वत: रोजगार योजना में लोन दिया जाता है, इसको अगर देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी सर्टीफिकेट बनवा लेते हैं और उनको रुपया मिल जाता है। जिसको बैंक वाले चाहते हैं उसको 25 हजार रुपया दे देते हैं, जिसको चयनित करके भेजा जाय। बैंक वाले अगर लाभान्वित हो जाते हैं तो 25 हजार पूरा दे देते हैं नहीं तो 10 हजार 12 हजार देते हैं। यही हालत ऋण पर आधारित जो भी देय है, उनमें प्राय: देखी जाती है। मान्यवर, यह जो नीति है, अच्छी है। जहां तक इन मापदण्डों पर हमारी समस्याएं हैं, एक माननीय सदस्य विपक्ष के कह रहे थे, मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं हमारी सरकार का यह भी फर्ज हो जाता है, कोई भी कार्य हो, वह देखें कि जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाता है वह लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचा है या नहीं। इस तरफ हमारी सरकार का, विशेष रूप से उद्योग विभाग में ध्यान जाना चाहिए। मैंने जहां तक देखा है इस विभाग में उस दृष्टिकोण से पात्र एवं लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं राज्य पूंजी उपादान के बारे में। 1985-86 में जिला सेक्टर योजना में राज्य पूंजी उपादान के मद में फैजाबाद मण्डल के लिए कुल 8.35 लाख रुपया का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जिसमें से हमारे जनपद गोंडा को केवल एक लाख रुपया स्वीकार किया गया है।

मान्यवर, कुछ हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो आप का राज्य पूंजी उपादान है उससे हमारे जिले को कोई सहायता नहीं मिलती है, जिससे वह इकाइयां सुचारु रूप से चलने को तो क्या वह बन्द पड़ी हैं। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि राज्य पूंजी उपादान से हमारे जिले को सहायता देने की व्यवस्था की जाये। फैजाबाद मण्डल को जो धनराशि रखी गयी है, उसको बढ़ाया जाये और जिला सेक्टर से जो प्रस्ताव आया है कि उसके तहत 4.37 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है इसको स्वीकार किया जाये।

मान्यवर, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि एक पुस्तिका वितरित की गयी है, इन्डस्ट्रियल एरिया के बारे में, उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी 2 जिले में 6-6 इन्डस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किये गये हैं, लेकिन गोन्डा मुख्यालय पर एक भी इंडस्ट्रियल इस्टेट नहीं है, केवल एक बलरामपुर में है। मान्यवर, हमारे जिले का पड़ोसी जिला है उसमें 6-7 इन्डस्ट्रियल इस्टेट दी गयी हैं उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि

गोण्डा जनपद के लिए कम से कम 4 इण्डस्ट्रियल इस्टेट की व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने उद्योग विभाग के बजट पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, यह बजट केवल मा0 मंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिये सुल्तानपुर और रायबरेली जैसे शहरों को प्राथमिकता प्रदान की है। मैं सीतापुर से चुनकर आया हूं और आपने लखीमपुर, हरदोई वगैरह को अपने बजट में कोई स्थान नहीं दिया है। मान्यवर, जब तक बजट सन्तुलित नहीं होगा, प्रदेश की तरक्की नहीं होगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 52 कारपोरेशन जो उद्योग विभाग के हैं, जिनमें 40 चल रहे हैं तथा जिनमें 3 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है और उनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके कारण वह घाटे में चल रहे हैं, तो वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, जब दुनियां में मनुष्य ने जन्म लिया तो वह अपने तन को छाल और पत्तों से ढकता था और धीरे-धीरे उसने दस्तकारी सीखी और उसने कपड़ा बनाना शुरू किया और जिनके हाथों में दस्तकारी पड़ी थी वह इसी उत्तर प्रदेश के 55 लाख बुनकर भुखमरी के शिकार हैं, उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि–

नक्शों पर न जायें मौके पर देखें।

और क्या चीज जी रही है, और क्या चीज मर रही है।

मान्यवर, अंग्रेजों के समय में भी यहां पर दस्तकारी इतनी ज्यादा थी, अच्छा माल तैयार होता था और वह इंग्लैण्ड की भी मारकेट को डामिनेट करता था और यही कारण है कि अंग्रेजों ने यहां के दस्तकारों के हाथ कटवा लिये थे, जिससे वह अच्छा माल तैयार न कर सकें और इंग्लैण्ड की मारकेट को डामिनेट न कर सकें। और आज उनको 37 साल के दौर में क्या मिला? नंगे पैर का सफर, बिना छत का मकान, भुखमरी और तबाही। हुकूमत तमाशा देख रही है और उद्योग मंत्री जी को बधाई दी जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? आज 55 लाख बुनकर भुखमरी के शिकार हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जितने आपके हथकरघा काम्प्लेक्स हैं, आपके रिकार्ड पर हैं जो चल रहे हैं, सब घाटे पर चल रहे हैं। आपने घोषणा भी की थी कि 203 काम्पलेक्स लगायेंगे, केवल 34 चल रहे हैं। आपने काम्प्लेक्स लगाने के लिये लोगों को दावत दी थी कि वे आयें और काम्प्लेक्स लगायें और यह भी कहा था कि उनको 5 प्रतिशत पूंजी लगानी पड़ेगी। लेकिन उसके सम्बन्ध में आगे कोई व्यवस्था नहीं की गई। वह अधूरी बात ही रह गई या लगी नहीं। यह बात तो वैसी ही हुई कि खाने की थाली रखने के बाद आपने वह छीन ली।

आर0 वी0 आई0 की बात करना चाहता हूं और कम्पोजिट लोन के बारे में बताना चाहता हूं। सीतापुर में 30 हथकरघे हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि इस सम्बन्ध में यू0 पी0 एफ0 सी0 में जितनी फाइलें गई हैं उनका कोई पुरसाहाल नहीं है। तिना पूजा किये वे फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं न

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उनमें कोई व्यवस्था की जाती है। पावर लूम में कोई सब्सिडी की व्यवस्था नहीं है। मैं उद्योग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के अन्दर किसान मुठिया पकड़कर बैलों के साथ हल चलाता था तब वह किसान था और आज जब वह ट्रैक्टर चलाता है तो क्या वह किसान नहीं है। बुनकर जब हाथ से बुनता था तब वह बुनकर माना जाता था और जब पावर लूम से वह कपड़ा बुनता है तो उसे आप बुनकर नहीं मानते।

श्री अधिष्ठाता–

आपका आखिरी प्वाइन्ट है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अभी तो मैंने शुरुवात की है। मैं ज्यादा समय न लेकर इतना जरूर कहूंगा कि सन् 73 में राम सहाय कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वह कैबिनेट में भी आयी है उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की। 13 साल हो गये उस राम सहाय कमीशन की रिपोर्ट को लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी श्याम लाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं उस जिले का हूं जालौन, जो कि उद्योग शून्य जिला है। बुन्देलखण्ड के लिये बराबर यह कहा जा रहा है कि वहां पर औद्योगीकरण हो। लेकिन अफसोस है कि जिला जालौन के लिये एक भी उद्योग नहीं दिया गया जब कि बुन्देलखण्ड की स्थिति ऐसी है कि पूरा बुन्देलखण्ड पत्थर की सम्पदा का धनी है। चार प्रकार का पत्थर वहां पर पाया जाता है एक वह स्टोन है जिसे सफर स्टोन कहते हैं जिसे केन-कौन्विसेज स्टोन भी कहते हैं। कोंच तहसील में ग्राम पिरौना में बेतवा नदी के किनारे एक लाइम स्टोन है जिससे सीमेन्ट बनाया जा सकता है। गौरहारी गांवों में पिलराइट स्टोन पाया जाता है। उसका आप सर्वेक्षण करा लें तो इस स्टोन से सीमेन्ट की इन्डस्ट्री लगायी जा सकती है। ब्रिटिश टाइम में मानचेस्टर लंका शायर आदि देशों को कपास कोंच से एक्सपोर्ट किया जाता था। वहां पर एक मील पड़ा हुआ है। हमने वहां के कलेक्टर को एक प्रपोजल भी भेजा था वहां हाई पावर टेन्शन लाइन थी 100 मीटर के एरिये में, यह प्रपोजल दिया था। नक्शा भी बनाकर दिया था। इसके अलावा वहां पर विम ब्लाक इन्डस्ट्री भी खोली जा सकती है। बेतवा नदी की बालू– मौटल सैंड है उसमें 5 प्रतिशत मोटा पत्थर, 5 प्रतिशत बारीक पत्थर और 5.3 प्रतिशत सीमेन्ट और चूना, और बीच में बारीक तार जोड़कर ब्लाक तैयार हो जाता है। इसमें अन-स्किल्ड लेबर लगेगा। यह टेक्नालोजी इंग्लैंड से है और वहीं से आयी है। महाराष्ट्र में भी यह इण्डस्ट्री है। उनके पास रा-मैटीरियल नहीं। हमारे पास काफी रा-मैटीरियल इसके लिये है। हमने इसके लिये भी प्रपोजल भेजा है। जो शासन के विचाराधीन है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्बल वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम उनको दे दीजिये जिस प्रकार आपने पहाड़ों में व्यवस्था की है उसी तरह से बुन्देलखण्ड में दे दीजिये ट्रक्स और बसेज का परमिट उनको दे दीजिये तो उनकी तरक्की होगी। आप ट्राईसम योजना में उनको 100 रुपये या दो

सौ रुपये देते हैं उससे कोई लाभ उनको नहीं होने वाला है। उनको कोई अच्छी इण्डस्ट्री दें जिसमें इम्पोर्टेड आइटम्स यूज होते हों।

प्रदेश की निर्यात नीति सन् 1971 और 78 में हमने देखी उसमें लेदर गुड्स को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। लेदर के सामान की बाहर के देशों में बहुत डिमांड है। जो चमड़े का काम करने वाले हरिजन हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाइये, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए हरिजन फाइनेंशियल कारपोरेशन से और वित्त निगम से पैसा दिलायें। टैफको के जरिये से लेदर गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाना चाहिये, सैडलरी, लैदरवीयर के इक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये आर्टीजिन्स को प्रोत्साहन दीजिए। सन् 71 के इक्सपोर्ट इम्पोर्ट के आंकड़े अगर आप देखें तो उस समय इसमें अच्छा काम हुआ है। इसमें आप क्वालिटी कंट्रोल भी करें। कानपुर का सैडलरी गुड्स, लेदर गारमेंट्स की बाहर बहुत मांग है। जिस प्रकार विश्वभारती शांतिनिकेतन में ट्रेनिंग दी जाती है लेदर के काम करने वालों को उसी तरह से हमारे यहां भी होना चाहिये। एक लेदर बैग की निर्यात कीमत 5 हजार तक है। तो इसके लिये लेदर ट्रेनिंग कालेज खुलवाइये जहां इस सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय जिससे अच्छा काम किया जा सकता है।

हैण्डीक्राफ्ट जो देश की विदेशी मुद्रा अर्जन बैकवोन है उसमें यू0 पी0 का मुरादाबाद का मेटल वीयर प्रसिद्ध है। जब मैं आल इंडिया हैण्डीक्रैफ्ट बोर्ड का मेम्बर था तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे लेदर गारमेंट्स लड़कों ने बनाये थे। मैं मांग करता हूं कि बुन्देलखण्ड को कोई ऐसी चारमिंग इण्डस्ट्री दी जाय जिससे वहां का इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो। ऐसी इण्डस्ट्री लगायें जिसमें इम्पोर्टेड रा-मैटीरियल यूज होता हो जैसे कैंडिल इण्डस्ट्री है, मैटल निर्माण मैटल में आर्ट शिल्क यार्न का उपयोग होता है। बल्व इण्डस्ट्री है। लेदर वर्क के लिए हरिजनों की सूची बनाइये जो इस काम को करते हैं। कभी-कभी हाफ हैन्ड लेदर का एक्सपोर्ट होता है उसके लिये उनको सहायता देने की जरूरत है। अगर उनकी इस प्रकार सहायता की जायेगी तो उनकी आर्थिक उन्नति हो सकती है।

अगर इस तरह के उद्योग आपने जालौन को दिये जिसमें इम्पोर्टेड मैटीरियल यूज होता है तो उसका उद्योग शून्य होने का कलंक मिट जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ।

चौधरी श्याम लाल–

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े गौर से जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण दिया उसे सुना था और आज जब माननीय उद्योग मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उनको भी सुना। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में हथकरघा का नाम जरूर लिया लेकिन जो भाषण वितरित हुआ था उसमें कहीं हथकरघा का जिक्र नहीं था। केवल पावरलूम्स का जिक्र था। हथकरघा विकास निगम द्वारा बुनकरों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मैं आपका ध्यान बस्ती जिले के खैसरहा की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर सघन हथकरघा निगम द्वारा 10 क्रय केन्द्र खोले गये हैं। उनकी हालत इस समय यह है कि पिछले दो तीन महीनों से जो माल बुनकरों का खरीदा गया उसका भुगतान नहीं हो रहा है। चार महीने पहले जो सामान खरीदा गया था जिसमें अधिकांश धोतियां हैं उन्हें अब यह कह कर वापस किया जा रहा है कि यह बिलो स्टैन्डर्ड है। मजे की बात यह है कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी 8 गज और 42 इंच की धोती नहीं बनती है और जो धोतियां वापस की जा रही हैं वह 8 गज 42 इंच की हैं। जो कपड़े बुनकरों ने बनाया ही नहीं उनके कोड नम्बर ही उस पर नहीं हैं वे 4 महीने पहले के क्रय किये हुए आज वापस किये जा रहे हैं और बुनकरों के भुगतान 3-4 महीनों से नहीं किये जा रहे हैं। हमारे यहां के बुनकर भिवंडी भागे जा रहे हैं और भुखमरी के शिकार वह हो रहे हैं। पावरलूम की धोतियां खरीदी जा रही हैं और जो कोटा हैंडलूम के लिए निर्धारित है उसमें पूरा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका कोटा पूरा हो गया है। इसलिये कपड़े कम खरीदे जायेंगे। मैंने इस सम्बन्ध में लिखकर मंत्री जी को दिया, नियम 56 में यहां उठाया किन्तु आपके विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि आप चाहते हैं कि बस्ती के बुनकर, खलीलाबाद से लेकर डुमरियागंज तक जो हैं, उनकी स्थिति खराब न हो, भुखमरी के शिकार न हों तो इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, मंत्री जी ने बड़े लम्बे लम्बे भाषण दिये कि इन-इन जिलों में उद्योग लगाये जायेंगे लेकिन बस्ती जिले में कोई उद्योग लगाने का नाम नहीं लिया जबकि वह सबसे पिछड़ा जिला है, वहां सबसे अधिक बेरोजगार हैं यह आपका आंकड़ा बताता है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के माने, उत्तर प्रदेश के माने केवल रायबरेली और सुल्तानपुर जिले नहीं हैं और यदि यही आप मानते हैं तो हमारे यहां के लोग नेपाल क्यों न चले जायं। क्या सभी उद्योग रायबरेली में ही लगेंगे? सुल्तानपुर में इतने उद्योग लग रहे हैं और मंत्री जी की सूची में सुल्तानपुर शून्य उद्योग की सूची में रखा गया है। बस्ती में कौन उद्योग लगाया है इसलिये उसको शून्य उद्योग की सूची में क्यों नहीं रखा गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(समय 4 बजे)

श्रीमती सरस्वती देवी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं उद्योग मंत्री जी को विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देती हूं और सराहना करती हूं। मान्यवर, इस सिलसिले में मैं अपने पहाड़ी क्षेत्र के लिये कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मेरे पहाड़ी क्षेत्र में फलोत्पादन के साधन तो बहुत हैं लेकिन उनके उपयोग सही न होने के कारण काफी फल सड़ जाते हैं। इसलिये फलों पर आधारित उद्योग लगाये जायं। मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्र में वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है और बाहर से लोग

आकर मिट्टी के मोल इस वन सम्पदा को ले जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां पर आधुनिक ढंग की आयुर्वेदिक प्रयोगशाला स्थापित की जाये ताकि वहां की जड़ी बूटियों का सदुपयोग हो सके और लोगों की आर्थिक दशा में सुधार आ सके।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में शाल और गलीचे का बहुत अच्छा काम होता है। इसलिये वहां इनके प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं और वहां के जो नवयुवक और नवयुवतियां इस प्रकार के उद्योग लगाना चाहते हैं उनको आसान किश्तों पर आर्थिक सहायता और ऋण दिये जायं।

मान्यवर, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि हमारे कुमायूं अंचल की सुन्दरता प्रकृति की देन है। यहां से दिखने वाली हिमालय पर्वत की चोटियों के दृश्य के लिये पर्यटक विशेषज्ञों वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि वह अद्वितीय है, इसलिये ऐसे पर्यटक स्थलों का चयन किया जाय और वहां पर्यटक भवन बनाये जायं और उनके संचालन के लिये हमारे यहां के पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवक-नवयुवतियों को रखा जाये ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। साथ ही साथ पर्यटन का भी विकास हो। और पर्यटन का भी विकास हो। अन्त में, मैं अधिष्ठाता महोदय की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। मैं विपक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री विष्णु देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री ने जो बजट भाषण पढ़ा, उससे लगता है कि उनके पास पूरे प्रदेश में उद्योग को विकसित करने के लिए कोई दृष्टि नहीं है, कोई दूर की दृष्टि नहीं है और उद्योगों की कोई नीति नहीं है। वह प्रदेश में केवल बड़े उद्योगों को आगे लिये जा रहे हैं। वह पूज्य महात्मा गांधी को भूल गये हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश में, प्रदेश में पूंजी की कमी है, श्रम-धन ज्यादा है, इसलिये यहां पर छोटे छोटे उद्योगों का जाल फैलाना होगा। यही नहीं कुछ व्यक्ति विशेष के क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात हो रही है। उनके सामने पूरे प्रदेश का विकास नहीं है, व्यक्ति विशेष के क्षेत्र का विकास है।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से चुनकर आया हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, पर यह वह क्षेत्र है, जहां आजादी की लड़ाई में लोगों ने आगे बढ़-बढ़ कर हिस्सा लिया था, किन्तु वहां पर कम से कम उद्योग लगाने की आपकी नीति है। जहां पर विकास है वहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग पुनः-पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं, सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिये विशेष अवसर का सिद्धान्त लागू किया जाए और उन्हें विशेष अवसर देकर उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए।

वह आज बुरी हालत में है। बुनकर आज भूखों मर रहे हैं। उनको महंगी सूत मिलती है और जो बाद में माल तैयार होता है, उसके बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के कार-

पोरेशन और वहां के अफसरों के चलते गरीब बुनकरों को कोई राहत नहीं मिलती है। आपने बुनकरों को जो राहत देने की बात कही है, वह एक धोखा है। जो पैसा आप उनके लिये देते हैं, उसका एक चौथाई पैसा तो यह लुटेरे ही लूट ले जाते हैं।

हमारे यहां ऊन तैयार करने वाले लोग हैं और वहां भेड़ भी बहुत ज्यादा हैं, किन्तु उनके विकास के लिये आपके पास कोई उद्योग नहीं है। कुम्हार, लोहार और बढ़ई के उद्योग हैं, उनके विकास के लिये भी आपके पास कोई दृष्टि नहीं है, उन्हें सुविधा देने की कोई नीति नहीं है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी होगा, जब आप सबसे पिछड़े इलाके पर ध्यान देंगे। आपके उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह इस उद्योग को भी खा रहा है। उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। इसलिये आपकी नीति फेल हो रही है। मैं इसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि पूर्वी जिलों में उद्योग धंधों को बढ़ाया जाए और उन्हें लगाया जाए। आजमगढ़ में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, सरकार ने भी इस बार के बजट में कोई उद्योग नहीं लिखा है। हमारे क्षेत्र में भी कोई उद्योग नहीं है, वह खोला जाए। इसके साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आज आपने उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं और विरोध पक्ष द्वारा कटौती का प्रस्ताव जो लाया गया है, उसका विरोध करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो स्वयं प्रगतिशील विचारधारा के हैं, प्रदेश औद्योगिक विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, बड़े बड़े उद्योग यहां पर लाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं अपने क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां पर सन् 74-75 में एक इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया था, किन्तु उसकी दशा अब एक कब्रिस्तान सी बन कर रह गई है। कई मीटिंगें इसके सम्बन्ध में हुई, लेकिन कोई नतीजा उसका नहीं निकला। इस पर मैंने महसूस किया है कि इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए विभिन्न विभागों, इकाइयों और अधिकारियों में परस्पर कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, जिससे मथुरा का एन्टरप्रेन्योर मौत को अंतिम सांस ले रहा है। दो उद्योगपति मर चुके हैं और जो 66 उद्योग लगे थे, उनमें से 75 प्रतिशत इकाइयां बीमार हो चुकी हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि समय समय पर आवाज भी उठायी गयी है परन्तु इन उद्यमियों के साथ, उनके लिये ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसकी वजह से उनको पुनर्जीवन मिल सके। इसके पीछे उ0 प्र0 वित्त निगम दोषी है। उ0 प्र0 वित्त निगम आर0 सी0 (रिकवरी सर्टीफिकेट) ईशू कर देता है लेकिन उद्योग को चलाने के लिये वर्किंग कैपिटल बैंक द्वारा नहीं दिया जाता उद्योग लगाने के लिये, फिक्सड एसेट्स डेवलप करने के लिये तो पैसा दे दिया जाता है लेकिन वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट जब तक नहीं किया जायगा तब तक कैसे काम चलेगा।

मान्यवर, मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर

जय गुरुदेव की संस्था ने कब्जा कर रखा है। वहां पर ड्रेनेज की समस्या है। मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया बराबर पानी में डूबी रहती है। वहां पर जो मथुरा रिफाइनरी लगी हुयी है और पोल्यूशन के बारे में जो वरदराजन कमेटी द्वारा रिपोर्ट दी गयी है उस रिपोर्ट को फिर से रिव्यू किया जाय। मान्यवर, उद्योग विभाग के बारे में लेफ्ट हैण्ड डज नाट नो व्हाट राइट हैंड इज डूइंग, तो उद्योग विभाग के विभिन्न विभागों का यही हाल है। एक दूसरे में कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस स्थिति को सुधारें। मैं मथुरा के साड़ी उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण सारा साड़ी उद्योग बिल्कुल बन्द है। 50 हजार लोग इस उद्योग में लगे हैं। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और 50 हजार वर्कर्स को बरवाद होने से बचायें। मथुरा रिफाइनरी जो है उसकी वजह से एक पेंटागन बना हुआ है कि 80 कि0 मी0 के दायरे में कोई उद्योग नहीं लग सकता है। तो इसको रिव्यू किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

*श्री मूल चन्द–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह गरीबों के हित में नहीं होगा। इनकी जो प्रक्रिया रही है चाहे वह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 6 हजार वाला उद्योग हो या चाहे 25 हजार रुपये जो आपने शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिये दिये हैं तो उसका फायदा किसको हुआ? उन गरीबों को तो हुआ नहीं, हुआ होगा तो आपको हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप बतायें? आपने इसकी कोई निगरानी की कि किसको फायदा हुआ। आपने कहा कि लाखों लोगों के लिए उद्योग की योजनायें हैं। मान्यवर, माफ कीजियेगा यह सब बड़े लोगों के लिये योजनायें हैं।

मैं अपने क्षेत्र भदोही की तरफ आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां पर कालीन तैयार होती है। मगर वहां पर आपने गरीब बुनकरों को कोई सहायता नहीं दी है। आपकी व्यवस्था बड़े बड़े एक्सपोर्टरों के लिये होगी। मान्यवर, आप लोगों का रवैया भगवान समझेंगे। अमीरों को मिटाने के लिये जिक्र करेंगे लेकिन मिटायेंगे गरीबों को। 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीब हैं उनको ही आप मिटा रहे हैं। 3 प्रतिशत अमीर हैं अगर इनको मिटा दीजिये तो गरीबी मिट जायगी। मगर यह नहीं होगा। अगर आप अमीरी मिटायेंगे तो आप लोगों के जो लोग अमीर हैं वह मिट जायेंगे। मैं चाहूंगा कि कालीन बुनकरों के लिये, जो आपके मजदूर हैं उनको फायदा दें लेकिन आप बजाय मजदूरों के बड़े आदमियों को एक्सपोर्टरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप इस उद्योग को स्वत: अपने हाथ में लेकर उन कारीगरों को जो कालीन बनाते हैं, उनको फायदा पहुंचायें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया बैठें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महमूदुल हसन अन्सारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे आपने उद्योग विभाग के बजट पर बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस बजट से इस प्रदेश में तरक्की होगी। इसी सिलसिले में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

मान्यवर, कालागढ़ में जो बी0 एच0 इ0 एल0 की यूनिट चल रही है, उसमें थोड़े ही आदमी काम कर रहे हैं, उसे बढ़ाया जाय और अगर किसी वजह से कुछ दिक्कत हो, तो मेरे क्षेत्र अफजलगढ़ में बी0 एच0 इ0 एल0 फैक्ट्री कायम कर दी जाय ताकि क्षेत्र अफजलगढ़ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरे क्षेत्र अफजलगढ़ बहुत बैकवर्ड है, उसमें कोई बड़ा उद्योग कायम किया जाये, ताकि उस इलाके का सुधार हो सके और कमजोर लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा हैण्डलूम के सिलसिले में बिजनौर जिला हैण्डलूम का एक मरकज है, नेहटौर हथकरघा और पावरलूम के बने हुए कपड़ों की खरीद-फरोख्त की मंडी है, नेहटौर मंडी में बिजनौर जनपद के बुनकर और मुरादाबाद के बुनकर और नैनीताल के बुनकर, तीनों जगह के बुनकर यहां पर माल खरीद-फरोख्त करने आते हैं। इनकी खरीद-फरोख्त के लिए वहां पर कोई बन्दोबस्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहता हूं कि वहां पर कोई टिन-शेड बना दिया जाय, ताकि बुनकरों के माल के खरीद-फरोख्त में आसानी हो सके। दूसरे, सूत आये दिन मद्दा-तेज होता रहता है, इसके लिए कम से कम सूत के रेट 6-6 महीने के लिए कायम कर दिये जायं, ताकि बुनकर लम्बे नुकसान से बच सकें। मान्यवर, बिजनौर जिले को बैकवर्ड जिला करार दिया जाय, क्योंकि वह बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। अन्त में मैं अपने इस सुझाव के साथ उद्योग मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कल 15 अगस्त है, माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में जाना है, इसलिए माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपने-अपने सुझाव दे दें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए जनपद से आता हूं। मेरे जनपद की विडम्बना है कि वह राजधानी के नजदीक है। इस कारण से वह सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है। मंत्री जी के पड़ोस का जिला होने के नाते मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे इस औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले के विकास हेतु विशेष ध्यान दें। मान्यवर, मेरा क्षेत्र पिहानी है, जहां से मैं चुनकर आता हूं। वहां पर लगभग 15 हजार बुनकर रहते हैं, जिसे सूत इत्यादि उपलब्ध होने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा अधिकांश नवजवान बेरोजगार हैं। अतः मैं पिहानी में एक कताई मिल लगाने जाने की मांग करता हूं। मंत्री जी इसका प्राविधान करेंगे। मेरी यह मानना है कि प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी इस बड़े उद्योगों से दूर नहीं की जा सकती। इस दिशा में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। प्रदेश में रेशम उत्पादन पर समुचित ध्यान दिया

जाय। मान्यवर, रेशम उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा है, जहां आंध्र में लगभग 18 लाख किलो ग्राम प्रति वर्ष रेशम का उत्पादन होता है, वहां उत्तर प्रदेश में मात्र 17 हजार किलो ग्राम रेशम का उत्पादन होता है।

मान्यवर, अगर हम राष्ट्रीय नक्शे में देखें, तो रेशम उत्पादन क्षेत्र में हमारा प्रदेश सबसे नीचे आता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रेशम उद्योग का काम बढ़ाया जा सकता है, जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा एवं डीजल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कृषकों की आय को भी बढ़ाया जा सकता है तथा प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को काम दिलाया जा सकता है, जिससे प्रदेश की भी आय बढ़ेगी। मान्यवर, बनारस ऐसे प्रदेश में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां रेशम की साड़ियां आदि बनाई जाती है, उसके लिए रेशम बाहर से मंगाना पड़ता है। प्रदेश में रेशम उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश के धन को बचाया जा सकता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश के ऊपर इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने 578.123 करोड़ रुपये की व्यवस्था रेशम विकास के लिये की है और जिसको कि 268.872 करोड़ रुपया प्रान्तों में रेशम विकास पर खर्च किया जायगा। यदि सरकार इस दिशा में सचेष्ट हो, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में काफी पैसा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस ओर समुचित ध्यान न देने की वजह से अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता। मान्यवर, इससे प्रदेश की प्रदूषण की समस्या का हल होगा।

वन विभाग द्वारा जहां अन्य पौधे लगाये जाते हैं, यदि मलगैरी और शहतूत के पेड़ लगा करके रेशम कीट पालने का काम किया जाय, तो प्रदेश का काफी लाभ होगा। इन पेड़ों के लगने के बाद 15 वर्ष तक उसकी पत्तियों पर रेशम की खेती की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु रेशम उद्योग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहां रेशम उद्योग के बढ़ाये जाने की बहुत समस्यायें विद्यमान हैं। मान्यवर, प्रदेश में रेशम का कार्य हथकरघा निगम देखता है, जिसकी रुचि रेशम विकास में नहीं होती। अतः आवश्यकता है कि प्रदेश में अलग से रेशम विभाग की स्थापना की जाय और जिले-जिले तथा गांव-गांव में रेशम की खेती का विस्तार किया जाय, जिससे कि प्रदेश की आय बढ़े तथा लाखों बेरोजगारों को काम मिल सके। हमारे साथ ही आजादी प्राप्त किये देशों चाइना में प्रति वर्ष 23880 टन सिल्क का उत्पादन होता है और हमारा देश इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। यदि समुचित ध्यान जाय, तो रेशम का निर्यात करके काफी बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि रेशम की खेती पर पूरजोर ध्यान देने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिले-जिले में रेशम के उद्योग को बढ़ावा दें। मुझे विश्वास है कि औद्योगिक विकास में उनका सहयोग रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद

देता हूं, उन्होंने हरदोई साबुन उद्योग की स्थापना की है।

श्री गजराज सिंह–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको पर्ची भेजने पर नहीं बुलाया है।

श्री गजराज सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। साथ ही मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं जिन्होंने बिना सोचे समझे, बढ़ा-चढ़ा-कर अपनी बात रखी है। मान्यवर, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उन्हीं के क्षेत्र में उद्योग का कितना जाल फैला हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र आलू और गन्ने का बहुत अच्छा क्षेत्र है। जैसे आपको ज्ञात भी है कि हापुड़ के पापड़ बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हापुड़ के अन्दर आलू की खपत के लिए एक कारखाना और गन्ने के लिए मिल दें जिससे वहां के लोगों को लाभ मिल सके। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां पर कारखाने लगायें उसमें उसी क्षेत्र के मजदूरों को उस कारखाने में काम दिया जाय न कि किसी दूसरी जगह के मजदूरों को काम दिया जाय। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं अपने क्षेत्र में कुम्हार जाति के लोग जो सुराही और कुल्हड़ बनाने का काम करते हैं वहां पर उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर सरकार के माध्यम से उनको कम ब्याज पर ऋण दिया जाय तो वह सुराही और कुल्हड़ के उद्योग में काफी सुधर सकते हैं। मान्यवर, जो स्कूटर इंडिया और अपट्रान की फैक्टरी है जैसी कि शासन की नीति है जिस क्षेत्र में जो उद्योग होगा, वहां के लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जायेगी सेवा करने के लिए परन्तु मान्यवर, मैं अपट्रान फैक्टरी की बात बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में तमाम नवजवान बेकार हैं और जिन्होंने फैक्ट्री का घेराव भी किया था, उनको आप नौकरी दें। अधिकारी वहां के युवकों को नौकरी न देकर दूसरे स्थान के नवयुवकों को नौकरी दे देते हैं जिससे वहां के नवजवानों में बहुत कुण्ठा की भावना व्याप्त हो गई है और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां पर घेराव चल रहा है। अभी माननीय नरेश चन्द्र जी ने टेल्को उद्योग के लिए कहा। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टेल्को उद्योग को मेरे क्षेत्र में लगायें क्योंकि वहां जमीन भी अधिग्रहीत की जा चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती विमला सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वह औद्योगिक नगर ही कहलाता है मोदीनगर। मान्यवर, वहां एक कस्बा है पिलखवा, वह कस्बा मशहूर है हथकरघे के लिये। हथकरघे के उद्योग से हम तमाम माल विदेशों को भेज रहे हैं, और विदेशी मुद्रा उससे अर्जित कर रहे हैं। उस छोटे से कस्बे के माध्यम से, जो उपलब्धि हो रही है, वह विदेशी मुद्रा के रूप में बड़े अच्छे पैमाने पर हो रही है। मोदीनगर में तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जैसे साबुन उद्योग, लालटेन आदि बनाने के छोटे छोटे उद्योग। इसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वहां कपड़ा मिल की 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 यूनिट्स कार्यरत हैं, 2 नहीं चल रही हैं, कृपया उन बन्द 2 यूनिट्स को चलवाने का कष्ट करें। ताकि उनकी वजह से तमाम छोटे छोटे श्रमिक और उनके परिवार भूखों मर रहे हैं, उनको राहत मिल सके। मान्यवर, मैं दूसरी बात पावरलूम के सम्बन्ध में रखना चाहती हूं। पिलखवा में कैनवास क्लाथ बनता है। उसमें जो ड्यूटी लगती है, मशीन मैक की और जो हाथ से बनते हैं कैनवास, वह ड्यूटी सामान्य है। मैं कहती हूं कि उस ड्यूटी को, जो हाथ से कैनवास क्लाथ बनता है, उसको कम कर दिया जाय । यह अनुरोध है।

इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का एक बार पुनः समर्थन करती हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय प्रदान किया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है। आजादी के बाद से लेकर आज तक निजी क्षेत्र से या सार्वजनिक क्षेत्र से किसी भी तरह के बड़े या मध्यम उद्योग की स्थापना देवरिया जिले में नहीं हुई है। न लघु उद्योगों के द्वारा ही वहां औद्योगिक विकास हो सका।

मान्यवर, आजादी के पहले और आजादी के समय 15 शुगर फैक्ट्रीज देवरिया जनपद में थी। अब घटकर 14 शुगर फैक्ट्रीज ही रह गयी हैं। इसके अतिरिक्त वहां जो चीनी मिलें थी उनमें से अधिकांश सरकारी नियंत्रण में ले ली गई। उनके सरकारी नियंत्रण में हो जाने के कारण, वहां उद्योग पनप नहीं सके। देवरिया में थापर की 3 चीनी मिलें थीं किन्तु थापर इण्डस्ट्री ने पंजाब और राजस्थान में कागज का कारखाना लगाया और यहां के किसानों का दोहन किया। जो उनका कार्ड-बोर्ड का कारखाना पंजाब और राजस्थान में लगा, मान्यवर, वह देवरिया में लग सकता था किन्तु आपकी कमजोरी के कारण वह प्रदेश के बाहर लगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जितनी भी कमिश्नरी हैं, गोरखपुर कमिश्नरी सबसे घनी आबादी वाली कमिश्नरी है। वहां किसी भी उद्योग का प्रस्ताव न होने के कारण ऐसा लगता है कि सरकार शायद बूढ़ी हो गयी है या उसके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गयी है।

मान्यवर, जैसा कि विदित है गोरखपुर में रेलवे कोच फैक्ट्री का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन वह फैक्ट्री पंजाब को स्थानान्तरित कर दी गयी। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया उसके स्थान

पर किसी अन्य फैक्ट्री के रूप में कम्पन्सेट करें। यह इनका नैतिक दायित्व है। मान्यवर, मैं कहूंगा कि वहां के गरीब और पिछड़े इलाके को देखकर देवरिया जनपद में उद्योगों को प्रस्तावित करें। देवरिया जनपद से एक वर्ष में लगभग 18 करोड़ रुपये चीनी मिलों के माध्यम से राजस्व के मद में आता है। यदि उसी लागत का देवरिया जनपद में कारखाना स्थापित कर दिया जाय तो भी कल्याण हो जाता। देवरिया में कसया में एक चीनी मिल लगाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। गन्ने की पिराई के बाद उसका जो छिलका एक्सिस रूप में बचा करता है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर सरकार के माध्यम से कार्ड बोर्ड फैक्ट्री अथवा कागज का कारखाना लगाने का प्रयत्न किया जाय।

दवाईयों और मसालों तथा सब्जी के लिए सरकारी श्रोतों से अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि देवरिया में मसाले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए वहां पर मसाले का कारखाना खोला जाय।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मिर्जापुर के राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक काफी बड़े जंगल का हिस्सा पड़ता है, जहां पर टसर कोया का उत्पादन के लिए काफी बड़ी नर्सरी लगायी जा सकती है। मेरे जिले के दक्षिणांचल में टसर कोया के उत्पादन में 800 जनजाति के परिवार जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन 1983-84 में आपने 19.41 लाख और 1984-85 में 19 दशमलव कुछ लाख टसर कोया पैदा किया है। मिर्जापुर का जो यह जंगल है, इसमें काफी कटान हो रहा है। यदि आप राजगढ़ के धोरावल और तेंदुहार को नर्सरी घोषित कर दें, तो इससे प्राकृतिक सम्पदा की रक्षा होगी और नर्सरी भी लगाई जा सकती है। और बहुत से जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी जीवन यापन करने में सुविधा हो जायेगी।

दूसरा, यह कहना चाहता हूं कि यदि शहतूत के पेड़ को नर्सरी में लगाया जाय तो हमारा मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में लाहा उत्पादन के लिए प्रथम था, जिस पर बहुत से गरीब लोग जीवन यापन करते हैं, यदि आज भी आपका निदेशालय वहां पर नर्सरी घोषित कर दे, तो लाहा का उत्पादन बढ़ जायेगा और हजारों लोगों को रोजी रोटी मिल जायेगी।

अन्त में मैं, एक बात और कहना चाहता हूं सीमेन्ट निगम के बारे में। सीमेन्ट निगम में स्लैग का उपयोग किया जा रहा है। इस स्लैग से पुनः लोहा बनाया जा सकता है। हमारे मिर्जापुर में काफी मात्रा क्ले की है और ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में राख के डिस्पोजल की काफी समस्या है। इन दोनों चीजों को स्लैग के विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए, यह बहुत ही सस्ता पड़ेगा।

*डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने न्याय पंचायत स्तर पर कोई उद्योग लगाने की बात नहीं कही है। मेरा सुझाव है कि आई0 आर0 डी0 और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आपका जो पैसा खर्च हो रहा है, यदि न्याय पंचायत स्तर पर उद्योग लगा दिये जायेंगे तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और देहातों में लोगों को चीज सस्ती भी मिलेगी और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

हथकरघा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जो मजदूर हैं, उनको सही पैसा नहीं मिल पाता है।

(इस समय 4 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनकी गाढ़ी कमायी को खा जाते हैं। मैं आपका ध्यान अलीगढ़ जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं। हाथरस का इस प्रदेश में उद्योग विषय में दूसरा नम्बर था किन्तु आज उसकी हालत यह है कि कोई उद्योग नहीं है। मुख्य-मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि सलेमपुर योजना चलायी जायगी लेकिन आपने अपने भाषण में इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही। इसके पहले मुख्य मंत्री मिश्रा जी ने घोषणा की थी कि सलेमपुर योजना चालू होगी

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बड़ा आभारी हूं और बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। गाजीपुर जनपद हर साल बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित रहता है इसकी गरीबी के बारे में मरहूम श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी ने इस तरह

(व्यवधान)

से गरीबी का चित्रण किया था पार्लियामेन्ट में कि नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गये थे। गाजीपुर और पूर्वांचल के बारे में जो चित्रण किया था उसके बाद पटेल आयोग का गठन किया गया। आज भी उनकी संस्तुतियों को लागू नहीं किया है। हमारे गाजीपुर जनपद, जहां से मैं विधायक हूं, भारत सरकार की अफीम फैक्ट्री है जिसके कारण गाजीपुर शून्य जनपद में नहीं आ पा रहा है। इसे शून्य कर दिया जाय तो गाजीपुर जिला शून्य हो जायगा, बड़ी लाइन नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो और काम होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। प्रस्तावित स्टील का कारखाना है, मैं इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अब तक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अधिष्ठाता–

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

उद्योग विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले बुन्देलखण्ड की बात कह रहा हूं। यहां मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर मिलता है जिसकी पूरे प्रदेश में मांग है लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना की घोषणा नहीं की। ललितपुर जनपद शून्य घोषित होना

चाहिए। वहां पर केवल एक बड़ा उद्योग निजी क्षेत्र का नरेन्द्र एक्स्प्लोसिव है जो शुरू होने से पहले ही बीमार हो गया है। न तो वह शुरू हो पाया है और न ही उसके शुरू होने की सम्भावना है। इसलिए निवेदन है कि ललितपुर को पुनः जीरो डिस्ट्रिक्ट घोषित करें ताकि जो सुविधायें जीरो डिस्ट्रिक्ट जनपद के उद्यमियों को मिलती हैं, वे सुविधायें यहां के उद्यमियों को मिल सकें। ललितपुर में खाद का कारखाना लगाया जाना चाहिए।

राक फास्फेट के संबंध में, जो राक फास्फेट प्रोजेक्ट है, उसमें पिछले वर्षों में वित्तीय घोटाला हुआ। ऐसी जानकारी मिली है कि विभाग के लोग और निगम के लोग, इन अधिकारियों के घोटाले को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

खनन कार्य से संबंधित, अभी हाल ही में वन विभाग के अन्तर्गत जो खदान आती थी, उन पर खनन कार्य बन्द करवा दिया गया है।

हमारा मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि मा0 मुख्यमंत्री जी से बात करें और वनों की ऐसी खदानों का, जहां पर प्राकृतिक सम्पदा के रूप में खनिज है, उनमें फिर से खनन कराने हेतु प्रयास करें। जो उद्यमी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उद्योग लगायें, उसमें मा0 मंत्री जी आश्वासन दें कि उन्हें कच्चा माल निश्चित रूप से मिलेगा। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, उसका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं। हथकरघा उद्योग कृषि उद्योग की भांति ही स्थान रखता है। मैं वाराणसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर लगभग 25 हजार परिवार हथकरघा के उद्योग से अपनी जीविका पैदा करते हैं। बनारसी साड़ियां अपनी नयनाभिराम शोभा के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। हर स्त्री कम से कम शादी के दिन इस वस्त्र को धारण करती है। तीन साल पहले रेशम की काफी कमी हो गयी थी, जिससे विदेश से रेशम खरीदना पड़ा। प्रायः यह रेशम बंगलौर से आता है। देहरादून की एक फैक्ट्री है जो रेशम देती है, लेकिन इससे पूरा नहीं होता है। नागेढ़ में अर्जुन आदि के वृक्ष पर कीड़ा पाला जा रहा है। अगर और पेड़ लगाये जायं तो अच्छा होगा। हमारे यहां एक विभूति ग्लास फैक्ट्री थी, जो कि आजकल बन्द है। यह 20 साल तक सरकार के अधीन चली, माननीय मंत्री जी को उस पर ध्यान देकर उसे चलवाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री श्रीनाथ सिंह–

इसके अतिरिक्त लकड़ी के उद्योग में हजारों कारीगर लगे हुए हैं। कोरइया लकड़ी के अभाव में यह कारीगर भुखमरी के कगार पर हैं। उद्योग विभाग को उक्त लकड़ी कारीगरों को प्राप्त करानी चाहिये। (व्यवधान) भदोहीं कालीन उद्योग बहुत बड़ा है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक सरकारी ऊलन मिल है। भ्रष्ट मैनेजर ऊनी धागे में बेईमानी कर रहा है, उसमें सुधार करना आवश्यक है।

वाराणसी में सिल्क परियोजना की इमारत तो बन गयी पर उसके लिए जल्द से जल्द मशीनों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बुनकरों को रेशम मिल सकें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। निश्चय ही किसी भी देश या प्रदेश का विकास औद्योगिक विकास से ही सम्भव है, लेकिन दुख है कि इतने वर्ष आजादी हुए हो गये लेकिन उत्तर प्रदेश को जितना औद्योगिक विकास करना चाहिये था, नहीं कर पाया। इसके दो-तीन मुख्य कारण हैं। एक तो प्रदेश सरकार को भारी उद्योगों के बजाय लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये था। कठोर नियम बना देना चाहिये था कि एक आदमी एक या दो ही उद्योगों को चलायेगा, अधिक नहीं चलायेगा। होता यह है कि एक आदमी टायर भी बनाता है, ट्यूब भी बनाता है, मोटर की बाडी भी बनाता है, जितने अधिक सामान बनाने के कारखाने होते हैं, एक, दो या तीन आदमी पूरे हिन्दुस्तान को कैप्चर किये हुए हैं। प्रतिबन्ध कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि एक आदमी केवल एक या दो सामान बनाने का ही कारखाना लगायेगा। सरकार को आज इस बात के लिये भी कठोर नियम बनाने चाहिए कि नये तरीके से जो उद्योग लग रहे हैं चाहे सरकारी क्षेत्र में हों चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या व्यक्तिगत क्षेत्र में हों, गांव के विकास की दृष्टि से गांवों में ही लगायेंगे। मैं पूर्वांचल की बात कहता हूं। पूर्वांचल का गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में मजदूरी करने का काम करता है। पूर्वांचल में कोई उद्योग न होने के कारण वे देश के कोने-कोने में भटक रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बलिया जनपद के लिये एक्सपर्ट्स ने जो चार कारखानें बनाने के लिये अपनी राय दी थी वह चारों कारखाने, कार्ड बोर्ड का कारखाना, दाल की मिल, चावल की मिल आदि जो कि चीजें वहां उपलब्ध हैं उनका कारखाना वहां खुलवाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

* श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे उद्योग बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था आपके माध्यम से, लेकिन इस समय कम समय होने के कारण मैं दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं।

एक बात तो यह है कि आजादी के बाद से आज तक केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे प्रदेश का चहुमुखी विकास औद्योगीकरण करके किया है, वह सराहनीय है। अभी हमारे सामने सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा अपनी बातों को और विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि यह बजट एसा बजट नहीं है जिससे कि प्रदेश का विकास हो सकें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के सदस्यों को कोई एसा आईना आप दे दें ताकि वह देख सकें कि इस प्रदेश में कितने उद्योग लगे हैं और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनसे प्रदेश का कितना विकास हुआ है।

मैं कहता हूं कि केवल आलोचना ही नहीं करनी चाहिए बल्कि कुछ ठोस सुझाव भी देने चाहिए कि प्रदेश में किस तरीके से विकास हो सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने जनपदों में बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं और विकास हुआ है, उन जनपदों में माननीय मंत्री जी आप छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन दें। और जिन जनपदों में बड़े उद्योग नहीं हैं वहां उस क्षेत्र के विकास के लिए वहां बड़े उद्योगों की स्थापना करायें ताकि वहां के लोग उससे लाभान्वित हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उद्योग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री काजी कलीमुर रहमान–

अधिष्ठाता महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष से जिन साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विरोधी पक्ष के लोग हों, आपकी औद्योगिक नीति पर बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने प्रदेश के लिए और अपने-अपने जिलों के लिये जो समस्याएं और दिक्कतें हैं, उनसे उन्होंने आपको अवगत कराया है।

मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमियां हैं ज्यादातर चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, उन्होंने अपने जिले में उद्योग न होने की जानकारी दी है और वहां की समस्याओं से आपको अवगत कराया है, उसके बाद चाहे बजट का समर्थन भले ही कर दिया है, लेकिन सबने निन्दा की है उद्योग विभाग की कि उस विभाग का काम ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो समस्याएं सामने आयी हैं, आप उन पर उत्तर देते समय कुछ आश्वासन दें और बतायें कि उन पर आपके क्या विचार हैं।

कहा गया है कि कानपुर में जे0 के0 उद्योग के चार कारखाने और मोदी-नगर का कारखाना बन्द होने के बाद समस्यायें और बढ़ी हैं, उन पर भी आप अपनी स्पष्टीकरण देने की कृपा करें। वहां के मजदूरों की जो समस्या है उनके ऊपर भी आप साथियों को अवगत करायें। कुछ साथियों ने जनपद आजमगढ़ में उद्योग के न होने पर आपको अवगत कराया है विशेषकर एक साथी ने सगड़ी तहसील आजमगढ़ में जो उद्योग शून्य तहसील है वहां उद्योग लगाने की बात कही गयी है। अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम की बात कही गयी है, लेकिन उसके सम्बन्ध में आपने अपने बजट में कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं रखी कि इस अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की है और कितना इससे फायदा हुआ है। सभी साथियों ने ऐसी चीज पर बल दिया है कि कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग धन्धों को बढ़ावा इस प्रदेश में दिया जाय। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपने विचार रखें। सब लोगों की एक उम्मीद इस बात पर नजर आती है कि आज प्रधान मंत्री राजीव गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक इस हिन्दुस्तान में और हमारे प्रदेश में यह इलेक्ट्रानिक गुड्स के

* अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उद्योग लगाये जा रहे हैं इससे बेरोजगारी बढ़ेगी । इसलिए इस तरह से जो बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे समस्या और बढ़ेगी। इस प्रदेश के नौजवानों के बेरोजगारों की समस्या को देखिए, बेरोजगारी दूर करते हुए जो उद्योग लग सके उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हैंडलूम कारपोरेशन जिसके बारे में सभी बुनकरों और आम लोगों की एक आम राय हो गयी है कि 1980 से लेकर अब तक यह बुनकरों का दुश्मन मुहकमा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हैण्डलूम कारपोरेशन पर और बुनकरों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे। सभी साथियों ने बुनकरों की हालत सुधारने पर विशेष बल दिया है। बुनकरों की समस्याओं से अवगत होने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है कि बुनकरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है । प्रदेश का एक सबसे बड़ा जो उद्योग है और उसमें काम करने वाले 70-80 हजार बुनकरों को जो आज सामना करना पड़ रहा है, इसका सपना न हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था और न हमारे पूर्वजों ने देखा था कि हमारे बुनकरों की हालत यह आयेगी, और उसकी समस्याओं को लेकर हम सरकार के सामने रोयेंगे । कर्जे पर आधारित जो है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में कीजिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो उत्तर दे रहे हैं, संक्षेप में कीजिए ।

श्री काजी कलीमुर रहमान–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़े उद्योग जहां भी लगाये गये और जो जमीन ली गयी चाहे सत्ता पक्ष के साथी हों, चाहे विपक्ष के साथी हों, सब ने सुना कुछ भी हो, सबका एक मत है कि बड़े उद्योग जहां लगाये गये हैं, रोजगार जिनको मिलना चाहिए था, जिनकी जमीन गयी थी, उनको रोजगार नहीं मिला। इस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए और यह स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि बड़े उद्योग जहां भी लगे वहां स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने जो बजट पेश किया है आपकी नीति है, इस प्रदेश की ओर देखते हुए रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे साथी अशोक बाजपेई जी ने एक बहुत ही अहम मसला रेशम उद्योग का रखा है इस बारे में विशेष बल देना चाहूंगा। रेशम उद्योग जो हमारे सूबे में आसानी से पनप सकता है और बढ़ सकता है और रेशम उद्योग में कई लाख लोगों को काम मिल सकता है। आज रेशम उद्योग के लिए भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की तरफ से काफी पैसा भी मिल सकता है। पैसा मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है । मैं इन अलफाजों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन मुद्दों पर मा0 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनका उत्तर देंगे और आश्वासन देंगे कि जो कमियां रह गयी

हैं, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे ।

*श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 सदस्यों का चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, आभारी हूं कि उन्होंने उद्योग विभाग के बजट के सिलसिले में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, उन सुझावों में बहुत से सामयिक हैं और बहुत से उपयोगी हैं । सभी मा0 सदस्यों के सुझावों का उत्तर देने में समय लगेगा, इसलिये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके विषय में मैं जानकारी देना चाहूंगा ।

मान्यवर, सबसे पहले मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि औद्योगीकरण के सिलसिले में हमें पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का सहयोग चाहिये । आज़ादी की लड़ाई हुई तो देश के प्रत्येक व्यक्ति ने और सभी ने मिल कर इस देश की राजनैतिक आजादी को प्राप्त करने में सहयोग दिया । अब एक दूसरा अवसर आया है जब देश में आर्थिक और औद्योगिक क्रान्ति हो रही है और औद्योगिक क्रान्ति के लिये एक महायज्ञ हो रहा है । हम आशा करते हैं पक्ष और विपक्ष के सहयोगीगण इस क्रान्ति में सहयोगी होंगे और निश्चित रूप से सहयोग करेंगे । मा0 सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में जो विचार दिये हैं वह संभवत: इसी विचारधारा के अनुरूप दिया है ।

श्रीमन्, मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास होना चाहिये, जैसा कि प्रारम्भ में मैंने कहा कि वह अनेक कारणों से नहीं हो सका है, लेकिन पिछले वर्ष से विकास की गति तेज हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है । हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो नीति बनायी थी और जो कार्यक्रम बनाया था, उन पर अमल करते हुये हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस दिशा में विशेष कदम उठाया है जो भी बातें कही गयी हैं, उनमें दो प्रकार की हैं जो हमारे सामने आयी हैं । कुछ मा0 सदस्यों ने कहा कि बड़े उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें और उनकी आवश्यकता है और कुछ मा0 सदस्यों ने कहा कि लघु और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये । मान्यवर, मैं समझता हूं कि दोनों प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता है हमारे प्रदेश में, क्योंकि बहुत से लघु उद्योग ऐसे हैं जिनके लिये बड़े उद्योगों की आवश्यकता है ।

मशीनों के लिये, खेती के लिये, खाद के कारखानों, सीमेंट के कारखानों, इस्पात के कारखानों और लोहे के कारखानों की अपनी जगह पर महत्ता है । मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों विशेषकर खादी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । मा0 सदस्यों को प्रसन्नता होगी कि सन् 1983-84 में इस प्रदेश में खादी और ग्रामीण उद्योग पर केवल 4 करोड़ रुपया व्यय किया गया है और 84-85 में 10 करोड़ रुपया व्यय हुआ था और इस वर्ष यानी 1985-86 में 20 करोड़ रुपया इन पर व्यय किया जायेगा । खनिज सम्पदा की चर्चा की गयी है । हम जानते हैं और मा0 सदस्यों को भी पता है कि खनिज

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सम्पदा में मूल्यवान हमारा प्रदेश रहा है । और खनिज निगम का काम, खनन का काम हमारे प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है । मान्यवर, खनिज निगम ने 1983-84 में 4 लाख 60 हजार रुपये का लाभ अर्जित किया था । माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत से कारपोरेशन्स घाटे में चल रहे हैं । लेकिन जहां तक खनिज निगम का सवाल है 1984-85 में इस निगम ने 65 लाख 13 हजार रुपये का लाभ अर्जित किया है और 1985-86 में 75 लाख रुपये का लाभ अर्जित करने का अनुमान है ।

मान्यवर, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की प्रशंसा की है और कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना भी की है और यह कहा है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी । मान्यवर, जिस समय बैलगाड़ियों का चलन था, तो साइकिल के आने पर और इसी तरह से स्कूटर के आने पर साइकिल के उद्यमियों ने चिन्ता प्रकट की थी और कार-मोटरें आने पर ट्रैक्टरों की बराबर आलोचना होती रही है । आप विश्वास करें कि संसार के दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में आपको इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की तरफ जाने की आज अति आवश्यकता है ।

हैंडलूम के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के सुझाव दिये और उपयोगी सुझाव दिये हैं । हैंडलूम की स्थिति सुधारने के लिये शासन आपके समान ही चिन्तित है और इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं । मान्यवर, कानपुर में एक नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट का कार्यालय खोला गया है । उत्तर प्रदेश में इस तरह का कार्यालय खुल जाने से हमारे बुनकर भाइयों को विशेष सुविधा होगी ।

सेरीकल्चर के बारे में हमारे माननीय बाजपेयी जी ने और रहमान साहब ने भी बहुत उपयोगी बातें कहीं हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सेरीकल्चर को बढ़ावा देने के लिये, रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हमारे प्रदेश में भगीरथ प्रयत्न किये जा रहे हैं । मान्यवर, पिछले सप्ताह नेशनल सेरीकल्चर बोर्ड के उच्च अधिकारी हमारे प्रदेश में आये थे और उन्होंने प्रदेश की सेरीकल्चर योजना पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चय किया है कि सेरीकल्चर को बढ़ावा देने के लिये सेरीकल्चर का अलग से एक निदेशालय स्थापित किया जाय जिससे प्रदेश में सेरीकल्चर के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके ।

मान्यवर, कुछ अधिकारियों के बारे में भी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं और चिन्ता भी की है । हमारे प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग विभाग जैसे विस्तृत विभाग के अनेकों अधिकारी बैठते हैं वे निश्चित रूप से परिश्रमी, उत्साही और निष्ठावान हैं । लेकिन यह मैं मान सकता हूं कि कुछ अधिकारी समय की गति के साथ अभी नहीं चल रहे हैं । लेकिन इस तरफ बराबर समीक्षा की जा रही है और इस बात की चेष्टा की जा रही है यहां पर औद्योगिक वातावरण बने और उद्यमियों को महसूस हो कि उद्योग कार्यालय में जाने के बाद उन्हें सब प्रकार की सुविधायें मिलें और जो भी वे जानकारी चाहते हैं, वह उनको दी

जाय, उन्हें कच्चे माल की सुविधा दिलायी जाय, ऋण देने में उनकी मदद की जाय और इस प्रकार से मदद की जाय कि वह उद्योग लगा सकें, उद्योग चला सकें, और उद्योग में यह लाभ अर्जित कर सकें । इस दिशा में पूरी चेष्टा की जा रही है । मैं यह मान सकता हूं कि हमारे अधिकारी जिस प्रकार से परिश्रमी, उत्साही और निष्ठावान हैं उसमें बहुत कुछ चमत्कारी भी है और उनका चमत्कार समय-समय पर सामने भी आता है । इसकी जांच पड़ताल होती है और निश्चित रूप से कार्यवाही भी उनके खिलाफ होती है । श्रीमन्, आप विश्वास रखें कि दिवंगत प्रधान मंत्री जी के चार सूत्र उद्योग विभाग के सामने हैं । हमें दूर दृष्टि, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अनुशासन का पालन करके उद्योग विभाग के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है । एक बात और है । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और गीता के इस श्लोक की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं–

यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थोधनुर्धरः
तत्र श्री विजयो: ध्रुवम् ।

इस प्रकार आप देखेंगे कि जब तक हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी हैं और जब तक हमारे माननीय मुख्य मंत्री नारायन दत्त तिवारी जी हैं और जब तक हमारा यह दृढ़ संकल्प है तब तक हम उद्योग के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति करते रहेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आगरा जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले उद्योग के क्षेत्र में आगरा प्रमुख स्थान रखता था . .

श्री अधिष्ठाता–

आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं भाषण नहीं दे सकते।

श्री विजय सिंह राणा–

तो मैं जानना चाहता हूं कि आज ताज के पोल्यूशन की वजह से वहां से उद्योग हटाये जा रहे हैं। जब आगरा से रिफायनरी 36 कि0 मी0 दूर है उसकी वजह से ताज का पत्थर काला नहीं हो सकता है तो वह आगरा से 72 कि0 मी0 दूर है और तांतपुर भी 72 कि0 मी0 दूर है। तो जो उद्योग आगरा शहर में स्थापित नहीं हो सकते हैं उनको बाहर और तांतपुर ले जाने का कोई प्रस्ताव है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नैनी इलाहाबाद में यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 का इण्डस्ट्रियल इस्टेट है। लेकिन उसको वह सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो नोयडा को हैं। तो क्या नैनी को वही सुविधायें प्रदान करेंगे जो नोयडा इण्डस्ट्रियल इस्टेट को उपलब्ध हैं?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में आपने पत्थर की खदानों का काम रोक दिया है जिसकी वजह से वहां पर उद्योग बन्द हो गया है। इस कारण से 20 हजार मजदूर वहां बेरोजगार हो गये हैं। तो क्या उन खानों को फिर से चालू करायेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) यह सिलसिला तो फिर जारी रहेगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सैरीकल्चर निदेशालय स्थापित करने की बात कही है। तो क्या यह निदेशालय इस वर्ष 85 में स्थापित हो जायेगा?

श्री अमर चन्द्र–

शासन द्वारा स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को मदद दी जा रही है लेकिन ऊर्जा विभाग उनको कनेक्शन देने से इनकार कर दिया है। तो क्या इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी स्वतः रोजगार योजना को प्रभावी बनाने पर विचार करेंगे और यह कठिनाई दूर करेंगे?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

भारत सरकार ने देवरिया जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया है लेकिन उद्योगों को कोई सुविधा वहां नहीं दी जा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी वह सुविधा प्रदान करेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपको कुछ कहना है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

माननीय सदस्यों ने जो बजट के सिलसिले में बातें कही हैं उनको मैं दिखवा लूंगा। देवरिया में कोई उद्योग की बात होगी तो देखेंगे। आगरा का जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसको हम देखेंगे जो भी सम्भव होगा उस पर विचार करेंगे।

श्री काजी कलीमुर रहमान–

कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मुझे बुनकरों के सम्बन्ध में कहना है।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप वापस ले रहे हैं?

श्री काजी कलीमुर रहमान–

माननीय मंत्री जी ने बुनकरों के वेलफेयर स्वतः रोजगार में बेरोजगार को जो परेशानियां हो रही हैं उनके संबंध में जो चिकन है, आगरे का और बनारस की साड़ी की जो समस्या आयी उसमें मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं कहा कि आपकी क्या नीति होगी? इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3- उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3- उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,65,04,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4- उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जांय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,30,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,80,63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,67,45,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27-निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985 का अनुमोदन करता है।

श्रीमन्, इस अध्यादेश के द्वारा जो विधेयक के रूप में मंत्री जी लाये हैं वह ठीक नहीं है। इसलिये कि इस अध्यादेश में अध्यक्ष को जो एक या दो सदस्यों को नाम निर्देशित करने की शक्ति दी गयी है, वह बहुत ठीक नहीं है। इसलिये कि इसमें भी वही भ्रष्टाचार और अनियमिततायें मौजूद हो जायेंगी जो विभागीय तदर्थ नियुक्तियों में होती थी।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसे अधिकारी का पद सृजन किया जा रहा है, परीक्षा नियंत्रक का जो असंगत है। वह अध्यक्ष के बराबर या अध्यक्ष से ऊपर हो जायेगा। यह खामी इस अध्यादेश में है और यह विसंगति है कि परीक्षा नियंत्रक, परीक्षकों की सूची जो तैयार करेगा वह स्वयं करेगा लेकिन इसकी पूर्व अनुमति करायेगा अध्यक्ष से। जो इच्छा होगी, उसी पर अध्यक्ष से पुर्वानुमति लेगा। इसमें अध्यक्ष की स्थिति बिल्कुल निरीह कर दी गयी है। इस अध्यादेश के जरिये नियंत्रक अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से प्राश्निकों, अनुसीमकों और मूल्यांककों की नियुक्ति करेगा। नियंत्रक अपनी इच्छानुसार जिसको चाहे उसको बना दें और अध्यक्ष से पूर्वानुमोदन करा लें। अध्यक्ष के समक्ष जो सूची वह प्रस्तुत कर देगा उसको अध्यक्ष को मंजूर करना ही होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नाम निर्दिष्ट करने के मामले में अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी मामले में एक व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करने का प्राविधान है। इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि 2 या दो से अधिक सदस्यों को नियुक्त कर दें जिससे इस बात की सम्भावना रहती है कि दो या दो से अधिक लोग रहेंगे तो आपस में विचार विमर्श करके अच्छा फैसला लेंगे। अगर एक सदस्य रहेगा तो भ्रष्टाचार व्याप्त हो सकता है। इस बात की इसमें आशंका है।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि स्थायीकरण के मामले में एक सदस्य का प्राविधान किया गया है। उसमें भी दो या दो से अधिक 3, 4 और कम से कम 7 सदस्यों की सीमा रखनी चाहिये। जिससे कोई काम अच्छी तरीके से हो सके। नियंत्रक की व्यवस्था करके अध्यक्ष की स्थिति बिल्कुल लुंजपुंज कर दी है। यह अच्छा विधेयक नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैंने अननुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जो तमाम विसंगतियां है इस अध्यादेश में इनको दूर करके, जो निरीह बना दिया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, उसकी स्थिति को बरकरार रखने के लिये इसको मंत्री जी वापस ले लें और फिर से विचार करके एक अच्छा विधेयक ले आवें। इसमें कोई बात साफ नहीं है।

लोक सेवा आयोग का विकेन्द्रीकरण इसलिये हो रहा है कि इसमें कुछ लोगों का निहित स्वार्थ है। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 40 विभाग हैं, उनका विकेन्द्रीकरण कर दें और जो जो लोग मंत्री बनने के लिये लालायित है, भाग-दौड़ कर रहे हैं, उनको मंत्री

बना दें। एक ऐसा आयोग जिसकी निष्पक्षता के बारे में पूरा देश, एक मत से सहमत है, एक अच्छी संस्था है, उस पर इस अध्यादेश के जरिये कुठाराघात किया गया है। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है, ऐसे सेन्टेन्सेज जोड़ दिये गये हैं कि परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को चुनौती दे सकता है और चुनौती देने की स्थिति में वह है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाय। मैं पुन: अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)– अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बहुत ही छोटा सा विधेयक हैं। जिन सही उद्देश्यों के लिए इसे आज प्रस्तुत किया गया है, इससे पूर्व कि मैं इस बारे में कुछ प्रकाश डालूं, हमारे वरिष्ठ साथी राम गोविन्द चौधरी जी जब अपने संकल्प पर बोल रहे थे, उन्होंने उसमें जिस आशंका का उल्लेख किया, मैं वहीं से अपनी बात आरम्भ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि परीक्षा नियन्त्रक को जो नियुक्ति कर दी गई है या प्राविधान है, उससे वह इतना मजबूत हो जाएगा कि वह अध्यक्ष के ऊपर हो जाएगा। यदि आप इसका अध्ययन कर लिए होते तो वह यही पाते कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति केवल इस उद्देश्य से की गई है कि अभी तक यह कार्य सचिव करता था। वह जहां अपने कार्यालय को देखता था, प्रशासन के कार्य को देखता था, साथ ही साथ वह परीक्षा के कार्य को भी देखता था और वह बहुत सारे कार्य जो परीक्षा के मामले हैं उनको देखता था, जो कांफिडेंशियल मामले हैं, उनके लीक-आउट होने की संभावना बनी रहती थी। इसलिए ऐसे अधिकारी के पद का सृजन किया गया है, जिनका कार्य क्षेत्र परीक्षा तक ही सीमित रहेगा। किन्तु संयुक्त सचिव पद के सारे अधिकार हैं और यह भी प्राविधान है कि जब तक नियुक्ति न की जाए, जो संयुक्त सचिव हैं, वह परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे। इसलिए जो बात आपने कही हैं, जो आशंकाएं आपने व्यक्त की है, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो यह आशंका कि इसमें अध्यक्ष को इतने अधिकार दे दिए गये हैं कि वह कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, निर्मूल है। यह तो कहा जा सकता है कि इसमें अध्यक्ष को कुछ अधिकार देकर सदस्यों के अधिकारों को कम कर दिया गया है या विकेन्द्रित कर दिया गया है। क्योंकि अबतक हमें काम करने के बाद कठिनाई की बात थी। आप स्वयं सोचें वहां के एक छोटे से अधिकारी, सेक्शन अफसर तक को छुट्टी देने की बात, उसके सेलरी की बात या और ऐसे अधिकारियों की बात के बारे में कोई निर्णय का अधिकार अध्यक्ष को नहीं था, लोक सेवा आयोग को उस पर बैठकर निर्णय लेना पड़ता था और उसमें कठिनाई होती थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशासनिक कार्य भी बहुत सारा विलम्ब से होता था। हमारे सचिवालय के प्रशासन के बारे में कई प्रश्न रेवती रमण सिंह जी ने किये हैं और कहा है कि जब वहां से समय पर नहीं हो पाता है, जवाब नहीं मिल पाता है तो आपने उसके लिये कोई प्राविधान क्यों नहीं किया है? तो यह बात सही है कि सचिवालय में आयोग से परामर्श आने में विलम्ब होता था। हम कोई भी मामला भेजें, जो उनकी प्रक्रिया थी फाईल को सरकुलेट करने की कि उस पर विचार आएंगे, तो उसमें विलम्ब होता था और व्यवधान पैदा होता था। इस प्रक्रिया में कभी विचारों में एकता नहीं आती थी या कभी-कभी कोई सदस्य अपने विचार नहीं भेजना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति में पत्रावली तक मंगाने की शक्ति उनके पास नहीं थी और इस तरह वर्षों तक ऐसे मामले पड़े रहते थे। इसलिए कि कोई सदस्य उसमें रुचि नहीं लेना चाहते थे या बाहर चले जाते थे। अतः अब यह प्राविधान किया गया है कि साधारण बहुमत से इन मामलों का निस्तारण कर दिया जाए और रूटीन मामलों में अध्यक्ष को अधिकार दे दिया जाए कि उनके स्तर से ही उनका निष्पादन हो जाया करे। अबतक तीन समितियां-परीक्षा समिति, वाद समिति और एक प्रशासनिक समिति थी। इन तीनों समितियों के होने के बावजूद अन्ततोगत्वा सारे मामले अध्यक्ष तक परीक्षण होने के लिये जाते थे और उनके सामने जब जायेंगे उसमें कितना समय लगेगा, कितना विलम्ब हो सकता है, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते थे। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि इन समितियों के गठन का अधिकार अध्यक्ष को दे दिया जाए। इन समितियों का गठन आयोग को बैठकर करना पड़ता था। एक पंक्ति है बहुत पुरानी, फर्स्ट एमंग इकुअल्स। बराबर वालों में से प्रथम तो प्रथम को बैठाने के लिये यह किया गया है। आपको जानकारी है कि लोक सेवा आयोग का जन्म ही संविधान से हुआ है। किसी अधिनियम या कानून से इसको नहीं बनाया गया है। इससे यह अपेक्षा की गयी थी कि एक परंपरा विकसित होगी और उसके अनुसार कुछ कामों का निष्पादन, होगा, हमें सहूलियत मिल जायेगी लेकिन दुर्भाग्य है कि जिसकी अपेक्षा हम करते रहे 20-25 साल से वह काम नहीं हो पाया और कुछ गलत दिशाओं में बात चलनी शुरू हो गयी। अध्यक्ष को अधिकार इस बात के लिये नहीं था कि जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं, कोई मीटिंग लगी हुयी है तो इसमें प्राविधान किया गया है कि जो सदस्यगण बाहर जाना चाहते हैं वह अध्यक्ष की अनुमति ले लें इतना अधिकार अध्यक्ष को होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कुछ और मामले हैं जैसे परीक्षा कराने का मामला है। पेपर सेटिंग का मामला है। कई ऐसी बातें हैं जैसे पेपर लीकेज हो गयी, तो ऐसी चीजों में हमें जिम्मेदारी नहीं डाल पाते थे। कैसे पता चले कि इसमें कौन दोषी है और कौन जिम्मेदार है? तो यह पद बनाकर यह व्यवस्था की गयी है कि जब ऐसी कोई बात आती है तो एक आदमी पर जिम्मेदारी डाली जाय। मान्यवर, इसमें हमने अनुसूची दी है जिसमें सही रूप से तमाम विषयों का बटवारा हमने कर दिया है कि किन मामलों को अध्यक्ष ले सकेंगे या किन मामलों को सदस्य ले सकेंगे और इसमें इस बात की परेशानी नहीं आयेगी कि कोई बात किसके अधि-

कार क्षेत्र की है या कोई बात किसके माडरेशन में भी कभी-कभी कठिनाई आती है। सदस्यों को क्लास छोड़े 30-40 साल हो जाते हैं। आज के विषय क्या हैं और 30 साल पहले विषय क्या थे तो बहुत अंतर हो जाता है इसलिये आवश्यक यह था कि माडरेटर्स का एक पैनल बनाया जाय। इस साल जो फिजिक्स का और रसायन शास्त्र का अध्ययन होगा वह 30 साल पहले नहीं होगा। अब वह सदस्य वहां बैठकर इन्टरव्यू लें तो यह व्यवहारिक बात नहीं है, उन विषयों के ऊपर उनकी उतनी गहराई से जाना संभव नहीं होगा इसलिये यह प्राविधान किया है। तो यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है। इस बात के लिये इसको लाये हैं ताकि लोक सेवा आयोग सही काम करे, इसमें कोई दुर्भावना की बात नहीं है। मुझे आशा है कि इसकी भावना को देखते हुये कि व्यवहारिक रूप से क्या कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं, माननीय सदस्य अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

*श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जो विधेयक है, माननीय मंत्री जी ने इसका बड़ा विश्लेषण किया, मंत्री जी की धारणा सही हो सकती है, मैं नहीं कहता कि उनकी धारणा गलत है। मैं अपनी धारणा के ऊपर बोलूंगा लेकिन जहां तक मैं जानता हूं लोक सेवा आयोग संविधान के मातहत बना और 1952 से संविधान लागू हुआ और इसको एक स्वायत्तशासी संस्था डिक्लेयर किया गया। और इतने दिन के बाद जहां तक मैं समझता हूं 34-35 साल हो गये, आज तक इसकी सत्य निष्ठा, इसकी तत्परता और इसकी निष्पक्षता पर कभी सदन में या सदन के बाहर कोई उंगली नहीं उठाई गयी, जो लोक सेवा आयोग था, तो मान्यवर, जहां इस बात का सवाल है और इसमें मंत्री जी करना क्या चाहते हैं, नियत उनकी साफ है कि जो प्रशासनिक ढांचे की वजह से, जो कमियां आई, उनको रेगुलाराइज कराने में कठिनाई जो सरकार को हुई, इसलिए उस ढांचे को बदलने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं उठता। क्यों उसको बदलना चाहते हैं? आज तक जितने उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपने फिजिक्स-केमेस्ट्री की बात कही कि इसमें परीक्षा ली जायेगी, जो व्यक्ति 20 साल पहले, 25 साल पहले परीक्षा पास करके आया, उसकी परीक्षा उसी समय आपने क्यों नहीं ली? बीस साल तक, 25 साल तक आप अस्थायी रखते हैं और कमीशन के पास भेजते नहीं हैं। यह दिक्कत आपके सामने है, जिसकी वजह से आप संशोधन लाये हैं और आपका कहना है, जिसको आप छोटा संशोधन कहते हैं, जो चैयरमैन था, मेम्बर था, वह आटोनामस बाडी है, इसमें सात मेम्बर हैं, एक चैयरमैन हैं, उससे ज्यादा कोई भीड़ नहीं है और न काम में कमी कोई दिक्कत आई और यह भी नहीं आया कि आपस में मतभेद है, इसलिए रुकावट आई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हर इन्टरव्यू के लिए, हर इक्जामिनेशन के लिए व्यवस्था पहले से ही नियमों में मौजूद थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब प्रशासनिक तंत्र में कठिनाई आई, तो उसकी वजह से आपको बदलने की जरूरत पड़ी और कहा कि चेयरमैन जो थे, उनको शक्ति नहीं थी, अब शक्ति ज्यादा दे रहे हैं।

अब क्या कर रहे हैं कि चेयरमैन रहेगा, लेकिन जो सातों मेम्बर होंगे, उनके काम का डिवीजन अलग-अलग होगा। इस विधेयक के माध्यम से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबके काम का बटवारा हो जायेगा और वह काम करेंगे। जब इनकी तदर्थ नियुक्तियों को रेगुलाराइज करानें में परेशानी आई, इसलिए इस विधेयक में संशोधन लाये हैं, जिससे कि वह त्रुटिया जो रह गयी हैं प्रशासन की वजह से, उनको रेगुलाराइज कराना चाहते हैं। आपने ऐसा इसका ढांचा बना दिया, जिससे कि इन गलतियों को ठीक कर सकें, वरना चेयरमैन और मेम्बरों में कोई कमी नहीं आई, कोई भी विवाद कभी नहीं हुआ।

इस बिल के द्वारा कमीशन के अधिकारों पर कुठाराघात है। इसका आप सरकारीकरण कर रहे हैं। उस स्वायत्त शासी संस्था का जो सरकारी दबाव में नहीं थी, उसको अब आप सरकारी तंत्र के द्वारा दबाना चाहते हैं। आप जो कहते हैं कि परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर दिया है, इस बिल के द्वारा जो भी आप नाम रख दें, लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी कार्य-कुशलता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो एजूकेशन बोर्ड है, वह भी स्वायत्तशासी संस्था है, लेकिन उसके पर्चे आउट हो गये, उसकी कापियां खो गयीं, आज तक हजारों बच्चों के रेजल्ट नहीं आउट हुए। क्यों, इसलिए कि इस पर राजनैतिक दबाव पड़ गया। आप एजूकेशन बोर्ड को ही ठीक कर दें। लोक सेवा आयोग के बारे में आपको चिन्ता हो गयी, एजूकेशन बोर्ड के बारे में आपको चिन्ता नहीं हुई। आज एजूकेशन बोर्ड के ढांचे को ही ठीक कर लेते। कैसे कापी आउट हुई, कोई पता नहीं लगा। उसके लिए आप कह रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक बनाने की कोशिश की है जिसका ज्वाइन्ट सेक्रेटरी का पद होगा, सबका काम बांटा गया। जो परीक्षा नियंत्रक होगा, वह भी स्वतंत्र होगा। इस तरीके से आपने चेयरमैन की पावर को, जहां आपने कहा कि बढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं कि घटा रहे हैं। इस बिल के बनाने के बाद आजादी से इस बात के लिए रास्ता मिल जायेगा कि जो जैसा सोचेगा, वैसा करेगा। माननीय, विडम्बना यह है कि इस बिल से कोई आफत नहीं आ रही थी, अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस वक्त आप अध्यादेश को लायें, ऐसे विधेयकों को जब लाना हो उनका अध्यादेश नहीं करना चाहिए क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी जो स्वतंत्रता और मान्यता है, वह खत्म होगी और उसको रखने के लिए ऐसे विधेयकों को प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये और उस पर राय लेना चाहिये, विधायकों की, पढ़े-लिखे लोगों की। आपने अध्यादेश रख दिया और अध्यादेश के माध्यम से जल्दी से पास भी कराना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से इसको एजूकेशन बोर्ड न बन जाना पड़े इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, इस पर विचार करा लें, उसके बाद पास करा लें, हम खुशी के साथ पास करेंगे।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस विधेयक को आप देखे और पढ़ें तो ज्ञात होता है जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा है कि वर्षों के अनुभव से ज्ञात हुआ है कि सभी मामलों को सम्पूर्ण आयोग के समक्ष ले जाने से आयोग के समुचित, निर्बाध और शीघ्रता से कार्य करने में अत्यधिक विलम्ब और कठिनाई होती है, परिणाम स्वरूप सरकार के कार्य संचालन और उसकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, यह सही है कि जब मामला सम्पूर्ण आयोग के समक्ष जायेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ कठिनाई होगी तो किसी प्रकार का सन्देह, कोई बेईमानी की सम्भावना उसमें नहीं रह जायेगी। आपने बिहार के बारे में सुना होगा, प्रदेश आयोग की छीछा लेदर सुनी होगी, अखबारों में पढ़ा होगा लेकिन जब कोई मामला सम्पूर्ण सदस्यों द्वारा मुख्य रूप से परीक्षित होकर सही रूप में सामने आता है। अब इसको कह रहे हैं कि हम बांट दे रहे हैं काम को, मान्यवर, इस संबंध में मैं पृष्ठ 5 पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा–काम है सामान्य प्रशासन, व्यय की स्वीकृति, बजट और ऐसे अन्य वित्तीय विषय और आवंटन है अध्यक्ष और अर्जित या चिकित्सा छुट्टी (सात दिन से अधिक) के कारण उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य। ठीक है मान्यवर, आप काम बांट देते हैं जिसके अन्तर्गत यह सदस्यों के दौरे के कार्यक्रम का पूर्वानुमोदन, आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति और उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुज्ञा देना। इसी में है अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट दो सदस्य। इसमें अध्यक्ष जो चाहेंगे, करेंगे। पक्षपात करना होगा तो अपने पक्ष के लोगों को नाम निर्दिष्ट कर देंगे और उनसे जो कुछ करवाना चाहेंगे, करवा लेंगे। इसमें जो अध्याय 12 है, अध्याय-5 (सेक्शन-12) के (क) में लिखा है कि आयोग अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति में या साक्षात्कार बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है या (ख) आयोग या उसकी किसी समिति या साक्षात्कार बोर्ड में कोई रिक्ति है, या (ग) कोई त्रुटि या अनियमितता है जो आयोग, समिति या साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष किसी कार्यवाही के सार को प्रभावित न करती हो। तो मान्यवर, इसका क्या मतलब है। मंत्री जी समझते होंगे। हमारे विचार से इसका जो मंतव्य है कि वह अपना इन्टरप्रेटेशन खुद कर लेगा। आपकी कोई त्रुटि अगर हो गयी तो वह अमान्य नहीं मानी जायेगी। साक्षात्कार त्रुटिपूर्ण ढंग से हो जाय तो सार का निर्णय होगा। इसलिए चाहते हैं कि त्रुटिपूर्ण ढंग से साक्षात्कार हो जाय तो सारभूत निर्णय की व्यवस्था है। इसमें यह कमी रह गयी है। फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी विषय पर राय लेनी हो तो आपका कहना है कि पत्रावली भेज देंगे। इनको सुविधा मिल जायगी पत्रावली भेज देने को और कोई सदस्य राय दे देगा, तो ये उसको मान लेंगे। इस पर विषमता उत्पन्न हो गयी है। पत्रावली पर राय लेना ठीक नहीं है। इससे विसंगति होगी। पता चला कि पहले राय ली गयी और फिर सामूहिक रूप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से विचार-विमर्श के पश्चात दूसरा तथ्य सामने आ गया, तो इससे विसंगति उत्पन्न होगी।

इसी तरह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की बात है। इसमें 9-(1) में लिखा है कि परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक विषय के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा और उसे आयोग के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूची प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जायगी। वह अधिकारी आयोग के समक्ष सूची बना-कर रख देगा। लेकिन यदि उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो उस सूची को आयोग हटा सकता है या नहीं, यह नहीं लिखा है। यदि उस परीक्षा नियंत्रक का ईमान डगमगाया तो फिर उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह हो जायेगा । संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश को भी बिहार की तरह बनाना चाहते हैं। परीक्षा नियंत्रक इसमें जिसको चाहे नियुक्त कर लेंगे। आयोग उस सूची पर कुछ नहीं कह सकेगा। आयोग के लिए इसमें कोई प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार में अध्याय दो की धारा 3-(1) की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो स्वयं विधि विज्ञ रहे हैं, काफी होशियार मंत्री हैं। पता नहीं कैसे संसदीय कार्य मंत्री हो गये, इन्हें तो मुख्य मंत्री होना चाहिये था। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दीजिये और वह पूरे विषय का व्यापक रूप से अध्ययन करके इसका परिवर्धन और परिमार्जन करके यहां पर प्रस्तुत करे जिस पर हम सब विचार करें।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, अभी जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, तो बोले कि अध्यक्ष को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। श्रीमन्, लोक सेवा आयोग का गठन अभी तक जो होता रहा है अध्यक्ष और सदस्य उनकी स्थिति बराबर रहती रही है और इसमें जो भी कोई निर्णय होता था आयोग के सभी मेम्बर मिलकर एकमत होकर कोई निर्णय लेते थे। अब जो विधेयक लाया जा रहा है, उसके अनुसार इसमें सदस्य अध्यक्ष अलग-अलग हो गयी हैं। श्रीमन्, यह सरकार कम्प्यूटेड ब्यूरोक्रेसी बना चुकी है, कम्प्यूटेड पुलिस बना चुकी है, लगभग कम्प्युटेड जूडिशियरी बना चुकी है। पब्लिक सर्विस कमीशन कम्प्यूटेड नहीं था, उसको भी कम्प्यूटेड बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। श्रीमन्, शासन की नीचे अध्यक्ष और अब अध्यक्ष के नीचे सदस्य।

अनुसूची में दर्शाया गया है कि अध्यक्ष जिसको चाहे एक सदस्य नाम निर्दिष्ट या दो सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। इसमें स्थिति यह बनेगी कि अध्यक्ष ने किसी सदस्य का नाम निर्दिष्ट किया, अगर वह सदस्य अध्यक्ष के मन मुताबिक काम नहीं करता है, स्वविवेक ईमान-दारी से काम करता है और अध्यक्ष महोदय उससे नाराज हो गये तो उस सदस्य के अलावा दूसरे सदस्य को काम देंगे उस सदस्य को फिर नाम निर्दिष्ट नहीं करेंगे। क्या इस पर कहीं ऐसा प्रतिबन्ध है। आप इसमें देखे जो आपने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षज नहीं किया।

काम वितरित किये हैं, तदर्थ नियुक्तियां जो की जायेंगी, वह एक सदस्य द्वारा उसको अनुमोदित कर दिया जायेगा तो वह पूरे आयोग का किया हुआ माना जायेगा। धारा 3(1) आप देखें। शासन के अधिकारियों या माननीय मंत्री जी के निर्देशों पर जो यह तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं, मनमाने ढंग से उनको आप आयोग के एक सदस्य से नियमितिकरण करा लेंगे और वह पूरे आयोग द्वारा किया हुआ माना जायेगा। मान्यवर, कौन सी प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक ईमानदारी की नीति बनायी है ? जो भ्रष्ट रूप से तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं, उनको मनमाने ढंग से सही करा लें। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के पास काम बहुत था, इसलिये काम पूरा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष को अधिकार नहीं था छुट्टियां देने का। आपने इसमें एक अनुसूची बनाकर कार्य वितरण किया है। तदर्थ नियुक्तियां वाली प्रक्रिया है या विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी मामले हैं या इस तरह के जो झगड़े फंस रहे हैं, यह आयोग में रखे होते।

मान्यवर, इसी तरह से धारा 4 को आप देखें। आयोग का अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य से भिन्न कार्य आयोग द्वारा किया जायेगा।

छुट्टी देने के लिये अध्यक्ष को अधिकार दे सकते हैं। समन्वय के लिये, सदस्यों के दौरे के कार्यक्रम का पूर्वानुमोदन इसके लिये तो ठीक था लेकिन वास्तव में आप इस बिल को इसलिये नहीं लाये हैं। आपके यहां जो एडहाक नियुक्तियां की जा रही हैं, सुपरसेशन करके पदोन्नतियां की जा रही हैं, उनको कैसे आप सही करा लें, यह आयोग आपके रास्ते में बाधा पड़ रहा था इसलिये यह बिल आप लायें। भारतीय संविधान की अनुसूची 320 में आप देखें। लिखा है संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमश: संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं को संचालित करें। यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या उससे अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं। "यह तो आपस में मिलकर वह कर सकते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है" यथास्थित संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से—सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धति के अनुसार संबंधित सभी विषयों पर, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अन्तरण करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अन्तरण की उपयुक्तता पर।" मान्यवर, यह लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि न कि एक सदस्य या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति के कृत्यों के बारे में नहीं लिखा गया है। लेकिन इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी आयोग के जो कृत्य हैं, उन्हें एक सदस्य में निहित कर देना चाहते हैं। यह बिल तो संविधान की मनशा का स्पष्ट रूप से अवहेलना कर रहा है और संविधान के विपरीत है।

माननीय मंत्री जी आप जो बिल ला रहे हैं, उसके अंतिम पैरा में आप देखें। इनमें लिखा गया है "उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया और विनियमन) विधेयक, 1985 के खण्ड 11 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत

आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।''

मंत्री जी आप इसमें कौन सी नई बात ले आये हैं ? 1976 में आप जो एमेन्डमेंट लाये थे, उसमें आपने यह कहा था कि यह अधिकार आयोग को दे दिया गया है। हां, यह जरूरत थी कि 1974 में जो आप अमेन्डमेंट लाये थे, उसमें आपने कहा था कि अध्यक्ष राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के बाद नियम बनायेंगे। 1976 में जब आप एमेन्डमेंट लाये तो उसमें आपने यह शक्ति आयोग को दे दी। लेकिन आप जो यह अमेन्डमेन्ट लायें हैं, इससे आयोग के ऊपर अंकुश लग गया है। आप यह समझते हैं कि आयोग कहीं ऐसे नियम न बना दे जो इस बिल से असंगत हो।

परीक्षा नियंत्रक की बात कही गई। परीक्षा नियंत्रक की समस्या यह है कि उसकी स्थिति एक संयुक्त सचिव के बराबर है इसे देखते हुए आप एक अधिकारी वहां पर नियुक्त करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यदि संयुक्त सचिव के बराबर वह है तो वहां पर आप 1–2 संयुक्त सचिव के पद बढ़ा दें। इस अधिकार को आप आयोग को क्यों नहीं देते हैं। हर एक परीक्षा के लिये आप अलग-अलग संयुक्त सचिव को नियुक्त कर दें इससे गोपनीयता भी बनी रहेगी और मालूम भी नहीं पड़ पायेगा कि कौन से इम्तहान का कौन सा संयुक्त सचिव इन्तजाम कर रहा है। लेखा परीक्षक को नियुक्त करने से तो यह साफ मालूम हो गया कि इस आदमी को परीक्षा का इन्तजाम करना है और यहीं से परचे मिलने हैं। अब यह होगा कि परचे बंटने शुरू हो जायेंगे, जैसा आज और जगहों पर हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को भेजे जाने की संस्तुति करता हूं।

* श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने की बात कही गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह सरकार लोक सेवा आयोग की समस्याओं को समझने की चेष्टा नहीं कर रही है या फिर यह समझी नहीं है और जान बूझकर उनकी तरफ से आंख मोड़ना चाहते हैं। उद्देश्य यह है कि उसकी एफीसिएन्सी कैसे बढ़ाई जाय और उसकी कार्य निपुणता को कैसे बढ़ाया जाय। मैं तो समझता हूं कि इस बिल के लाने पर वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह बजाय कम होने के बढ़ेगा । इसके मैं दो-एक उदाहरण देना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 320 को आप देखें। उसमें व्यवस्था दी गई है कि जब किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता का आरोप लगाया जाता है, जो आयोग की परिधि में आता है, तो उसके लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है। परामर्श करने के नाम पर फाइलें वहां पर जाती हैं और बड़ी भारी संख्या में वहां से चोरी चली गयीं बल्कि जला दी जाती हैं भ्रष्टाचार के बल पर और परिणाम यह होता है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी है वह नहीं हो पाती है और सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाती।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दो उदाहरण देना चाहता हूं–7-8 साल पहले की बात है, परीक्षा के समय अनियमित फीस हर अभ्यर्थी से 20-20 रुपये ले लिये। उसके ऊपर कार्यवाही करने की बात हुई। उस समय एक सदस्य थे, इस समय केन्द्र में मंत्री हैं, यह बात खुल कर उजागर हुई थी,, उनकी कृपा के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। इनके चिकित्सा विभाग की फाइल गायब हो गई। आदमी पकड़ा गया और उस समय के अध्यक्ष ने कार्यवाही की और सरकारी सर्विस से निकाल दिया गया। उसके बाद संयोग ऐसा बना कि अध्यक्ष चले गये, दूसरे आये तो उन्होंने 3 दिसम्बर 71 से 25 मार्च, 74 तक का वेतन जो था, वह भी दे दिया गया और फिर से बहाल कर दिया गया। मैंने शिकायत की, 5 साल हो गये, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी होने के कारण, फाइल नम्बर भी मेरे पास है 1099/49/29-80, शासन को भेजी गई, शासन ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये कठोरता से पकड़ने की जरूरत है। सिविल सर्विसेज क्लासिफेकशन कण्ट्रोल तथा अपील रूल के नियम 69 के अनुसार अधिकार है फाइल मंगा सकती है, कार्यवाही कर सकती है लेकिन शासन खुद आंख मूंद लेता है। केवल इस विधेयक में ही नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण हैं जहां पर सरकार गलत काम होने के बाद पर्दा डाल देती है।

अभी समाचार पत्रों में मामला आया है, लेखा परीक्षकों का टेस्ट हुआ। जो नियमावली है उसमें चेयरमैन बैठा न उसका कोई नामिनी। तब किसी ने कह दिया कि यह परीक्षा ही अवैध हो जानी चाहिये लेकिन सरकार ने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इसमें चेयरमैन के बैठने की जरूरत नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। परीक्षा प्रणाली की बात है। कानपुर में विश्वविद्यालय की परीक्षा हो रही थी, मेडिकल की, चिकित्सा मंत्री जी विराजमान हैं, इसलिये कह रहा हूं, हाईकोर्ट ने जजमेन्ट दिया था कि होल इक्जामिनेशन इज क्विट लेकिन सरकार फिर ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आयी, सुप्रीमकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कायम रखा हाई कोर्ट का, सबकी जिन्दगी बरबाद कर दी। तो अगर त्रुटि होती है अधिकारियों से तो उस पर नियंत्रण होना चाहिये। अंतिम बात कह कर बल देना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए जैसा कि संविधान में व्यवस्था है, एक ही सदस्य अगर कोई गड़बड़ी करे, नियंत्रण न होने के कारण स्थिति बिगड़ती चली जाय, तो सब मुद्दों पर विचार करने के बाद लोक सेवा आयोग की इफिसियंशी बढ़नी चाहिये, का ठीक होना चाहिए।

सरकार जो नियंत्रित करना चाहती है, शिक्षा विभाग का मामला है, 81 सैन्य विज्ञान में एक ऐसे आदमी की नियुक्ति की गई जो विश्वविद्यालय की न्यूनतम योग्यता ही नहीं रखता था। मा0 संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, उनको पता होगा, विधान सभा में सवाल हुआ कि उस समय कितनी न्यूनतम योग्यता वे रखते थे, मामला वी0 सी0 के पास गया, उन्होंने कहा कि नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन नियुक्ति हुई, मामला चांसलर तक गया। चांसलर ने बहाल कर दिया कहा कि नियुक्ति कर दीजिये। इसके बाद मामला हाई-

कोर्ट में गया, उसने कहा कि यह तो ठीक नहीं है। फिर मामला सुप्रीम-कोर्ट में गया, उसने भी हाईकोर्ट का मान रखा। इस बीच में 1980 से 85 हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1985 में विश्वविद्यालय अधि-नियम की धारा 50 का लाभ उठाकर स्टेच्यूट लागू किया गया, जिसमें न्यून-तम योग्यता से छूट दे दी गयी, यह छूट भी 1980 से दी गयी। चांसलर बैठे हुए थे, उनके निर्णय के खिलाफ हाई-कोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट ने फैसला दे दिया।

मैं प्रशंसा करना चाहता हूं इस ब्यूइरोक्रेसी की जिसने हाईकोर्ट सुप्रीम-कोर्ट के खिलाफ स्टेच्यूट जारी करा दिया कि यदि शैक्षिक योग्यता कम है तो न्यूनतम योग्यता से भी छूट दे दी जायेगी । बात करते हैं आप रूल आफ लां की विधि के शासन की। इसलिये यह जो विधेयक आया है, इसमें ज्यादा ही खामियां हैं, सरकार निरंकुश होकर परम्पराओं को नष्ट करके ऐसी स्थिति पैदा कर देगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में जाना चाहिए ताकि सब बातों पर विचार होने के बाद यह आये। इसके साथ ही प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं यह सुनना चाहता था कि अध्यक्ष को अधिक शक्ति दे दी गयी है। मैंने पहले ही कहा था कि अध्यक्ष को जो एक सदस्य को नाम निर्देशित करने की जो शक्ति दी है, वह बहुत ही गम्भीर बात है। गुप्त जी ने भी शंका जाहिर की कि वे अपने मन के आदमी को नियुक्त कर सकते हैं और मन के अनुरूप काम नहीं करेगा तो दूसरे आदमी को नियुक्त कर सकते हैं। मैंने दूसरी शंका जाहिर की कि अध्यक्ष को तो शक्ति दे ही दी लेकिन परीक्षक और नियंत्रक की नियुक्ति करके अध्यक्ष की शक्ति को कम कर दिया। इससे लोक सेवा आयोग की गरिमा को घटाने का ही काम किया गया है। जैसे और लोगों ने शंका जाहिर की कि पहले लोगों को पता नहीं लगता था कि कौन आदमी पर्चा सैट करेगा? कौन परीक्षा लेगा? कोई खास व्यक्ति हो जायेगा तो जैसे और राज्यों में पेपर्स पहले ही आउट हो जाते हैं, मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन जो परम्परायें विकसित हो रही हैं कहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही न हो जाय कि घूस लेकर पर्चा बता दें, घूस लेकर पास करा दें।

इसमें कहा गया है कि 3 आदमी प्रश्नपत्र बनायेंगे तो एक प्रश्नपत्र को परीक्षा निरीक्षक खोलकर देखेंगे। जब देख लेंगे तो आउट हो ही सकता है। इन तमाम बातों की तरफ ध्यान आक-र्षित किया था। यह सही है कि अगर आप चाहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की गरिमा को रखना, तो नियमित रूप से जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिये एक ही तरीका है कि आप इस विधेयक को वापस ले लें और इसे अननुमोदन के लिये जनता की समिति में भेज दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक को अननुमोदन हेतु भेजने पर बल देता हूं।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, कानून को जितनी जल्दी और तेजी के साथ बदला जायेगा उतना

ही नुकसान होगा । लेकिन मान्यवर यहां यह जल्दी-जल्दी बदला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां जो पहले कमीशन था उसकी भावना यह थी कि उसका उत्तरदायित्व सामूहिक था, अकेला भी था। किसमें कितनी पावर है यह महसूस नहीं होता था। पंचायती राज टाईप बात थी। संसदीय कार्य मंत्री जी जल्दी में हैं और जल्दी करने के लिये इशारा कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप सिरों की गिनती के आधार पर इस बिल को पास करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)– यही तो प्रजातंत्र है।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

हां, यही प्रजातंत्र है। सिरों की गिनती के आधार पर आप इसे पास करा लेंगे लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे उसके लिये आपको फिर पछताना पड़ेगा। मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। कोई भी हो, जो भी उस कुर्सी पर बैठता है उसके हरा चश्मा लगा रहता है जिससे सूखी घास भी हरी दिखाई देती है। जो घास डाली जाती है उसे हम चरते हैं। मैं जानता हूं कि इसे आप प्रवर समिति में अननुमोदन के लिये भेजने वाले नहीं हैं, जो चाहे आप करें, आपकी इच्छा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस विधेयक के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गयी हैं। हो सकता है कि बिल के बारे में जो मैंने बात कही वह अपूर्ण थी शायद या मैं अपनी बात को माननीय सदस्यगणों तक पहुंचाने में असमर्थ रहा या फिर माननीय सदस्यगण भ्रांतियों के शिकार हो गये, कहीं न कहीं कुछ कमी जरूर रही है।

मा0 राजेन्द्र गुप्त जी, मा0 त्रिलोक चन्द्र जी, मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी तथा मा0 दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं। श्री त्रिलोक चन्द्र जी का कहना था कि इसमें सदस्यों की नियुक्ति में आशंका लग रही है, इसमें निष्पक्षता नहीं रखी गयी है। मान्यवर, इसमें नियुक्ति संविधान के अन्तर्गत ही होती है। दो ही बात होने से वह हटता है कि 62 साल की उम्र में वह रिटायर हो जायेगा। इसके अलावा उसे बनाने के बाद किसी को उसे हटाने का अधिकार है ही नहीं।

दूसरी आशंका व्यक्त की गयी जो कि माता प्रसाद पाण्डेय जी ने की थी कि परीक्षा सूची जो दी गयी है, इसमें नियंत्रक के द्वारा सूची बनायी जायेगी तो यह पक्षपात के तरीके से बनायी जायेगी। यह लोक सेवा आयोग के अधिकार में है कि उस सूची को वह प्रस्तुत करे या न करे। यदि सब अधिकार उन्हें प्राप्त हैं तो अननुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने इस विधेयक को संविधान की भावना के प्रतिकूल बताया। चूंकि परीक्षा लेने का अधिकार लोक सेवा आयोग को है, उस पर अंकुश लगाने जा रहे हैं यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है।

मान्यवर, जहां तक चयन करने की बात है वह अधिकार निहित है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं है। जो परीक्षा लेने का अधिकार है वह भी सुरक्षित है केवल इस विधेयक के

माध्यम से उस अधिकार क्षेत्र को ऐसे परिभाषित किया गया है और वित-रित किया गया है, इसमें कोई अन्तर नहीं डाला गया है। आप देखें सरकार ने नहीं बनाया इसका समस्त प्रारूप लोक सेवा आयोग द्वारा भेजा गया है, हम तो केवल माध्यम है आपके सामने प्रस्तुत करने के। प्रस्तुत करने के पहले संघ लोक सेवा आयोग के सामने भेजा और जारी कर दिया। इसके पहले 1983 में मध्य प्रदेश द्वारा इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत करके उसको ऐक्ट बनाया जा चुका है। अगर आप संघीय लोक सेवा आयोग को देख लें तो वहां पर इसी प्रकार से कार्य चलाया जाता है। 1974 और 1976 के बारे में कहना है कि 1974 में नियमावली बनाने का अधिकार केवल अध्यक्ष को दे दिया गया था, उसमें भ्रांतियां पैदा हो गयी थी। सन् 1976 में इसको चेंज कर दिया कि नियमा-वली बनाने का अधिकार आयोग को होगा। हमने उसको बढ़ाया है और इसमें रखा है। मैं आश्वस्त हूं कि जो कमी मुझसे पहले रह गयी थी, वह कमी मैंने पूरी कर दी। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस लेकर इसको पारित करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने कहा है कि आप इसको संख्या के बल पर पास करा ही लेंगे। मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा यही प्रजातंत्र है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी प्रजातंत्र के पेट से तानाशाही भी पैदा हो गयी थी। मान्यवर, अगर सूर्य की रोशनी में एक खास प्रकार की चिड़िया को नहीं दिखाई देता है तो उसमें न तो आपका दोष है न मेरा।

श्री अधिष्ठाता–

त्रिलोक चन्द्र जी वापस ले रहे हैं?

श्री त्रिलोक चन्द्र–

जी नहीं, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनि-यमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनि-यमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड 2

परिभाषाएं

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के अध्यक्ष से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उस अनुच्छेद के खण्ड (1–क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति भी है ;

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सामूहिक रूप से सभी अन्य सदस्यों से है;

(ग) ''परीक्षा नियंत्रक'' का तात्पर्य धारा 8 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत परीक्षा नियंत्रक से है ;

(घ) ''सदस्य'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) के अधीन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ङ) ''सचिव'' का तात्पर्य आयोग के सचिव से है और जिसके अन्तर्गत सचिव के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग का कोई अन्य अधिकारी भी है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 3

अध्याय–दो

आयोग के कार्य का आवंटन

कार्य जो अध्यक्ष या अन्य सदस्यों द्वारा किया जायगा

3–(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयोग का कार्य, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य या सदस्यों द्वारा, जैसा कि ऐसे कार्य के सामने विनिर्दिष्ट किया गया है, किया जायगा और इस प्रकार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायगा।

(2) उप धारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, निदेश दे सकते हैं कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य या कोई विशिष्ट विषय आयोग के समक्ष निस्तारण के लिए रखा जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 के उपखण्ड (1) से शब्द ''और इस प्रकार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायगा'' निकाल दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, क्या आपको यह स्वीकार है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के उपखण्ड (1) से शब्द "और इस प्रकार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 4 से 10

कार्य जो आयोग द्वारा किया जायेगा

4–आयोग का अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य से भिन्न कार्य आयोग द्वारा किया जायेगा।

प्रत्यायोजन

5–(1) आयोग ऐसे निदेशों के अधीन, जिन्हें वह जारी करना उचित समझे, अपने किसी भी कृत्य को किसी एक सदस्य या आयोग के किसी अधिकारी को या सदस्यों या आयोग के अधिकारियों या दोनों की समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है :

परन्तु जहां कोई कृत्य किसी एक सदस्य को प्रत्यायोजित किया जाय, वहां अध्यक्ष किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, सदस्य को सहायता और सलाह देने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) किसी व्यक्ति या समिति के, जिसे उपधारा (1) के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों, विनिश्चय पर कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व अध्यक्ष को संसूचित किया जायगा और अध्यक्ष ऐसी संसूचना के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या समिति को अग्रतर विचार और विनिश्चय करने के लिए निदेश दे सकेगा। यदि ऐसा निदेश दिये जाने पर व्यक्ति या समिति द्वारा ऐसे निदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अपने पूर्व विनिश्चय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो वह मामला आयोग के समक्ष रखा जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और जहां ऐसा कोई निदेश न दिया जाय, वहां व्यक्ति या समिति का विनिश्चय आयोग का विनिश्चय समझा जायगा।

(3) व्यक्ति या समिति द्वारा, जिसे उपधारा (1) के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों, किये गये विनिश्चय की रिपोर्ट आयोग को तत्काल भेजी जायगी।

अध्याय–तीन

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में विनिश्चय

6–(1) किसी बैठक में आयोग का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा लिया जायगा और मतों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। कोई भी सदस्य अपनी विसम्मति, यदि कोई हो, उसके किसी कारण या बिना किसी कारण के व्यक्त कर सकता है किन्तु वह इस प्रकार की विसम्मति सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को संसूचित नहीं करेगा।

(2) आयोग की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों की आधी संख्या से होगी :

परन्तु गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित किसी बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष किसी बैठक में किसी कार्य को विचारार्थ स्थगित कर सकता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे।

(4) जब अध्यक्ष छुट्टी पर रहने के कारण अनुपस्थित हो या आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तब ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करेगा :

परन्तु ऐसे मामलों की सूची, जिन पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई विनिश्चय किया गया हो और जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की गई हो, यथास्थिति, उनके छुट्टी से लौटने या उनके पुनः कार्यभार ग्रहण करने पर तुरन्त उनके समक्ष रखी जायगी।

परिचालन द्वारा विनिश्चय

7–(1) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि आयोग द्वारा किया जाने वाला कोई कार्य अत्यावश्यक है और आयोग की बैठक को सुविधाजनक ढंग से नहीं बुलाया जा सकता है और ऐसे मामले का विनिश्चय परिचालन द्वारा समुचित रूप से किया जा सकता है तो वह कार्य को प्रस्ताव के रूप में परिचालित करके सदस्यों की राय आमंत्रित कर सकते हैं।

(2) यदि अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी सदस्य से कोई राय प्राप्त नहीं होती है तो यह समझ लिया जायगा कि ऐसा सदस्य प्रस्ताव से सहमत है।

अध्याय–चार

प्रतियोगिता परीक्षा

परीक्षा नियंत्रक

8–(1) एक परीक्षा नियंत्रक होगा जो आयोग का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और जब तक कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त न किया जाय, तब तक आयोग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून श्रेणी का कोई अधिकारी, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, परीक्षा नियंत्रक होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा जो आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नियमों या आदेशों के अधीन उसे सौंपे जायं।

(3) परीक्षा नियंत्रक ऐसी परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन के लिए और उसकी गोपनीयता को बनाये रखने और सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) जब तक अन्यथा विहित न हो, ऐसी परीक्षाओं से संबंधित समस्त संविदायें लिखित रूप में होंगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षा संबंधी अभिलेख आयोग की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे। ऐसे समस्त अभिलेख परीक्षा नियंत्रक की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(5) ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध परीक्षा नियंत्रक द्वारा सचिव के परामर्श से और ऐसे निदेशों के अनुसार किये जायेंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये जायं।

परीक्षकों और प्राश्निकों (पेपर सेटर्स) इत्यादि की सूची

9–(1) परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक विषय के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूची प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जायगी :

परन्तु पूर्ववर्ती सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची में, यथासम्भव, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के बारे में उनकी शैक्षिक अर्हताओं, उपाधि और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव या वृत्तिक अनुभव से संबंधित सूचना होगी और आयोग द्वारा संचालित ऐसी पूर्व परीक्षाओं का विवरण होगा जिनमें उन्होंने परीक्षक के रूप में कार्य किया हो।

(3) परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्राश्निकों, अनुसीमकों और मूल्यांककों की नियुक्ति करेगा।

(4) ऐसी नियुक्तियां करने में, यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार से सावधानी बरती जायगी कि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त न कर दिया जाये जो किसी विश्वविद्यालय, सरकार या सरकारी निकाय द्वारा अवचार का दोषी पाया जाय या जिसके विरुद्ध अवचार के अभिकथन पर कोई जांच या अनुसंधान विचाराधीन हो, या जिसकी सत्यनिष्ठा सन्देहपूर्ण हो। कोई व्यक्ति जिसका प्रधान परीक्षक, प्राश्निक या मूल्यांकक के रूप में कार्य आयोग द्वारा असन्तोषप्रद पाया जाय, उक्त प्रयोजन के लिए पुनः नियुक्त नहीं किया जायगा।

प्रश्न-पत्रों का बनाया जाना और उनका अनुसीमन

10–(1) प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन भिन्न-भिन्न प्राश्निकों द्वारा जो एक ही स्थान के न हों, बनाया जायगा।

(2) प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबन्द प्रश्न-पत्र परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(3) तीनों प्राश्निकों से प्राप्त प्रश्न-पत्रों के मुहरबन्द लिफाफे सम्बद्ध अनुसीमकों को उनसे रसीद लेकर दिये जायेंगे।

(4) अनुसीमक तीनों प्रश्न-पत्रों का अनुसीमन करेगा, उन्हें पृथक-पृथक आवरणों में रखेगा जिन पर अपनी मुहर लगायेगा और आवरणों पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगायेगा और उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को रसीद लेकर सौंप देगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किसी भी एक अनुसीमित प्रश्न-पत्र को मुहरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में मुद्रणालय को भेज देगा, जो प्रश्न-पत्रों का मुद्रण करने, जिसके अन्तर्गत प्रूफ पढ़ना भी है, और परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रश्न-पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) मुद्रणालय प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा और परीक्षा नियंत्रक ऐसी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी करेगा और आवश्यक सावधानी बरतेगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से खण्ड 10 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 11

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

11–(1) आयोग अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों।

(2) यदि आयोग लोक हित में उचित समझे तो वह यह निदेश दे सकता है कि उक्त नियम या उसका कोई भाग प्रकाशित नहीं किया जायगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, खण्ड 11 के उपखण्ड (1) से शब्द "जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों" निकाल दिये जायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 के उपखण्ड (1) से शब्द "जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों" निकाल दिये जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 को इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 12, 13 और 14

कतिपय कार्य जो अविधिमान्य नहीं होंगे

12–आयोग से किया गया कोई परामर्श या उसके द्वारा दी गयी सलाह या उसके द्वारा आयोजित परीक्षायें या आयोग या किसी साक्षात्कार बोर्ड द्वारा संचालित ऐसी परीक्षाओं या साक्षात्कारों का परिणाम या आयोग या किसी साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियां केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी कि–

(क) आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति में या साक्षात्कार बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) आयोग या उसकी किसी समिति या साक्षात्कार बोर्ड में कोई रिक्ति है, या

(ग) कोई त्रुटि या अनियमितता है जो आयोग, समिति या साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष किसी कार्यवाही के सार को प्रभावित न करती हो।

सद्भाव से किये गये कार्य का संरक्षण

13–संविधान या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन प्रदत्त या समनुदेशित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का सम्पादन करने में सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक या, साक्षात्कार लेने या अन्यथा आयोग की सहायता के

लिये नियुक्त अधिकारियों या किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

निरसन और अपवाद

14-(1) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(दो) ऐसे निरसन के होते हुए भी :

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियमावली, 1976 जब तक आयोग उसे अधिक्रान्त न करे, उस सीमा तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो।

(ख) आयोग द्वारा या उसकी ओर से उपधारा (1) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार सभी कार्य, आदेश, विनिश्चय, संस्तुति जिसमें कोई साक्षात्कार, चयन या प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन या किसी परीक्षाफल की घोषणा भी सम्मिलित है, विधिमान्य समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायगी और किसी साक्षात्कार, चयन या प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को विचाराधीन हो, पूर्ववत् जारी रखी जा सकती है और ऐसे प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार पूरी की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1985

(2) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(दो) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (2) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री अधिष्ठता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 12, 13 और 14 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुसूची

(धारा 3 देखिये)

कार्य का विनिर्देश	आवंटन
(1)	(2)
एक–सामान्य–	
(1) सामान्य प्रशासन, व्यय की स्वीकृति, बजट और ऐसे अन्य वित्तीय विषय।	अध्यक्ष और अर्जित या चिकित्सा छुट्टी (सात दिन से अधिक) के कारण उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य।
(2) आयोग के कार्य का समन्वय जिसके अन्तर्गत आयोग की बैठकों को बुलाना भी है।	अध्यक्ष
(3) सदस्यों के दौरे के कार्यक्रम का पूर्वानुमोदन, आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति और उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुज्ञा देना।	अध्यक्ष
दो–परीक्षा–	
(1) ऐसे अभ्यर्थियों की अपीलें जिनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं।	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सदस्य
(2) अभ्यर्थियों पर आरोपित शास्ति	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सदस्य
तीन–भर्ती सम्बन्धी मामले–	
(1) अभ्यर्थियों के लिये सूचना और प्रारंभिक संवीक्षा संबंधी मामले।	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक या अधिक सदस्य।
(2) साक्षात्कार बोर्ड की अध्यक्षता	ऐसे सदस्य से, जिसने उस सेवा या पदों की प्रारम्भिक संवीक्षा का अनुमोदन किया है, भिन्न कोई सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाय।
(3) मानक और पद्धति में शिथिलीकरण या उससे विचलन।	अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक या अधिक सदस्य।
चार–नियुक्तियां–	
(1) विभागीय पदोन्नति समिति सम्बन्धी मामले	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य
(2) तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी मामले	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य

1	2
पांच–सेवायें–	
(1) अनुशासन सम्बन्धी मामले	अध्यक्ष और उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सदस्य
(2) ज्येष्ठता सम्बन्धी मामले	अध्यक्ष और उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सदस्य
(3) स्थायीकरण सम्बन्धी मामले	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य
(4) भर्ती सम्बन्धी नियम	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और यदि वह मूल शाब्दिक परिवर्तनों से भिन्न किन्हीं अन्य परिवर्तनों का सुझाव देता है तो अध्यक्ष।
छः–प्राविधिक– प्रणाली विकास (सिस्टम डेवलपमेन्ट) और डाटा प्रोसीडिंग्स और इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग शाखा के प्राविधिक पहलू से संबंधित अन्य कार्य।	अध्यक्ष और उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अनुसूची को मद दो-परीक्षा की उपमद (2) को निकाल दिया जाये ।

मान्यवर, अनुसूची की मद तीन-भर्ती सम्बन्धी मामले की उप मद (3) को निकाल दिया जाये ।

मान्यवर, अनुसूची की मद चार-नियुक्तियां की उपमद (1) व (2) को निकाल दिया जाय।

मान्यवर, अनुसूची की मद पांच-सेवायें की उपमद (1), (2) व (4) को निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, जो मैंने कहा था, मंत्री जी ने कहा कि कार्य को बहुत हल्का बनाने के लिये ऐसा किया जा रहा है । मान्यवर, अन्य कोई व्यक्ति गलत सर्टीफिकेट से कमीशन से गलत फैसला ले लेता है, तो उसका निर्णय आयोग द्वारा नहीं होगा बल्कि अध्यक्ष द्वारा दो नाम निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा होगा। मान्यवर, इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह व्यक्ति सेकेन्ड क्लास है और प्रथम श्रेणी का दिखाकर उन्होंने अपनी टिप्पणी करवा ली और वह नियुक्त हो गये हैं।

एक सदस्य–

वह कौन व्यक्ति हैं, उनका नाम बताइये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वह डाइरेक्टर आफ, इनवायरनमेन्ट हैं, सेकेन्ड क्लास की डिग्री रखते हैं और फर्स्ट क्लास की टिप्पणी लिखवाकर, लोक सेवा आयोग से गलत संस्तुति करवायी है । अब अगर इस मामले को आयोग के सामने रखा जाय तो सम्पूर्ण चीज आयोग देख सकता है । यही चीज अगर 1/2 सदस्य उसमें कर दिये जायेंगें, तो वे उसकी अपील भी करेंगे और अध्यक्ष पहले से मिला हुआ है तो उस पर कोई कार्यवाही

नहीं हो सकती । इसीलिये मैं कहता हूं कि ऐसे कार्यों को आप आयोग द्वारा करायें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से मानक और पद्धति में शिथिलीकरण और उसका विचलन । यह आपने दे दिया अधिकार अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्देशित को । इसे आप पूरे आयोग की आम सहमति से क्यों नहीं करते ? इसी तरह से पदोन्नति सम्बन्धी, तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी मामले जो कि आपका मुख्य मुद्दा है, वह यही है, अनुशासन सम्बन्धी मामले, ज्येष्ठता सम्बन्धी मामले और भरती सम्बन्धी नियम । मेरा सुझाव है कि अगर मंत्री जी सचमुच में आयोग को जो कि एक आटोनामस बाडी रही है, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है, उसकी स्वेच्छा पर छोड़ दें और उसके सामने रख दें । यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए और इन छोटी-छोटी बातों पर शंका नहीं होनी चाहिए । इसलिये मान्यवर, यह सभी मुझे अस्वीकार हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं एक-एक करके लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुसूची की मद दो-परीक्षा की उपमद (2) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुसूची की मद तीन भर्ती सम्बन्धी मामले की उपमद (3) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुसूची की मद चार-नियुक्तियां की उपमद (1) व (2) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुसूची की मद पांच-सेवायें की उपमद (1), (2) व (4) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक की अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

राज्य लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन से संबंधित कतिपय विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 22 जून, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित **किया जाय।**

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यदि इसी तरह से 6/7 बजे तक हाउस चलाया जायेगा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कह दें कि वे यहां पर चाय की व्यवस्था भी कर दिया करें।

(समय 6 बजकर 25 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई। श्री सूर्य प्रताप शाही की कृषि उत्पादन मंडी परिषद् में हुए सचिव पद के लिए आयोजित परीक्षाफल **में अनियमितता के सम्बन्ध में है**, स्वीकार की गयी है । दूसरी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम गोविन्द चौधरी की उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में लेखाधिकारियों के चयन में भ्रष्टाचार के संबंध में है । इसी पर श्री सुन्दर लाल और श्री त्रिलोक चन्द्र जी का भी है । तो **यह दो सूचनाएं मैंने केवल वक्तव्य के** लिए स्वीकार की है । शेष अस्वीकार है ।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में सचिव पद के लिये आयोजित परीक्षाफल में अनियमितता के संबंध में सूचना

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, यह जो कृषि उत्पादन मंडी के संबंध में सूचना दी गयी है उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं । इसमें हमने सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दिये हैं क्योंकि अध्यक्ष ने निदेशक पर कुछ इस तरीके के आरोप लगाये हैं और निदेशक ने उनको इनकार कर दिया है। तो मैंने मुनासिब समझा कि सच्चाई सामने आ जाय और तब कार्यवाही की जा सके इसलिए गुप्तचर विभाग को यह मामला दे दिया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । कुछ तो परीक्षाओं के संबंध में आरोप हैं और कुछ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप हैं? तो क्या इस संपूर्ण प्रकरण की जांच करायेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

चूंकि यह सूचना पुलिस में धारा सिंह जी ने दे दी लिहाजा विभाग जांच नहीं करा सकता है । यह मामला निदेशक से वास्ता रखता है इसलिए इस संपूर्ण प्रकरण की जांच हो रही है । जो एफ0 आई0 आर0 में दर्ज है उसकी जांच होगी। इसमें जो दोषी पाये जायेंगे उनको दंडित किया जायेगा । अगर रिपोर्ट गलत होगी तो उसके हिसाब से उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत अगर फौरन मंत्री जी का वक्तव्य आ जाय और उससे माननीय सदस्यों की संतुष्टि हो जाय तो उस वक्तव्य को हम निरस्त कर सकते हैं। इसलिए यह निरस्त किया जाता है और दूसरा राज्य विद्युत परिषद् के संबंध में में है वह वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं ।

पन्तनगर, कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

[पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन हैं, जैसे पन्तनगर कर्मचारी संगठन, पन्तनगर कर्मचारी परिषद्, फार्म इम्प्लाइज एसोसियेशन तथा पन्तनगर वर्कर्स यूनियन आदि। पन्तनगर वर्कर्स यूनियन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लगभग 7-8 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व करती है। अतएव केवल इसी यूनियन से ही कर्मचारियों के हितों की वार्ता सम्भव नहीं है। जहां अन्य कर्मचारी-संगठन सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत के द्वारा समस्याओं के समाधान का प्रयास करने में विश्वविद्यालय प्रशासन का साथ देते रहे हैं, वहां पन्तनगर वर्कर्स यूनियन का रवैया आन्दोलनात्मक रहा है ।

2- पन्तनगर [illegible] यूनियन ने अप्रैल 16, 1984 से अप्रैल 26, 1984 तक अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की थी । हड़ताल समाप्ति के लिए यूनियन से बातचीत की गई और उस आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कुछ निर्णय लिये गये। निर्णयों के कार्यान्वयन में समय लगने की सम्भावना को देखते हुए यूनियन ने लिखित रूप में यह आश्वासन दिया था कि वह अगले तीन वर्ष तक किसी प्रकार का आन्दोलन व हड़ताल नहीं करेगी ।

3- जिन मार्गों पर विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय लिया जा सकता था उनमें से कुछ पर कार्यवाही की गई तथा कुछ पर कार्यवाही चल रही थी। पन्तनगर वर्कर्स यूनियन ने तीन वर्ष तक आन्दोलन हड़ताल न करने के अपने आश्वासन के बावजूद दिनांक 14-12-1984 से 21-1-85 तक हिंसात्मक आन्दोलन एवं हड़ताल की । यह हड़ताल दिनांक 21-1-85 को बिना शर्त वापस ले ली गयी

4- यद्यपि यूनियन द्वारा अपने पूर्व आश्वासन के बावजूद दोबारा हड़ताल करने के कारण अप्रैल, 1984 में जो समझौता हुआ था वह स्वतः समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए था । किन्तु उसके बावजूद कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने यूनियन की मांगो को पूरा करने की कार्यवाही जारी रखी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

5–इसके बावजूद इस यूनियन ने पुनः दिनांक 15-7-85 को प्रतीक प्रदर्शन एवं दिनांक 22-7-85 से आमरण अनशन की नोटिस दी और दिनांक 22 जुलाई, 1985 से अनशन आरम्भ किया। इस अनशन के पूर्व और इसके दौरान विश्वविद्यालय ने यूनियन से निरन्तर सहयोग की अपीलें कीं और बातचीत जारी रखने की कोशिश की। जिसके फलस्वरूप दिनांक 28 जुलाई, 1985 को यूनियन ने आन्दोलन एवं अनशन वापस ले लिया और यूनियन तथा विश्वविद्यालय के बीच नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

6–इस समझौते के अनुसार यूनियन ने पुनः आश्वासन दिया है कि वे अगले तीन वर्षों तक कोई संघर्ष/हड़ताल आदि नहीं करेंगे और सभी समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय को अपना सहयोग देंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों के कल्याणार्थ दिये गये आदेशों तथा अप्रैल, 1984 के निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति का पाक्षिक अनुश्रवण करने के लिए तीन अधिकारियों और तीन कर्मचारियों को एक संयुक्त समिति गठित की गई है।

7- उक्त समझौते के फलस्वरूप विश्वविद्यालय में शान्ति है।]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जो नियमित कर्मचारी विश्वविद्यालय के हैं मेम्बर हैं, या दैनिक भोगी कर्मचारी मेम्बर हैं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि चूंकि यह गम्भीर मामला है और इस विश्वविद्यालय का विश्व में महत्व है और वहां रोज खुराफात होती है जो ठीक नहीं है। वहां का वाइस चांसलर दुर्बल और निर्बल है।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं पूछना चाहता हूं कि 27 अप्रैल, 1984 को जो समझौता हुआ, मैं भी बोर्ड का सदस्य था, तो जो मांगें थीं उनमें एक को छोड़कर सभी को बोर्ड ने स्वीकार किया था। एक चीज बोर्ड ने नहीं मानी थी, वह चाहते थे कि हड़ताल का वेतन दिया जाय लेकिन बोर्ड इसको नहीं मान रहा था, मैंने भी इसका विरोध किया था कि जितने दिन हड़ताल पर रहे उसकी छुट्टी दी जाये और वेतन न दिया जाये जिसको बोर्ड ने मान लिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां आयीं कि 3 वर्ष पूरे नहीं हुए फिर हड़ताल की नोटिस आ गयी, तो जिन्होंने समझौता किया था उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पंत नगर विश्वविद्यालय में 4 यूनियंस हैं। एक पंत नगर वर्कर्स यूनियन, पंत नगर विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन, पंत नगर विश्वविद्यालय परिषद् यूनियन और पंत नगर कर्मचारी एसोसियेशन। मान्यवर, पाण्डेय जी सही कह रहे थे कि समझौते में तय हुआ था कि तीन वर्षों तक कोई हड़ताल या प्रदर्शन या संघर्ष नहीं होगा लेकिन उसके बावजूद भी जो तीन यूनियन्स हैं उन्होंने समझौते का पालन किया लेकिन पंत नगर विश्वविद्यालय वर्कर्स यूनियन ने फिर से हड़ताल कर दी। एक बार उन्होंने दिसम्बर, 1984 में हड़ताल शुरू किया जो जनवरी में समाप्त हुई, बिना शर्त के हड़ताल वापस ले लिया। अभी जुलाई में फिर शुरू कर दिया लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय के

लोग चाहते हैं कि वहां का वातावरण शान्त रहे, कर्मचारियों में शांति रहे लिहाजा प्रयास करके समझौता करके उसे समाप्त कर दिया गया और अब वहां पर पूरी तरह से शांति है। मैं आभारी हूं श्री पांडेय जी का कि वहां वह शांति चाहते हैं और विश्वविद्यालय अच्छी तरह से काम करे यह चाहते हैं।

श्री कल्याण सिंह–

यह जो बार-बार हड़तालों का, अनशन का क्रम चलता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यह 27 अप्रैल, 84 को जो समझौता हुआ था, जिसके अन्दर 30 मांगें थीं, उन मांगों के बारे में पन्तनगर विश्वविद्यालय अधिकारियों को क्या-क्या करना था, उसका विवरण मेरे पास मौजूद है, कहेंगे तो पढ़ दूंगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने जो वायदे किये थे, उनको उन्होंने 16 महीने बाद भी पूरा नहीं किया, जिससे पुनः हड़ताल की नौबत आ गई। यह कहना उचित नहीं है कि कुछ यूनियनें कभी हड़ताल करती हैं। 4,500 कर्मचारियों में से 1,750 कर्मचारियों की सदस्य संख्या वाली यह यूनियन है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 27 अप्रैल, 84 को हुए समझौते के अन्दर एक शर्त यह भी थी कि उनकी सेवा नियमावली बना दी जाएगी, लेकिन वह आज तक नहीं बनी है, फिर से जो समझौता हुआ है, उसमें भी उन सारी चीजों को दोहराया गया है और 7 सदस्यीय कोई समिति बनाई थी, जिसमें पहले 3 प्रशासनिक अधिकारी और 3 कर्मचारियों के प्रतिनिधि थे, लेकिन बाद में एक वाइस चांसलर ने अपना आदमी और जोड़ दिया है। तो 25 साल बीत गये हैं, अब तक उनकी सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है तो क्या मंत्री जी सदन में आज आश्वासन देंगे कि इन कर्मचारियों की सेवा नियमावली यथाशीघ्र बना दी जाएगी? मैं भरोसा रखता हूं कि वह उनका कहा पूरा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कल्याण सिंह जी का यह कहना सही है कि 20-25 साल से सेवा नियमावली नहीं थी, लेकिन अब उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी दी गई है इस हेतु एक उप समिति बनाई गई है और उसकी बैठक भी हो चुकी है। यहां वित्त सचिव की अध्यक्षता में भी बैठक हो चुकी है और मुझे पूरी आशा है कि वह नियमावली बहुत शीघ्र बन जाएगी।

श्री जयदीप सिंह दरार–

मान्यवर, मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कि पन्तनगर विश्वविद्यालय में वर्ष 78 से पहले कभी कर्मचारियों की हड़तालें आदि नहीं हुईं, 77-78 में जब इधर के सदस्य उधर बैठे थे, उस समय से यह हड़तालों का क्रम शुरू हुआ है और उसके बाद बराबर हड़तालों का क्रम जारी है और वह विश्वविद्यालय का फार्म जो था, कुछ वर्ष तक उसमें नफा रहा और उसके बाद लगातार उसमें घाटे का क्रम जारी है और छात्रों की शिक्षा में भी समय-समय पर बाधा पड़ती रहती है। तो क्या इस चीज को देखते हुए मंत्री जी उस फार्म की व्यवस्था को और पन्तनगर विश्वविद्यालय की व्यवस्था को अलग-अलग करने की कृपा करेंगे? ताकि वाइस चांसलर विश्वविद्यालय देखें और फार्म को दूसरे अधिकारी देखें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

हमारे मित्र बरार साहब का सुझाव अच्छा है, मैं इसका परीक्षण कराऊंगा कि इस पर क्या किया जा सकता है।

(व्यवधान)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेयजल की अशुद्धता से घेंघा तथा फील पांव की बीमारियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र

एक सदस्य–

इसको पढ़ा हुआ माना जाए?

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय। अब आप प्रश्न करें।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

15 जनपदों इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच में कुल 49,395 ग्राम हैं। वर्ष 1972 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार उक्त 15 जनपदों में 15,412 ग्राम समस्याग्रस्त पाये गये जिनमें से 4,240 ग्राम पाइप द्वारा तथा 10,926 ग्राम हैण्ड पम्प द्वारा मार्च, 1985 तक शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किये गये हैं।

जहां तक घेंघा तथा फील पांव की बीमारियों का सम्बन्ध है इस संबंध में अनुरोध है कि फाइलेरिया तथा घेंघा रोग से किसी की मृत्यु नहीं होती। फाइलेरिया की बीमारी क्यूलेक्स फेटीगन्स मच्छरों के काटने से होती है न कि पीने के पानी में आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघे की बीमारी पहाड़ों पर, तराई क्षेत्रों में तथा ऐसे इलाकों में बहुत होती है जहां लगातार बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। इसकी रोक थाम के लिये आयोडीन युक्त नमक एवं आयोडाइज्ड आयल की सूइयां लगायी जाती हैं। गोण्डा तथा देवरिया जनपदों के गांवों में इस प्रकार की सूइयां लगाई गयीं।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो फाइलेरिया और घेंघा का मर्ज है यह व्यापक पैमाने पर फैल रहा है जिन जनपदों में, उनके इलाज के लिये कोई स्पेशल व्यवस्था करेंगे वहां की गंभीर स्थिति को देखते हुये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, घेंघा का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 17 जिले इससे प्रभावित हैं। 9 जिलों में व्यवस्था हो गयी है। वह 9 जिले उत्तराखण्ड के हैं, टिहरी, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर। पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया इनके लिये भी शासन आदेश निर्गत करने जा रहा है। घेंघा का रोग आयोडीन साल्ट की कमी से होता है। इन क्षेत्रों में साधारण नमक वर्जित कर दिया जायगा, माता प्रसाद जी को नहीं मिलेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप हमारे मामा हैं जो चाहें सो करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

फाइलेरिया रोग मच्छरों से फैलता है, उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स पेंटीगाइन

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन मच्छरों को मारने की प्रक्रिया आरम्भ की जा रही । कुछ जिलों में यह चल रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । माननीय मंत्री जी ने कहा कि मच्छरों से फीलपांव रोग फैलता है और उनको मारने के लिये व्यवस्था शुरू होने जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रभावित जिलों में कार्यक्रम व्यापक स्तर पर कब से चालू कर देंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नगरीय क्षेत्र में प्रारम्भ हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ कराना है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि पूर्वी जिलों के 15 जनपद हैं जो पीने के पानी से प्रभावित हैं । 49 हजार जो गांव हैं उनमें लोग प्रभावित हैं । उनके लिये 1972 में तय किया गया था कि व्यवस्था की जायगी लेकिन पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सके । इन गांवों में जो सूखाग्रस्त गांव थे जिनके बारे में सर्वेक्षण हो गया था उनमें यह स्कीम नहीं लागू की गयी तो क्या इसको दिखवायेंगें और इसकी व्यवस्था करेंगें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

'1971 के मानक के अनुसार जो सूखाग्रस्त गांव थे वहां व्यवस्था हो गयी है । 1981 के मानक के अनुसार जो अतिरिक्त ग्राय सभायें ली गयी हैं तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इनमें व्यवस्था पूर्ण कर देने का प्राविधान है।

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी'–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बांसी विकास खण्ड में एक गांव वाले जिनवा है। वहां कुओं का पानी खारा है और दूषित है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जांच करने गये और उन्होंने पानी पी लिया तो उनको ज्वर हो गया। वहां पर एक भी हैण्ड पाइप नहीं लग पाया। मैंने इसके बारे में पत्र माननीय मुख्य मंत्री को भी लिखा। तो वहां की स्थिति देखते हुए माननीय मंत्री जी वाले जिनवा गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाने की कृपा करेंगे? बांसी विकास खण्ड के सतवाढ़ी गांव में जहां वर्षा में जल इतना जम जाता है कि सभी कुएं पानी में डूब जाते हैं और पेयजल दूषित हो जाता है। माननीय मंत्री जी सतवाढ़ी गांव में जलजमाव हो जाता है, जबकि कुएं का पानी दूषित हो जाता है, तो क्या उसमें पेयजल की कोई अन्य व्यवस्था करायेंगे? माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि कुल 15,412 गांव थे, जहां कि पेयजल की समस्या थी। इसमें से उन्होंने 15,166 ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करा दी है, केवल 246 गांव शेष रह गये हैं। जिस जिले से माननीय मंत्री जी चुनकर आते हैं, उसमें ही इससे अधिक गांव होंगे, जहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। मिर्जापुर में लालगंज, हलिया, दुद्धी आदि क्षेत्र, जिसमें कि अनेक गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फिर से इसका सर्वेक्षण करा कर उन सभी गांवों में पेयजल की व्यवस्था करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, सम्मानित हरीश जी ने तो पूरा वक्तव्य मान लिया है। मैंने अनुरोध किया दो प्रकार के, एक तो 1971 में सर्वेक्षण हुआ था, 1971

के सर्वेक्षण के अनुसार जितने समस्याग्रस्त गांव थे, समस्याग्रस्त अर्थात् जहां पर पानी पीने का संकट था, पानी का संकट था, उन ग्रामों में 1971 के मानक के अनुसार सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। 1981 में पुनः सर्वेक्षण हुआ है, उनमें कुछ गांव जोड़े गये हैं, जिनमें कुछ कमी है, वह पूरी हो जायगी। जहां तक दो प्रश्न आपने उठाये, प्रथम यह कि खारा पानी। खारे पानी की समस्या हमारे प्रदेश में कई अंचलों में है और इस पर अलग से शासन विचार कर रहा है कि इस पर क्या कार्यवाही हो। कहीं-कहीं पर नलकूप लगने के बाद भी खारा पानी निकला। नलकूप लगाया गया, पानी के लिये लगाया गया या सिंचाई के लिए लगाया गया, तो उसमें भी खारा पानी निकला। इस पर शासन विचार कर रहा है। बरसात में जो कुएं डूब जाते हैं, उसके लिए मैंने हर ग्राम प्रधानों के पास ब्लीचिंग पाउडर भेजवा दिया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

किसी भी प्रधान के पास नहीं पहुंचा है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पहुंच रहा है मान्यवर। आपका कहना सही हो सकता है कि सात दिन पूर्व आपके प्रधान के पास न पहुंचा हो। मगर जब आप अपने गांव में पहुंचियेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर आपके प्रधान के पास मिलेगा। मान्यवर, पानी की समस्या के लिए हर विकास खण्ड को तीन लाख रुपया गया है। इस साल कुछ और जाने वाला है। इसके अलावा आप अपने सभापति महोदय से कहिए कि वह कुएं की जगत ऊंची करावें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जैसा उन्होंने अभी 1971 के सर्वेक्षण की बात कही और उसके बाद पुनः 1981 के सर्वेक्षण की बात कही, तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा 1981 के सर्वेक्षण के अनुसार वक्तव्य न देने का क्या कारण है? दूसरी बात जिसकी मैंने चर्चा की बलिया में मच्छर बहुत हैं और मंत्री जी ने कहा मच्छर ही नहीं आप भी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बलिया में अगर एक रात मंत्री जी को बिना मच्छरदानी के रहना पड़े तो वह भी हमारी तरह हो जायं मोटे नहीं रह सकते हैं। माननीय मंत्री बलिया में मच्छरों को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश सरकार की सीमा के बाहर है। यह प्रश्न कई बार सदन में उठा है। यह अन्तर्देशी समस्या है। सन् 1960 में जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, एक बार मच्छरों को समाप्त करने का अभियान हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से। यह पूरे एशिया भू खण्ड में हुआ था। पुनः प्रस्ताव रखा है, 2 बार बैठक हो चुकी है। जब कोई निर्णय होगा तो इसका निदान हो सकेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह सरकार मच्छर नहीं मार पा रही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जो सरकार व्यस्त रहती है, वह मच्छर नहीं मारती जो सरकार काम नहीं करती वह मच्छर मारती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 71 के सर्वेक्षण के अनुसार करछना तहसील के बरांव गांव को प्रभावित माना गया था और उस गांव के लिए स्कीम स्वीकृत हुई थी। लेकिन वह उस गांव में न लगाकर उसी नाम से दूसरे गांव में लगा दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी इसको देखकर कि दूसरे गांव में स्कीम लगा दी गई, जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और पेयजल की व्यवस्था बरांव गांव में करायेंगे ?

श्री लोकपत्ति त्रिपाठी–

क्यों ऐसा हुआ, मैं नहीं जानता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि जो टंकी बनी है, उस टंकी से पानी बराव गांव को पहुंचा दिया जायेगा। अगर नहीं होगा तो हैन्डपाइप लगवा दी जायेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय मंत्री जी देवरिया के मूल निवासी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं। इन दोनों बीमारियों का प्रभाव देवरिया में है। देवरिया में क्यूलेक्स पेंटीगाइन का असर है। तो क्या मंत्री जी मेलाथियान दवा का स्प्रे करायेंगे, उन मच्छरों को मारने के लिये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

एक बार हुआ था फिर हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, परसों 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बजकर 54 मिनट पर शुक्रवार 16 अगस्त, 1985 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
14 अगस्त, 1985 ई0

नत्थी 'क'

(देखिए विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत स्वीकृत तारा0प्र0सं0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

(सूती, स्टेपुल एवं वेस्ट यार्न के मूल्यों का तुलनात्मक विवरण (नवम्बर, 1984 से मई, 1985 तक)

अनुलग्नक–क

(सूती धागा प्रति बण्डल 4.5 कि0ग्रा0)

(मूल्य रुपयों में)

आउन्स सं0	नवम्बर, 84	दिसम्बर, 84	जनवरी, 85	फरवरी, 85	मार्च, 85	अप्रैल, 85	मई, 85
6	98 से 103	99 से 102	94 से 97	94 से 97	92 से 95	98 से 104	97 से 93
10	110 से 114	107से 110	99 से 105	98 से 102	95 से 99	99.50 से 106	99 से 95
14	115 से 120	113 से 118	111 से 115	109 से 113	109 से 111	107 से 113	101 से 113
20	132 से 128	121 से 125	117 से 121	111 से 116	110 से 113	113 से 120	108 से 115
24	128 से 131	118 से 128	124 से 128	124 से 127	120 से 125	122 से 128	116 से 125
30	132 से 137	131 से 137	130 से 137	126 से 132	125 से 135	135 से 140	124 से 135
			स्टेपुल यार्न				
17 एनएफ	143 से 146	148 से 150	150 से 151	149 से 153	163 से 166	166 से 168	165 से 167
26 एनएफ	151 से 155	160 से 164	164 से 168	165 से 168	184 से 186	184 से 187	173 से 185
2/34 एन एफ	175 से 185	180 से 196	197 से 204	200 से 206	203 से 206	221 से 228	208 से 215

उत्तर प्रदेश पत्रिका

वेस्ट यार्न का विवरण

सूत नं0	नवम्बर,84	दिसम्बर, 84	जनवरी, 85	फरवरी, 85	मार्च, 85	अप्रैल, 85	मई, 85
1	60.00 से 62.00	60.00 से 62.00	61.00 से 62.00	58.00 से 61.00	57.00 से	58.00 से	65 से
1 1 2	59.00 से 65.00	59.00 से 73.00	56.00 से 73.00	55.00 से 60.00	52.00 से 57.00	57.00 से 63.00	58.00 से 68.00
2	60 00 से 74.00	60.00 से 73.00	57.00 से 75.00	58.00 से 76.00	58.00 से 77.00	56.00 से 77.00	63.00 से 82.00

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 का (उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

बुन्देलखण्ड में अनुमन्य सहायतायें/सुविधायें

1–केन्द्रीय पूंजी उपादान	बांदा, हमीरपुर, जालौन में 25 प्रतिशत (अधिकतम रु0 25 लाख तक) और झांसी तथा ललितपुर में 15 प्रतिशत तक (अधिकतम रु0 15 लाख तक) की दर से।
2–ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण	सभी जिलों में 5 वर्ष के लिए
3–चुंगी में छूट	नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित किये जाने पर मशीनरी तथा इमारती सामान पर लगने वाली चुंगी से छूट।
4–औद्योगिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार कराने हेतु उपादान	75 प्रतिशत उपादान
5–बिजली सम्बन्धी छूट	अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुमन्य न्यूनतम उपभोग गारण्टी से छूट और विलियेबिल डिमाण्ड में छूट के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में विशिष्ट रूप से नये उद्योगों/कृषि आधारित उद्योगों, जिनके विद्युत कनेक्शन 1-8-80 या उसके बाद किये गये हैं, को विद्युत बिल की 50 प्रतिशत धनराशि विकास छूट के रूप में प्रदान की जाती है।
6–जेनरेटिंग सेट उपादान	कनेक्टेड भार के अधिकतम 120 प्रतिशत तक भारी उद्योगों के लिए रुपया 500 प्रति के0वी0ए0 और लघु उद्योगों के लिये 1000 रुपया प्रति के0 वी0 ए0 की दर से।

7–बिक्री कर से छूट	1-10-82 से 31-3-80 तक उत्पादन करने वाली नई इकाइयों को बांदा, जालौन और हमीरपुर के उद्योग रहित जिलों में 7 वर्ष के लिए तथा झांसी और ललितपुर में 6 वर्ष के लिए बिक्री कर से छूट दी जाती है।
8–विद्युत उपादान	20 (बीस) एच0 पी0 तक भार वाली बाइस ग्रुपों की लघु औद्योगिक इकाइयों को विद्युत मूल्य नौ पैसे प्रति यूनिट से अधिक होने पर अधिकतम 9 पैसे प्रति यूनिट विद्युत उपादान दिया जाता है।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

अवशेष 8 आशय पत्रों की सूची

1–यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

2–मे0 बिजनेस कामबाइन लि0, 78 डिरएनिक बसंत रोड, ओरी, बाम्बे ।

3–मे0 क0 एस0 लाक्सीम, नई दिल्ली।

4–मे0 गोपाल के0 कापर वास्ते के0 आई0 सिंगल 11–रामनगर, नई दिल्ली।

5–मे0 पी0 के0 गुप्ता 11/10, शक्ति नगर, नई दिल्ली।

6–मे0 कैलिविनेटर आफ इन्डिया लि0 आत्माराम हाउस, 5, मंजिल, टोलिटोय मार्ग, नई दिल्ली।

7–मे0 श्री राजेन्द्र कुमार सोमानी, सोमानी भवन, 61/27, नयागंज, कानपुर ।

8–श्री डी0 के0 जैन, मोदीनगर ।